खण्ड-170, अंक-3
बुधवार, 15 चैत्र, शक संवत् 1878
(4 अप्रैल, 1956 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 170 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, ४ अप्रैल, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (२७०)

अंसमान सिंह, श्री
अक्षयवरसिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभानसिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
एजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कमलासिंह, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशी प्रसाद पांडेय, श्री
कृप शंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद श्री
जगन्नाथबख्शदास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपालसिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेंद्रसिंह विष्ट, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वाला प्रसाद सिन्हा, श्री

टीकाराम, श्री (बदायूं)
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द्र माहेश्वरी, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
त्रिलोकी नाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दाताराम, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाज़िम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण दीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पातीराम, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिन विहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फज़लुलहक़, श्री
फ़तेहसिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, श्री (गोंडा)
बलदेव सिंह, श्री (बनारस)
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बशीरअहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
विशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नू लाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री

मुहम्मद रऊफ जाफरी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मोहन लाल , श्री
मोहन लाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रतनलाल जैन श्री
रमेश वर्मा, श्री
राज किशोर राव, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
राम प्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र , श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामसेवक यादव, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विजय शंकर प्रसाद, श्री
विश्रामराय, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र शाह, राजा
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजबिहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराज बली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
श्यामसनोहर मिश्र, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री

श्रीनिवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द , डाक्टर
सहदेव सिंह, श्री
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सीताराम शुक्ल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सुर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
होतीलालदास, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, ४ अप्रैल, १९५६

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

कृषि कर सम्बन्धी पूछताछ

१—श्री रतनलाल जैन** (जिला बिजनौर)—क्या यह बात सही है कि सरकार के उच्च अधिकारियों ने जिले के कृषि कर अधिकारियों को यह आदेश दे रखा है कि यदि कृषि कर दाता के हिसाब से खालिस आमदनी परते के हिसाब से कम है तो स्वीकार न की जाय ?

माल उप मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—जी नहीं ।

श्री रतनलाल जैन—क्या सरकार का कोई ऐसा आदेश है कि कृषि कर दाता जो हिसाब पेश करते हैं उसका व्यय ५५ प्रतिशत से अधिक आमदनी से है तो उसको ठीक न मानें ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—ऐसा कोई डेफिनिट आर्डर तो नहीं है, लेकिन अगर किसी को आमदनी से ५५ प्रतिशत अधिक व्यय हो, तो वह सही नहीं मालूम होता ।

श्री रतनलाल जैन—क्या सरकार को ज्ञात है कि सरकार के कृषिकर विशेषाधिकारी कृषिकर मुकदमों के इन्सपेक्शन में नोट कर देते हैं कि इसका व्यय आमदनी से ५५ प्रतिशत अधिक है, स्वीकार करने योग्य है और उसका रिवीजन दाखिल करने की सिफारिश करते हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—मैंने अभी अर्ज किया कि वे अपने कामनसेंस से कह देते होंगे कि ५५ प्रतिशत से अधिक खर्च नहीं हो सकता, और इसलिए वे ऐसा लिखते होंगे ।

श्री अध्यक्ष—(श्री रतन लाल जैन से) क्या आप पढ़ रहे हैं ?

श्री रतनलाल जैन—जी नहीं नोट कर रखा है ।

श्री अध्यक्ष—तो आप उसको याद कर लें । लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते ।

श्री रतनलाल जैन---क्या सरकार को ज्ञात है कि कृषिकर के मुकदमों में कृषिकर अधिकारी हिसाब को चाहे वह बिलकुल बाकायदा और सही हो क्यों न हो आम तौर पर नहीं मानते हैं और हिसाब पर दाखिल हुए जो मामले हैं उनके केसेज आम तौर से नहीं के बराबर हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---ऐसी बात नहीं है। जो हिसाब सही होते हैं वे माने जाते हैं और जो गलत होते हैं वे नहीं माने जाते हैं।

एटा, बरेली तथा लखनऊ के रेंट कंट्रोलरों के खिलाफ शिकायतें

२---श्री रामदुलारे मिश्र** (जिला कानपुर)---क्या यह सही है कि प्रदेश के कुछ नगरों से रेन्ट कन्ट्रोलरों के खिलाफ गम्भीर शिकायतें सरकार के पास आयी हैं ? अगर हां, तो कहां से और उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

नियोजन मंत्री के सभा सचिव (श्री बलदेवसिंह आर्य)---जी हां। एटा, बरेली और लखनऊ के कन्ट्रोलरों के खिलाफ शिकायतें आयी हैं। इनकी जांच की जा रही है।

श्री रामदुलारे मिश्र---उपरोक्त रेन्ट कन्ट्रोलरों के खिलाफ जो शिकायतें हैं वे कब आयीं और कब से उनकी जांच हो रही है ?

श्री अध्यक्ष---यह तो एक वैयक्तिक प्रश्न हो जायगा। यदि आप आम शिकायत के बारे में पूछते हैं किसी किस्म के, तो मैं इजाजत दे दूंगा। आप सवाल फिर से करें।

श्री रामदुलारे मिश्र---जी हां, आम शिकायतों के बारे में जानना चाहता हूं।

श्री बलदेव सिंह आर्य---एटा के रेन्ट कन्ट्रोलर के विरुद्ध यह शिकायत आयी थी कि उन्होंने कासगंज के एक मकान के एलाटमेंट के सम्बन्ध में अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया और मकान मालिक को उस आदेश के विरुद्ध हाई कोर्ट में रिट आवेदन-पत्र दायर करना पड़ा। हाई कोर्ट ने उस पर गम्भीर निर्णय दिये।

दूसरी बरेली के रेन्ट कन्ट्रोलर के विरुद्ध यह शिकायत थी कि वे अपने अधिकारों का और ऐक्ट का दुरुपयोग कर रहे हैं। उसकी जांच हुई और उनमें से कुछ शिकायतों के बारे में यह मालूम हुआ कि वे सही नहीं हैं और कुछ शिकायतों के बारे में अभी जांच हो रही है। रेन्ट कन्ट्रोलर, लखनऊ के विरुद्ध पक्षपात तथा भ्रष्टाचार की जो शिकायतें आई थी उनकी जांच कराने के पश्चात तत्सम्बन्धित दरख्वास्तें झूंठी तथा उपर्युक्त आरोप निराधार साबित हुए।

राशनिंग विभाग के छटे हुये कर्मचारियों की रोडवेज विभाग में नियुक्ति

३---श्री रामदुलारे मिश्र**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि रोडवेज विभाग की नौकरियों में भर्ती करते समय राशनिंग विभाग के छटे हुए कर्मचारियों को किसी अनुपात विशेष से प्राथमिकता दी जाती है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---जी नहीं।

४---श्री रामदुलारे मिश्र**---यदि हां, तो वह अनुपात क्या है और उस अनुपात के अतिरिक्त क्या शेष स्थानों में अन्य सरकारी विभागों की तरह ५० प्रतिशत बाहरी उम्मेदवारों के लिए सुरक्षण रहता है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---प्रश्न नहीं उठता।

---

† २२ मई, १९५६ को सभा सचिव द्वारा दिये गये वक्तव्य के अनुसार संशोधित।

प्रदेश के पूर्वी जिलों में ओलों से क्षति

**५—श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—क्या सरकार के पास इस बात की सूचना प्राप्त हुई है कि अभी थोड़े दिन पहिले प्रान्त के पूर्वी जिलों में भयंकर ओला पड़ा है जिस से फसल को काफी क्षति हुई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां। कुछ पूर्वी जिलों में ओला पड़ने की सूचना सरकार को मिली है।

**६—श्री रामेश्वरलाल (अनुपस्थित)—क्या सरकार के पास यह सूचना प्राप्त हुई है कि क्षति ग्रस्त जिले कौन-कौन से हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जिन पूर्वी जिलों में ओला पड़ने की सूचना अब तक प्राप्त हुई है उनके नाम इस प्रकार हैं :—

(१) इलाहाबाद।
(२) सीतापुर।
(३) प्रतापगढ़
(४) बाराबंकी।
(५) जौनपुर।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—क्या सरकार को ज्ञात है कि जिस रोज माननीय माल मन्त्री जी देवरिया तशरीफ ले गये थे उस रोज वहां काफी ओला गिरा और वहां की फसल को उस से काफी क्षति पहुंची है ?

माल मन्त्री (श्री चरणसिंह)—मुझे मालूम नहीं है लेकिन कभी-कभी ऐसा जरूर हुआ है कि जहां माल मन्त्री और सूचना मन्त्री सूखे के जमाने में गये हैं तो उस रोज वहां बारिश हुई है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—क्या माननीय मन्त्री जी इस स्थिति में हैं कि वह बता सकें कि इस ओले के गिरने से कितना नुकसान हुआ है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—कितना नुकसान हुआ यह अभी नहीं बताया जा सकता।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या सरकार जो क्षति पहुंची है उस की जांच करा के वहां के लोगों को सहायता पहुंचाने की कृपा करेगी ?

श्री चरण सिंह—इस की जांच के लिए कोई आदेश देने की जरूरत नहीं है। रेवेन्यू मैनुअल में ओला, आग, सूखा, बाढ़ के लिए पुराने नियम हैं और उनके अनुसार वहां के अधिकारी जरूर मौके पर गये होंगे और उचित कार्यवाही की होगी, इस लिए आदेश देने की जरूरत नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मन्त्री जी इस बात की जानकारी हासिल करायेंगे कि आजमगढ़ जिले की फूलपुर तहसील में भीषण ओला पड़ा और वहां फसल की अधिक बरबादी हुई है ?

श्री चरण सिंह—इसका जवाब मैं दे चुका। जानकारी हासिल करने की जरूरत हम महसूस नहीं करते, वह तो अपने आप जांच करेंगे।

श्री रामदुलारे मिश्र—क्या माननीय माल मन्त्री जी को मालूम है कि २४ मार्च को कानपुर में भीषण ओले की वर्षा हुई और उसकी वजह से वहां फसल बरबाद हो गयी ?

नोट—अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ५—६ श्री जगन्नाथ मल्ल ने पूछे।

श्री अध्यक्ष——यह तो पूर्वी जिलों का प्रश्न है, कानपुर उन में नहीं आता। इस की मैं इजाजत नहीं देता।

श्री रामसुन्दर पांडेय——क्या माननीय माल मंत्री फूलपुर क्षेत्र के एम० एल० ए० श्री ब्रजविहारी मिश्र तथा श्री रामसेवक यादव से जानकारी हासिल करके वहां के क्षतिग्रस्त क्षेत्र में मालगुजारी की माफी और सहायता प्रदान करने के प्रश्न पर विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष——इसका जवाब दिया जा चुका।

श्री रामनारायण त्रिपाठी——अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी जिलों में भी तो ओला पड़ा है आप कृपा करके पूछने दें कि किन पच्छिमी जिलों में . . . . . .

श्री अध्यक्ष——वह इस में नहीं आते।

लखनऊ जिले में शराब व भांग की दूकानों की आमदनी में वृद्धि तथा घाटा

****७——श्री रामदुलारे मिश्र**——क्या मादक कर मन्त्री कृपया बतायेंगे कि इस वर्ष लखनऊ जिले में शराब की दूकानों से सरकारी आमदनी में वृद्धि हुई है ? अगर हां, तो कितनी ?

मादक कर मंत्री (श्री गिरधारीलाल)——जी हां। शराब की दूकानों के लिए १९५६-५७ के वर्ष के नीलाम में १९५५-५६ की अपेक्षा ३,३४,७०० रु० की वृद्धि हुई है।

****८——श्री रामदुलारे मिश्र**——क्या यह सही है कि लखनऊ में इस वर्ष भांग की दूकानों में सरकारी आमदनी घटी ? अगर हां, तो कितनी और क्यों ?

श्री गिरधारीलाल——जी हां। भांग की दूकानों के नीलाम में इस वर्ष १९५५-५६ की अपेक्षा ३२,१२५ रु० की कमी हुई। इस कमी के मुख्य कारण यह हैं :——

(१) पहली अप्रैल, १९५६ से गांजा की बिक्री पर प्रतिबन्ध, तथा
(२) तीन दूकानों का बन्द हो जाना।

श्री रामदुलारे मिश्र——क्या माननीय मन्त्री कृपा कर बतायेंगे कि मद्य निषेध की योजना में लखनऊ जिले को लेने पर सरकार विचार कर रही है ? अगर हां, तो कब से और अगर नहीं, तो क्या कठिनाई है ?

श्री गिरधारीलाल——अब तो जैसा कि मद्य निषेध के सिलसिले में बजट के समय में यह बतलाया गया था कि इस योजना को आगे बढ़ाने के विषय में हमें केन्द्रीय सरकार की ओर से भी इन्तजार है। प्लानिंग कमीशन ने जो इन्क्वायरी की है, उसके जो भी आदेश आयेंगे, उनके माफिक कार्यवाही की जायगी। जब आगे कार्यवाही होगी, तो चाहे वह लखनऊ जिला हो या कोई और जिला हो, उस वक्त उस पर विचार किया जायगा।

तारांकित प्रश्न

***१-२——श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी** (जिला हमीरपुर)——[११ अप्रैल, १९५६ के लिए स्थगित किये गये।]

जिला आजमगढ़ की फूलपुर तहसील में गुड़ उन्नति योजना

*३—श्री ब्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले की तहसील फूलपुर के उत्तरी भाग में गुड़ उन्नति योजना लागू की गयी है ?

नियोजन मंत्री के सभासचिव (श्री बनारसी दास)—जी हां ।

*४—श्री ब्रजविहारी मिश्र—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त योजना के अन्तर्गत उक्त क्षेत्र में अब तक क्या-क्या कार्य किये गये हैं ?

श्री बनारसी दास—वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २३५–२३६ पर)

*५—श्री ब्रजविहारी मिश्र—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त योजना के अन्तर्गत इस वर्ष १९५५–५६ में क्या-क्या कार्य किये जाने वाले हैं ?

श्री बनारसी दास—वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २३५–२३६ पर ।)

श्री ब्रजविहारी मिश्र—क्या सरकार को मालूम है कि जिले का यह ऐसा क्षेत्र है जहां सारे का सारा गन्ना कोल्हू में ही पेरा जाता है ?

श्री बनारसी दास—जी हां, मालूम है । वहां पर कोई शुगर फैक्टरी नहीं है इसलिये सारा गन्ना कोल्हू से ही पेरा जाता है ।

श्री ब्रजविहारी मिश्र—क्या उन्नतिशील कोल्हू की बढ़ती हुई मांग को दृष्टि में रखते हुये सरकार इस क्षेत्र के लिये कोई कोल्हू इस वर्ष देने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—इस वर्ष इस कार्य के लिये अधिक धनराशि रखी गयी है और ऐसी आशा की जाती है कि जिन क्षेत्रों में अधिक कोल्हुओं की मांग होगी वहां ये अधिक संख्या में दिये जायेंगे ।

अगोरी, जिला मिर्जापुर में सवैया रोग का प्रकोप

*६—श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को ज्ञात है कि मिर्जापुर जिले के अगोरी परगने में कौन क्षेत्र तथा चतरवार, जोंगईल, परसोई तथा कनहरा आदि गांव के क्षेत्र के निवासियों में सवैया (Yaz) की बीमारी की बहुलता है और वहां अभी तक इसकी चिकित्सा का कोई प्रबन्ध हो नहीं है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सरकार को ज्ञात है कि मिर्जापुर जिले के अगोरी परगना में कोन आदि क्षेत्रों में सवैया का प्रकोप है, मगर यह सत्य नहीं है कि वहां अभी तक इसकी चिकित्सा का कोई प्रबन्ध नहीं हुआ है ।

*७—श्री ब्रजभूषण मिश्र (अनुपस्थित)—यदि हां, तो क्या उक्त क्षेत्रों का सर्वे करा कर वहां चिकित्सा का समुचित प्रबन्ध करने की कृपा की जायेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इन क्षेत्रों में उचित सर्वे हो चुकी है । आठ (८) मोबाइल टीम इस बीमारी के रोकथाम के लिये मिरजापुर जिले में नियुक्त की गयी हैं और कार्य कर रही हैं । दुद्धी तहसील में कार्य समाप्त करने के बाद अब वे अगोरी परगना में कार्य कर रही हैं । कोन क्षेत्र तथा अन्य गांवों में जल्दी ही उनके पहुंचने की आशा है ।

*८—श्री ब्रजभूषण मिश्र (अनुपस्थित)—क्या यह सच है कि इन क्षेत्रों में कोई औषधालय या अस्पताल अभी नहीं खुल पाया है, जब कि जनता तथा जन प्रतिनिधियों ने कई बार इसके लिये सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कोन तथा गहरवार गांव में एलौपैथिक औषधालय खोलने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। चोपन में एक अस्पताल १९५४—५५ में खोला गया है।

*९—११—**कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)—[८ मई, १९५६ के लिये प्रश्न ६—८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

उद्योग विभाग के अन्तर्गत पिछले २–३ वर्षों में नियुक्तियों में हरिजनों की संख्या

*१२—**श्री वासुदेव प्रसाद मिश्र** (जिला मिर्जापुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन्डस्ट्रीज विभाग में सन् १९५४ से अब तक कितनी नियुक्तियां हुई हैं और उनमें हरिजनों की संख्या क्या है ? क्या सरकार नियुक्तियों की सूची मय पद और योग्यता के मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री बनारसी दास—वांछित सूचना एकत्र हो रही है। एकत्र होने पर माननीय सदस्य को भेज दी जायगी।

उद्योग विभाग के मुअत्तिल कर्मचारी

*१३—**श्री वासुदेवप्रसाद मिश्र**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इंडस्ट्रीज विभाग में गत तीन माह से अधिक के मुअत्तिल कितने कर्मचारी हैं और क्या ऐसे कर्मचारियों की सूची मुअत्तिली के कारण सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री बनारसी दास—वांछित सूचना एकत्र हो रही है। एकत्र होने पर माननीय सदस्य को भेज दी जायगी।

कांधला मुजफ्फरनगर के शीराजों के कुटीर उद्योग की दशा

*१४—**श्री श्रीचन्द्र** (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार को ज्ञात है कि कांधला मुजफ्फरनगर के शीराजों का उच्चकोटि का कुटीर उद्योग अत्यन्त ही गिरी हुई दशा में पहुंच चुका है ?

श्री बनारसीदास—जी नहीं।

*१५—**श्री श्रीचन्द्र**—क्या सरकार उपरोक्त कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये उचित कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

श्री बनारसी दास—इस कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार से जिस सहायता की प्रार्थना की जायगी सरकार उस पर अवश्य आवश्यक कार्यवाही करेगी।

*१६—**श्री श्रीचन्द्र**—क्या सरकार बतायेगी कि इन शीराजों के आवेदन-पत्र सरकार की सहायतार्थ आये हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बनारसी दास—(अ) जी नहीं।

(ब) प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्रीचन्द्र—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्होंने कोई जांच करायी है जिससे मालूम हुआ कि शीराजों के उद्योग-धंधे की क्षति नहीं हो रही है।

श्री बनारसी दास—वहां जांच करायी गई है। इस कस्बे के अन्दर लगभग १०० व्यक्ति इस कार्य को करते हैं। उनकी मुख्य कठिनाई यह है कि उनको भारी सूद पर ऋण लेना पड़ता है। इसके लिये उनको सलाह दी गई है कि वे सरकार के पास प्रार्थना पत्र भेजें जिससे उनको सस्ते दर पर रुपया मिल सके। करीब-करीब ऐसे १५ व्यक्ति हैं जो रुपया चाहते हैं। उनको सलाह दी गई है कि वे संचालक, उद्योग विभाग के पास अपने प्रार्थना-पत्र भेजें। प्रार्थना-पत्र आने पर उनको ऋण देने पर विचार किया जायगा।

श्री श्रीचन्द्र—क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच कराने की कृपा करेंगे कि अनेकों आवेदन पत्र भेजे गये किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई ?

श्री बनारसी दास—सरकार के पास किसी प्रकार के आवेदन-पत्र नहीं आये हैं लेकिन जैसा कि निवेदन किया उनको सलाह दी गई थी कि इसके लिये एक फार्म होता है जो संचालक महोदय, उद्योग विभाग के पास होता है, उस पर प्रार्थना-पत्र भेजे जायं। शायद ऐसे १५ आदमी हैं जिनके आवेदन-पत्र आयेंगे, उस समय उन पर विचार होगा।

*१७—१८—**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)—[स्थगित किये गये।]

*१९—**श्री सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी**—[११ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*२०—२१—**श्री रामसुभग वर्मा** (जिला देवरिया)—[२ मई, १९५६ के लिये स्थागित किये गये।]

टाउन एरिया राबर्ट्सगंज, जिला मिर्जापुर में रेंट कन्ट्रोल लागू करने का सुझाव

*२२—**श्री रामस्वरूप** (जिला मिर्जापुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार जिला मिर्जापुर के राबर्ट्सगंज टाउन एरिया में मकान मालिकों द्वारा मनमाने तौर पर किराया बढ़ाये जाने से अवगत है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस बारे में कुछ शिकायतें आई हैं।

*२३—**श्री रामस्वरूप** (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर किरायादारों की कठिनाई दूर करने के लिये वहां रेन्ट कन्ट्रोल ऐक्ट की कुछ धाराओं को लागू करने पर विचार कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां।

*२४—२६—**श्री बसन्तलाल** (जिला जालौन)—[स्थगित किये गये।]

*२७—२८—**श्री बाबूनन्दन** (जिला जौनपुर)—[२५ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*२९—३१—**श्री धर्मदत्त वैद्य** (जिला बरेली)—[स्थगित किये गये।]

आजमगढ़ जिले में राजकीय खादी केन्द्रों का खोला जाना

*३२—**श्री विश्रामराय** (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ जिले में कितने राजकीय खादी केन्द्र खुले हैं और अम्बर चर्खा शिक्षण केन्द्र कहां-कहां खोलने की योजना है ?

श्री बनारसी दास—आजमगढ़ जिले में १४ राजकीय खादी केन्द्र खोले जा चुके हैं। प्रदेशीय खादी विकास योजना के अन्तर्गत अम्बर चर्खे का शिक्षण केन्द्र चलाने की कोई योजना नहीं है।

नोट—तारांकित प्रश्न ३२ श्री रामसुन्दर पांडेय ने पूछा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय उद्योग मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह १४ केन्द्र कहां-कहां है ?

श्री बनारसी दास—यह १४ नाम हैं अगर आज्ञा हो तो मैं पढ़ दूं। वह हैं जहानाबाद, करहा, दोहरीघाट, घोसी, मुहम्मदाबाद, बरुआ, गोदाम, कोपागंज, महाराजगंज, मार्टिन-गंज, कोयलसा, रौनापार, मैं रोदासपुर, अहरौला और अतरौलिया ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या उद्योग मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि अम्बर चर्खा शिक्षण केन्द्र चलाने के लिये सरकार का निकट भविष्य में कोई इरादा है ?

श्री बनारसी दास—जैसा उत्तर दिया गया है अभी जो खादी बोर्ड है उसकी तरफ से यह परीक्षण किये जा रहे हैं और खादी बोर्ड की तरफ से हमारे यहां जोनल डायरेक्टर, मेरठ इस काम को कर रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई केन्द्र नहीं चल रहा है। जब खादी योजना को स्वीकार कर लिया जायगा तो सरकार उस पर विचार करेगी।

*३३-३४—**श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल** (जिला गोंडा)—[२ मई, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*३५—**श्री रामलखन मिश्र** (जिला बस्ती)—[२ मई, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

जिला झांसी की मऊरानीपुर, मौठ तथा गठोरा तहसीलों में जनाना अस्पताल खोलने पर विचार

*३६—**श्री गज्जूराम** (जिला झांसी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला झांसी की मऊरानीपुर, मौठ तथा गरोठा तहसीलों में कोई जनाना अस्पताल है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास—तहसील मऊरानीपुर के जिला बोर्ड द्वारा संचालित मर्दाने अस्पताल में स्त्रियों की चिकित्सा के लिये महिला विभाग (Women's Wing) है। तहसील मौठ और गरोठा में कोई जनाना चिकित्सालय नहीं है।

*३७—**श्री गज्जूराम** (अनुपस्थित)—क्या सरकार उक्त तहसीलों में जनाना अस्पताल खोलने का विचार रखती है ?

श्री बनारसी दास—मऊरानीपुर के महिला विंग के प्रान्तीयकरण का प्रश्न द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विचाराधीन है। गरोठा में एक जनाना अस्पताल खोलने के सुझाव पर जिला चिकित्सालय परामर्श दात्री समिति की राय मांगी गई है, जिसके आने पर इस विषय पर विचार किया जायगा। मौठ में अस्पताल खोलने के लिये कोई प्रार्थना अभी सरकार के पास नहीं आई है। जब आवेगी तब विचार किया जायगा।

श्री लक्ष्मण राव कदम—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मऊरानीपुर में कोई लेडी डाक्टर है, यदि नहीं तो वहां भेजने की व्यवस्था सरकार करेगी ?

श्री बनारसी दास—इस समय वहां कोई लेडी डाक्टर नहीं है। दो तीन साल से इस पर विचार किया जा रहा है कि इसका प्रान्तीयकरण किया जाय। अब इस बात पर विचार किया जा रहा है कि वहां पर कोई किराया का लेडी डाक्टर के लिये एपार्टमेंट मिल सकें तो जल्दी ही इस बात की कोशिश करेंगे कि एक लेडी डाक्टर की स्वीकृति दे दें।

नोट—तारांकित प्रश्न ३६—३७ श्री लक्ष्मणराव कदम ने पूछे।

बुलन्दशहर में शुगर मिल की स्थापना

*३८—**श्री रामचन्द्र विकल** (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि बुलन्दशहर शुगर मिल के खोले जाने की स्वीकृति सरकार द्वारा कब दी गई और यह मिल बुलन्दशहर में कब से चालू है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—पन्नीजी शुगर मिल को गोकुलनगर से हटाकर बुलन्दशहर में लगाने की स्वीकृति केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदान किये गये लाइसेन्स संख्या ८/१५/ ५४, दिनांक १८ मई, १९५४ में दी गई थी। यह मिल गत गन्ने की पिराई के सीजन में दिनांक २८ जनवरी, १९५५ को बुलन्दशहर में चालू की गयी थी।

श्री श्रीचन्द्र—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस गन्ने की फैक्टरी को कितने रुपये की सहायता सरकार ने दी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—एक पैसा नहीं दिया।

जिला हमीरपुर की महोबा व चरखारी तहसीलों में अस्पताल खोलने की मांग

*३९—**श्री मन्नीलाल गुरुदेव** (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अगले वर्ष सन् १९५५-५६ में जिला हमीरपुर की तहसील महोबा तथा तहसील चरखारी के किन-किन ग्रामों में एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक तथा यूनानी अस्पताल सरकार द्वारा खोले जाने का विचार है ?

श्री बनारसी दास—कदाचित् माननीय सदस्य का आशय १९५६-५७ से है। इस वर्ष में कहां-कहां अस्पताल खुलेंगे यह अभी निश्चित नहीं है।

श्री मन्नीलाल गुरुदेव—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह निश्चय कब तक होगा ?

श्री बनारसी दास—यह अभी जैसा कि प्रश्न किया गया है १९५५-५६ में इस जिले में दो एलोपैथिक और एक आयुर्वेदिक अस्पताल खोले जाने वाले थे। एलोपैथिक अस्पताल खोले जा चुके हैं केवल एक स्थान पर डाक्टर नहीं पहुंचा है उसके आदेश दे दिये गये हैं। जहां तक आयुर्वेदिक अस्पताल खोलने का सवाल है वह विचाराधीन है।

श्री मन्नीलाल गुरुदेव—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि चरखारी तहसील को हमीरपुर जिले में मिलाया गया है वहां कोई अस्पताल नहीं है तो क्या वहां अस्पताल खोलने का सरकार विचार रखती है ?

श्री बनारसी दास—यह तो इसी साल १९५५-५६ में चरखारी में एक जनाना अस्पताल कायम किया गया है।

श्री मन्नीलाल गुरुदेव—मेरा मतलब ग्रामीण क्षेत्र से है वहां एक भी अस्पताल नहीं है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अस्पतालों के खोलने के विषय में जो नीति निर्धारित है इस वर्ष के लिये तथा आयन्दा सालों के लिये वह यह है कि पहले अस्पतालों की संख्या तय कर दी जायगी कि अमुक जिलों में इतने अस्पताल द्वितीय पंच वर्षीय योजना में खुलेंगे और नियोजन समितियां इन अस्पतालों को स्थापित करने के विषय में प्राथमिकता प्रदान करेंगी और वह प्राथमिकतायें यहां आयेंगी और उन पर विचार होगा और फिर

नोट—तारांकित प्रश्न ३८ श्री श्रीचन्द्र ने पूछा।

उन पर निर्णय लिया जायगा कि कहां अस्पताल खोले जायं ? उसके अनुसार अस्पताल खोले जायंगे ।

इटावा जिलान्तर्गत भरथना-उसराहार सड़क को पक्का करने का प्रस्ताव

*४०—श्री मिहरबान सिंह (जिला इटावा)—क्या नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इटावा जिले के अन्दर सब से अधिक श्रम से अर्थ वर्क (earth work) किस सड़क पर हुआ है और उस पर तखमीनन कितने रुपये का कार्य हुआ होगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—भरथना–उसराहार सड़क पर किये हुये कार्य का अनुमानित मूल्य ४२,७५० रुपया है ।

*४१—श्री मिहरबान सिंह—क्या नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार इसके लिये कोई ऐसा प्रयत्न कर रही है कि उस सड़क का सोलिंग हो कर वह कुछ कंकड़ वगैरह से पक्की बन जावे जिससे जनता का परिश्रम बेकार न होने पावे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां ।

श्री मिहरबान सिंह—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस सड़क पर अर्थ वर्क के अलावा और कोई ईंट के सोलिंग का काम हुआ है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मेरे पास जो सूचना है उससे ज्ञात होता है कि दो मील सड़क पर कंकड़ पड़ चुका है और दो मील पर शायद पड़ रहा है और आगे ११ मील है । इस विषय में जिला बोर्ड का जो कंट्रीब्यूशन होगा, प्रादेशिक सरकार का होगा और केन्द्रीय सरकार का होगा, उसके तहत में व्यय किया जायगा ।

श्री मिहरबान सिंह—क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि इस सड़क पर जो ईंट का सोलिंग हुआ है उस पर गिट्टी कंकड़ न पड़ने के कारण और ट्रैफिक ज्यादा होने के कारण सोलिंग टूट गया है और यात्रियों के लिये परेशानी की चीज हो गयी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—ऐसी सूचना मेरे पास नहीं है । माननीय सदस्य बतलाते हैं इसलिये मैं और जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करूंगा ।

श्री मिहरबान सिंह—क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि जनता को विश्वास दिलाया गया था कि इस सड़क पर अर्थ वर्क श्रमदान से करा दिया जाय तो पक्की सड़क सरकार करा देगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैंने अभी बताया कि ४ मील पक्की सड़क करने का प्रबन्ध किया है । ११ मील के विषय में जिला बोर्ड एक हिस्सा और एक हिस्सा प्रदेशीय सरकार का जो अनुदान इस कार्य के लिये होता है उससे और केन्द्रीय सरकार जो इस कार्य के लिये अनुदान देती है उसमें से एक हिस्सा सड़क बनाने के लिये कंकड़ बिछाने का पूरा प्रबंध किया जायगा ।

जिला गोरखपुर स्थित सिसवा बाजार और घुघली चीनी मिलों द्वारा सड़कों का निर्माण

*४२—श्री शुकदेव प्रसाद (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चीनी मिल सिसवा बाजार और घुघली जिला गोरखपुर से १९५४–५५ और १९५५–५६ में कितने रुपये सेस से अथवा अन्य करों से उसे प्राप्त हुये हैं ?

नोट—तारांकित प्रश्न ४२–४३ श्री केशव पांडेय ने पूछे ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---घुघली मिल से १९५४-५५ सीजन के सेस का ४,०५, ७७४ रु० १५ आना और १९५५-५६ सीजन के सेस का अब तक ८९,०६२ रु० ११ आना प्राप्त हुआ है। सिसवा बाजार मिल से १९५४-५५ सीजन के सेस का ३,३९,९३९ रु० ८ आना ९ पाई और १९५५-५६ सीजन के सेस का अबतक ५०,००० रु० वसूल हुआ है।

*४३---**श्री शुकदेव प्रसाद** (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि फैक्ट्री से कितनी दूरी तक की सड़कों के बनवाने की जिम्मेदारी मिल मालिकों पर है और उपर्युक्त दोनों मिलों में इसका पालन कहां तक हुआ ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---फैक्टरी के मालिकों का उत्तरदायित्व है कि वे फैक्टरी में गन्ने की गाड़ियों के पड़ाव (Parking Ground) को निकट की आम सड़क से मिलाने के लिये सड़क बनाये ताकि गाड़ियों का (Parking Grouud) में आना सुगम हो सके। अतः किसी फैक्टरी को कितनी दूर तक सड़क बनवानी चाहिये यह बात उस फैक्टरी की स्थानीय स्थिति पर निर्भर होगी सिसवा बाजार तथा घुघली फैक्टरियों की स्थिति इस सम्बन्ध में इस प्रकार है :---

सिसवा बाजार---फैक्टरी ने अपने यहां की पार्किंग ग्राउन्ड को आम सड़क से मिलाने के लिये अब तक कोई सड़क नहीं बनवायी है। फैक्टरी को डेढ़ फर्लांग की दूरी तक पी० डब्लू० डी० की सड़क से मिलाने के लिये सड़क बनवानी चाहिये।

घुघली---मिल के एक ओर पक्की आम सड़क मौजूद है और दूसरी ओर सड़क उसने बनवा ली है। परन्तु तीसरी ओर से गाड़ियों के आने के लिये अभी सड़क नहीं बनी है।

जिलाधीश गोरखपुर ने इन मिलों को उपयुक्त सड़कें बनवाने के लिये लिखा है और उनके उत्तर की प्रतीक्षा हो रही है। उनके जवाब मिलने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार कृपा करके यह बतलायेगी कि इन सड़कों को बनाने के लिये कहां-कहां से रुपये की व्यवस्था की जाती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जहां तक अपनी जगह पर सड़कें बनाने का प्रश्न है वह तो मिल को स्वयं ही करना होता है।

श्री जगन्नाथ मल्ल---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कुल कितना सेस था जिसमें से इतना वसूल हुआ है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---मुझे दुख है कि पूरे सेस का आंकड़ा मेरे पास नहीं है। मैं इसकी जानकारी, यदि हो सकेगा, तो नोटिस मिलने पर दे दूंगा।

श्री केशव पांडेय---क्या सरकार इन सड़कों को अपनी ओर से बनवा कर मिल से या केन यूनियन से पैसा वसूल करने की व्यवस्था करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जहां तक उतनी सड़कों का विषय है जिनका वर्णन उत्तर में किया गया है वह जिम्मेदारी मिल की है और जो मिल ऐसा नहीं करती हैं तो इस सम्बन्ध में जो हमारे नियम हैं उनके अन्तर्गत उनको सजा दी जा सकती है और जुरमाना भी किया जा सकता है। जब जिलाधीश का उत्तर आ जायगा तो जैसा मैंने उत्तर में बताया है, इन मिलों के ऊपर उचित कार्यवाही की जायगी।

श्री जगन्नाथ मल्ल---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कलेक्टर ने कब इन सड़कों के बनवाने के लिये मिलों को लिखा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---यह मेरे पास अभी रिपोर्ट नहीं आयी है। जो केन कमिश्नर ने सूचना दी है उसमें इतना बताया है कि वह जिलाधीश को इस विषय में लिख चुके हैं और उनसे अभी

उत्तर नहीं आया है। तो उत्तर की प्रतीक्षा में हैं। जब उत्तर आ जायगा तो उचित कार्यवाही करेंगे।

श्री केशव पान्डेय—क्या सरकार को मालूम है कि इस मिल एरिया की इन सड़कों के बारे में अनेक बार शिकायतें मिल और सरकार से की जा चुकी हैं, फिर भी यह सड़क बन नहीं रही हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मेरे पास इस विषय की सूचना नहीं है। कदाचित् मेरा ध्यान पहली ही बार इस ओर आकर्षित किया जा रहा है।

*४४–४५—**श्री उमाशंकर**—[९ अप्रैल, १९५६ के लिये प्रश्न ३६–३७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*४६—**श्री गंगाप्रसाद सिंह** (जिला बलिया)—[५ अप्रैल, १९५६ के लिये प्रश्न ६० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

आजमगढ़ जिला बोर्ड को कुछ सड़कों के निर्माणार्थ स्वीकृत धन का न मिलना

*४७—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सितम्बर सन् १९५४ के सप्लीमेंटरी बजट के अनुदान संख्या ४१ में आजमगढ़ जिला बोर्ड की—(१) कप्तानगंज–महाराजगंज, (२) मेहनगर–कम्हरिया और (३) गोकुलपुर–मऊ सड़क के निर्माण के लिये ५८,५०० रु० का जो अनुदान प्रदान किया गया था क्या यह सही है कि उक्त धन अब तक जिला बोर्ड आजमगढ़ को प्राप्त नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वास्तव में ५८,५०० रु० इन सड़कों का सम्पूर्ण सामुहिक व्यय अनुमानित था। एक तिहाई हिस्सा स्थानीय सहायता लोकल कंट्रीव्यूशन से हुआ था और बाकी ३९,००० रु० भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेशीय सरकार को देना था। अभी तक लोकल कंट्रिब्यूशन के बारे में जिला बोर्ड ने हल नहीं किया है। इन सड़कों की अंतिम रूपरेखा निर्धारित होने पर यह धन जिला बोर्ड को स्थानान्तरित कर दिया जावेगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय नियोजन मंत्री को ज्ञात है कि जिन तीन सड़कों के बनाने के लिये रुपया प्रदान किया गया था वह सड़कें जिला द्वारा बना दी गयी हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सब स्थानों की सूचना तो मेरे पास नहीं है। लेकिन जहां तक इस प्रश्न से सम्बन्ध रखने वाली सड़क का विषय है वह तो अभी तक नहीं बनी है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या नियोजन मंत्री इसकी जांच करायेंगे कि वह सड़क जिला बोर्ड द्वारा बनायी गयी है और जो रुपया भारत सरकार ने प्रदेशीय सरकार को प्रदान किया है उसको जिला बोर्ड को वापस कर देंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जिला बोर्ड पूरा धन व्यय करने वाला है। इस बात का निर्णय कर लिया गया है कि एक बटा तीन जिला बोर्ड खर्च करेगा, एक बटा तीन प्रदेशीय सरकार व्यय करेगी और एक बटा तीन केन्द्रीय सरकार के अनुदान से व्यय किया जायगा। तो अवश्य वह धनराशि उनको देने की सहूलियत दी जायगी। जो सूचना मेरे पास है उससे ऐसा निर्णय मालूम होता है कि एक बटा तीन यह तीनों बाडीज जिनका मैंने जिक्र किया है वह धनराशि अपने अपने अनुदान से व्यय करेंगी।

श्री व्रजविहारी मिश्र—क्या माननीय मंत्री महोदय कृपा करके बतलायेंगे कि यह धन कब तक जिला बोर्ड को प्राप्त हो जायगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मेरे पास तो यह सूचना थी कि इस सड़क के बारे में कुछ इस्टीमेट इत्यादि तैयार किया गया था। वह इस्टीमेट हमारे चीफ इंजीनियर पी०डब्ल्०डी० के पास

भेजा गया। उन्होंने कुछ सुझाव उस सड़क को चौड़ी करने के विषय में दिये। तो जिला बोर्ड से कहा कि यह सड़क अमुक मात्रा में चौड़ी होनी चाहिये। जिला बोर्ड ने कदाचित् यह कहा कि यदि वह इस सड़क को अमुक मात्रा में चौड़ी करने की व्यवस्था करेगा तो उनको अधिक धन व्यय करने की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार से यह मामला, जहां तक उस धनराशि का सम्बन्ध है जो प्रदेशीय सरकार और केन्द्रीय सरकार देती थी, पड़ा रहा। इस सड़क के विषय में यदि चीफ इंजीनियर के सुझावों को जिला बोर्ड ने नहीं माना तो फिर प्रदेशीय सरकार को इस बात पर विचार करना पड़ेगा क्योंकि चीफ इंजीनियर इन तमाम सड़कों के इस्टीमेट के विषय में कि कितनी सड़क चौड़ी होनी चाहिये इस प्रकार की सलाह देते हैं। प्रान्तीय सरकार और केन्द्रीय सरकार से अनुदान प्राप्त करने के लियेहम उनकी सलाह लेते हैं और उनकी सलाह पर ही कार्य करते हैं।

देवरिया नगर में अम्बर चर्खा-निर्माण एवं शिक्षण की व्यवस्था

*४८—**श्री रामेश्वर लाल** (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि क्या यह सही है कि देवरिया नगर में अम्बर चर्खा-निर्माण एवं शिक्षण की व्यवस्था की गयी है? यदि हां, तो सरकार उस पर क्या खर्च कर रही है?

श्री बनारसी दास—(अ) जी हां।

(ब) इसका आयोजन अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा हुआ है, प्रदेशीय सरकार उस पर कुछ खर्च नहीं कर रही है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुयी है? चालू हो गयी है या चालू होने वाली है, तो कब तक?

श्री बनारसी दास—यह तो उत्तर दिया जा चुका है कि सरकार की तरफ से नहीं, यह अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की तरफ से देवरिया के अन्दर यह केन्द्र चल रहा है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि खादी बोर्ड ने सरकार के पास कोई आवेदन-पत्र दिया है कि अम्बर चरखे की ट्रेनिंग में सरकार सहायता प्रदान करे?

श्री बनारसी दास—जी नहीं। वैसे अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड को सेंट्रल गवर्नमेंट से सीधे सहायता मिलती है और उसी की तरफ से यह केन्द्र चल रहा है और जितना भी रुपया इन प्रशिक्षण केन्द्रों में खर्च होगा खादी बोर्ड के द्वारा वह सरकार का ही पैसा होगा।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिले मेंशिक्षण केन्द्र खास देवरिया में चल रहा है या और कहीं भी खोले जायेंगे?

श्री बनारसीदास—मैंने निवेदन किया कि वहां पर शिक्षण केन्द्र चल रहा है और उस पर लगभग चार हजार रुपया वैसे व्यय भी होगा।

श्री रामसुभग वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि उस जिले में कहां कहां वह शिक्षण केन्द्र चल रहा है?

श्री बनारसी दास—कहां-कहां चल रहा है इसकी सूचना तो मेरे पास है नहीं। ज्यादा केन्द्र तो चल नहीं रहे हैं जिले में।

राजा का सहसपुर शुगर मिल, जिला मुरादाबाद में गन्ने की खपत

*४९—**श्री महीलाल** (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को ज्ञात है कि शुगर केन फैक्टरी राजा का सहसपुर, जिला मुरादाबाद के गेट पर गन्ना देने वाले गन्ना उत्पादकों

नोट—तारांकित प्रश्न ४८ श्री रामनारायण त्रिपाठी ने पूछा।

की इस वर्ष की पैदावार का क्या अनुमान है और उसमें से अब तक कितना गन्ना फैक्टरी ले चुकी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त——प्राप्त सूचना के अनुसार इस वर्ष राजा का सहससुर शुगर मिल, जिला मुरादाबाद के गेट पर गन्ना उत्पादकों की पैदावार का अनुमान ३० लाख मन है और दिनांक १५ फरवरी, १९५६ तक उक्त मिल गेट पर ११·७१ लाख मन गन्ना खरीद चुकी है ।

श्री जगन्नाथ मल्ल——क्या यह सही है कि वहां का पूरा गन्ना उस मिल के द्वारा नहीं पेरा जायगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त——पूरा तो मेरा ख्याल है पश्चिमी जिले में जितना गन्ना इधर पैदा हो रहा है कोई भी मिल शायद पेर भी नहीं सकेगी क्योंकि उस गन्ने का काफी हिस्सा गुड़ के बनाने में जायगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय——९ लाख मन गन्ना जो शेष रह गया है क्या सरकार उसको परवाने की कोई व्यवस्था करने वाली है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त——जहां तक जो गन्ना उन्हें दिया गया है वह गन्ना तो मिलें ज्यादा से ज्यादा समय तक पेरने की व्यवस्था स्वयं करेंगी, ऐसा आदेश उनको है और ऐसी कार्यवाही विभाग की ओर से हो रही है कि अधिक उन मिलों को चलाकर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में गन्ना पेरा जा सके उसका प्रबंध किया जाय ।

श्री रामसुन्दर पांडेय——क्या यह सही है कि राजा का सहसपुर मिल की ओर से यह इस प्रकार की स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी थी कि २० लाख मन गन्ना इस मिल में पेरा जा सकेगा और अब उसे पेरने में असमर्थ साबित हो रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त——अब यह तो मैं जानता नहीं । लेकिन हमारे विभाग की ओर से इस बात पर बहुत जोर है और हमारे केन कमिश्नर घूम फिर कर मिलों को इस बात के लिए राजी कर रहे हैं कि वे अधिक समय तक मिलों को चलायें और चलाकर जैसा मैंने पहले कहा अधिक मात्रा में गन्ने को पेरवायें । वह ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि जिससे यदि कोई मिल अधिक गन्ना पेरने में असमर्थ है तो उस मिल का गन्ना किसी और नजदीक वाली मिल को दिलाये जिससे अधिक मात्रा में गन्ना पेर दिया जाय ।

श्री जगन्नाथ मल्ल——क्या यह सही है कि उन किसानों को जिनका गन्ना पेरने से बच जायगा उस मिल के द्वारा मुआवजा दिलाने की कृपा करेगी सरकार ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त——मुआवजा का प्रश्न उठता नहीं क्योंकि मैंने बता दिया कि गन्ना बहुत मात्रा में किसानों ने बोया है और जितना मिल गन्ना पेर सकती है, उन्होंने उन मिलों की कैपिसेटी और सामर्थ्य को भी सामने रखते हुये अधिक पैदा किया है । तो गन्ना मिलों से मुआविजा दिलाने का प्रश्न तो उठता नहीं क्योंकि मिलें अपनी कैपेसिटी से जहां तक गन्ना पेर सकती हैं पेरने की चेष्टा कर रही हैं ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी——क्या किसानों का गन्ना जब तक यह मिलें चलेंगी उसी दर से लिया जायगा या कोई दर में कमी की जायगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त——अब इस विषय में तो एक नियम बना हुआ है कि मई के बाद या कोई तारीख बंधी हुयी है उसके बाद जब आयेगा तो रिकवरी बेसिस इत्यादि के ऊपर फिर गन्ने की कीमत दी जाती है ।

*५०—**श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ** (जिला अलीगढ़)——[१८ अप्रैल, १९५६ के लये स्थगित किया गया ।]

*५१—श्रीरामहेत सिंह (जिला मथुरा)—[२ मई, १९५६ के लिये स्थगित किया गया ।]

*५२-५३—श्री गंगा प्रसाद सिंह—[२ मई, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*५४—श्री तेज प्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)—[९ अप्रैल, १९५६ के लिये प्रश्न ३८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*५५-५६—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—[१८ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किये गये ।]

*५७-५८—श्री देवदत्त मिश्र (जिला कानपुर)—[९ अप्रैल, १९५६ के लिये प्रश्न ३९-४० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*५९-६०—श्री यमुना सिंह (जिला गाजीपुर)—[२ मई, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

अमृतसर—कांग्रेस अधिवेशन में यू० पी० हैंडीक्राफ्ट, लखनऊ की दूकान का आय-व्यय—

*६१—श्री गजेन्द्र सिंह (जिला इटावा) (अनुपस्थित)—क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गवर्नमेंट यू० पी० हैन्डीक्राफ्ट, लखनऊ की दुकान अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में गयी थी ? उसमें कितनी आमदनी व कितना खर्च हुआ ?

अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में यू० पी० हैंडीक्राफ्ट, लखनऊ की दूकान का आय-व्यय ।

श्री बनारसी दास—(अ) जी हां ।

(ब) इस पर २०,८९० रुपया व्यय हुआ और इसमें ४,७८३ रुपये की बिक्री हुयी । चूंकि अधिवेशन में भाग लेने का उद्देश्य प्रचार तथा प्रदर्शन था, अतः इससे आमदनी होने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या उद्योग मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि अमृतसर कांग्रेस सेशन में जिस प्रकार से यह दूकान भेजी गई थी क्या उसी प्रकार से और राजनैतिक सम्मेलनों में दूकान भेजे जाने की व्यवस्था है ?

श्री बनारसी दास—इसका वास्तव में राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं है । प्रदर्शिनी कांग्रेस सेशन से काफ़ी दूर थी और प्रदर्शिनी का उद्देश्य तो यही होता है कि जहां पर ज्यादा से ज्यादा हमारा प्रचार हो सके भेज दें बिना लिहाज किसी राजनीतिक पार्टी के ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो रकम व्यय हुई उसमें कर्मचारियों का भत्ता वगैरा कितना है और सामान ले जाने का व्यय कितना कितना है ?

श्री बनारसी दास—यह तफ़सील मेरे पास नहीं है ।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वहां के मैनेजर कै दफ़ा अमृतसर आये और कै दफ़ा गये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अब इसकी सूचना तो है नहीं। मैं नहीं जानता कि कै दफा आये और के दफा गये ।

*६२—श्री तेजासिंह (जिला मेरठ)—[१८ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किया गया ।]

*६३—श्री तेजासिंह—[२० अप्रैल, १९५६ के लिये प्रश्न ४४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

नोट:—तारांकित प्रश्न ६१ श्री राम सुन्दर पांडेय ने पूछा ।

प्रदेश में नमक की व्यवस्था

*६४—**श्री महीलाल** (अनुपस्थित)—क्या रसद व पूर्ति मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रान्त में कुल कितना, कौन-कौन सा नमक आता है और कहां-कहां से आता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—भारत सरकार की जोनल योजना के अनुसार प्रदेश को २८०३ एम० जी० वैगन का मासिक कोटा मिलता है जो निम्नलिखित सूत्रों से प्राप्त होता है :

(१) सांभर	..	..	७१७	एम० जी० वैगन
(२) खारागोडा	..	..	६३७	बी० जी० वैगन
			अथवा	
			१२७४	एम० जी० वैगन
(३) धारंगधरा	..	..	३९२	एम० जी० वैगन
(४) कान्डला	..	..	४२०	एम० जी० वैगन
	कुल	..	२८०३	एम० जी० वैगन

*६५—**श्री महीलाल** (अनुपस्थित)—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त आने वाले नमकों में से कौन-कौन से नमक, किस किस जिले में दिये जाते हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सूची प्रस्तुत है।

(देखिये परिशिष्ट 'ख' आगे पृष्ठ २३७–२३९ पर।)

जौनपुर जिले में ग्राम सेवकों का चुनाव और उसमें पिछड़ी जातियों के उम्मीदवार

*६६—**श्री द्वारका प्रसाद मौर्य** (जिला जौनपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बी० एल० डब्ल्यू० के उम्मेदवारों का चुनाव जौनपुर जिले में किस कमेटी के द्वारा होगा और उसके कौन-कौन से सदस्य होंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—ग्राम सेवकों का चुनाव जौनपुर जिले में नहीं होगा।

*६७—**श्री द्वारका प्रसाद मौर्य**—क्या यह सही है कि जौनपुर जिले में पिछड़ी जातियों तथा अनुसूचित जातियों के उम्मेदवारों के प्रार्थना-पत्र मांगे गये थे ? यदि हां, तो उनके कितने-कितने प्रार्थना-पत्र आये तथा चुनाव कब तक होगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जौनपुर जिले से पिछड़ी जाति के १८१ और अनुसूचित जाति के ३८ प्रार्थना-पत्र आये हैं। चुनाव कब होगा यह अभी विचाराधीन है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि कुल कितने स्थानों के लिये यह चुनाव होने वाला है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सारे प्रदेश में आरजी उम्मीदवार इस विषय में मुकर्रर किये हैं और कैसे चुनाव होगा और किस स्थान पर चुनाव होगा इसका निर्णय डेवलपमेंट कमिश्नर करेंगे। ऐसा समझा जाता है कि कमिश्नरों के स्थान पर ही यह चुनाव भी करेंगे।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—मैंने यह पूछा कि ऐसे कितने स्थान हैं जिनके लिए चुनाव होगा।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस समय संख्या तो बता नहीं सकता।

*६८-६९—श्री बसन्तलाल—[२ मई, १९५६ के लिये स्थगित किये गये ।]

प्रान्तीय रक्षक विभाग के स्थायी कर्मचारी

*७०—श्री रामदास रविदास (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९४९ से ले कर १९५५ तक प्रान्तीय रक्षक विभाग में कितने कर्मचारी स्थायी हुये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—१८ ।

श्री रामदास रविदास—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि उनमें से कितने हरिजन मुस्तकिल हुए हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मेरे पास इस समय इसकी सूचना नहीं है ।

श्री श्रीचन्द्र—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि इस विभाग में कितने अस्थायी कर्मचारी हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—बाक़ी के जितने बचे वे सब अस्थायी हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बतायेगी कि प्रान्तीय रक्षकदल के जो कर्मचारी अब तक स्थायी नहीं किये जा सके हैं उनमें ऐसे कितने हैं जो दस वर्ष से अधिक से काम कर रहे हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कम से कम †११३ के बारे में मुझे जानकारी है उनके विषय में भी आदेश जारी किये जा चुके हैं कि उनको अस्थायी कर दिया जाय ।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो कर्मचारी स्थायी किये गये हैं उसका क्या आधार है और जो नहीं किये गये उनको क्यों नहीं किया गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभी जो स्थायी किये गये हैं वे सीनियर थे तथा उनके विषय में उनके अधिकारियों ने सिफारिशें की थीं । वैसे और भी लोगों के बारे में सिफारिश हैं परन्तु वित्त विभाग जब-जब कुछ विषयों के संबंध में अपनी अनुमति प्रदान कर देता है, तब-तब स्थायी बनाने का प्रश्न आता है और ऐडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट उस पर निर्णय लेता है । निर्णय लेने के पश्चात् आदेश जारी किये जाते हैं ।

श्री जोरावर वर्मा—क्या यह सही है कि स्थायी करते वक्त उन कर्मचारियों का ध्यान नहीं रक्खा गया जो कार्य करने में चतुर थे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह बात बिलकुल गलत है ।

श्री श्रीचन्द्र—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो लोग स्थायी किये गये हैं उनकी अधिक से अधिक कितने सालों की सर्विस हो चुकी थी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कदाचित ९-१० साल की सर्विस उन लोगों की थी ।

श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो कर्मचारी स्थायी बतलाये गये हैं वे किस रैंक के हैं ?

---

†यह संख्या सभा सचिव श्री बलदेव सिंह आर्य के ९-४-५६ के वक्तव्य के अनुसार शोधित है ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त——सब के बारे में केडर तो नहीं बता सकता। कुछ गजटेड रैंक के थे और कुछ नान गजेटेड रैंक के थे।

श्री रामनारायण त्रिपाठी——क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह विभाग अस्थायी है या स्थायी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त——अभी अस्थायी हैं।

श्री गुप्तार सिंह (जिला रायबरेली)——जो लोग अस्थायी हैं क्या उनमें राजनैतिक पीड़ित भी हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त——उनमें राजनैतिक पीड़ित भी होंगे।

श्री जोरावर वर्मा——क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जब यह विभाग अस्थायी है तो रक्षक दल के लोगों को कैसे स्थायी किया गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त——उनमें से कुछ लोग ऐसे विभागों से आये हैं जो स्थायी हैं। चूंकि अभी सारे विभाग के कैडर को स्थायी नहीं बनाया गया, इसलिये विभाग को अस्थायी रक्खा गया है। जब सारे कर्मचारियों को स्थायी करने का निर्णय हो जायगा तब सारा विभाग स्थायी रूप में कार्य करने लगेगा।

राज्य पुनस्संगठन विधेयक के बारे में पूछताछ

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)——मैं एक बात जानना चाहता हूं कि स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन बिल के सम्बन्ध में माननीय वित्त मन्त्री जी ने बतलाया था इस सदन में छुट्टियों के पहले कि उसके सम्बन्ध में वह सूचना सदन को देंगे कि वह विधान सभा के सम्मुख आयेगा या नहीं और उस पर सुझाव भी मैंने दिया था क्योंकि रीजनल कौंसिल्स की भी बात उसमें आती है और उससे उत्तर प्रदेश का भी सम्बन्ध है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को मिलाकर एक रीजन बनेगा। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या निश्चय हुआ है उस सम्बन्ध में और भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच में क्या पत्र व्यवहार इसके सम्बन्ध में हुआ है ?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)——जी, यहां तो वह नहीं पेश हो रहा है। बहस के लिए वह बिल हमारे लेजिस्लेचर में नहीं पेश हो रहा है।

१९५१-५२ के अतिरिक्त अनुदानों के लिए मांग

वित्त मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मसिंह)——अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश सरकार के वित्तीय वर्ष १९५१-५२ के अतिरिक्त अनुदानों के लिये मांग उपस्थित करता हूं।

*उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९५५

†खंड १५ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष——अब उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९५५ पर विचार जारी रहेगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)——अध्यक्ष महोदय, जो धारा १५ इस विधेयक की है जिसके द्वारा मूल अधिनियम में धारा २९ (क) बढ़ायी जा रही है उसमें यह व्यवस्था की जा रही है, उस धारा की उपधारा (१) में कि अगर

---

*१७ फरवरी, १९५६ की कार्यवाही में छपा है।

†३ अप्रैल, १९५६ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

जिससे प्रतिकर पाना हो किसी को वह नियत अवधि के भीतर प्रतिकर न दे तो जिसको प्राप्त करना है वह जिला कलेक्टर को प्रार्थनापत्र दे सकता है और उसके बाद जिला कलेक्टर इस बात की व्यवस्था करेगा कि 'मालगुजारी' की तरह से वह धनराशि वसूल हो। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि वह स्वतंत्ररूप से दो मनुष्यों में लेन-देन की बात थी। तो इसलिये मैं समझता हूं कि सरकार को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। एक तो इससे चकबन्दी की व्यवस्था बदनाम होगी और दूसरे लोगों की गिरफ्तारी और फस्लों और प्रापर्टी की कुर्की होगी जिसमें काफी ज्यादतियां होने की संभावना है, और खासतौर से इस बात का भी ध्यान रखा गया है, इसमें ६ प्रतिशत सूद की व्यवस्था की गयी है। तो ६ प्रतिशत सूद काफी ज्यादा है और जिसके यहां प्रतिकर बकाया होगा वह इस बात की कोशिश करेगा कि जल्द से जल्द दे दिया जाय ताकि सूद न देना पड़े। तो सरकार अगर सूद भी कम करती तो हम लोग इस बात पर विचार कर सकते हैं कि जिला कलेक्टर को उसका प्रार्थना-पत्र दे दिया जाय। तो २९ (१) में नियत अवधि सिर्फ नियम बनाने की जोड़ दी गयी है। इसमें विधान सभा के सामने यह नहीं पता चला है कि एक वर्ष या दो वर्ष, कितनी मियाद के बाद वह प्रार्थना-पत्र दे सकता है। तो मैं समझता हूं इसमें एक मियाद निश्चित कर देनी चाहिये कि इतने समय के बाद न दे सके तब जिला कलेक्टर कार्यवाही करे।

दूसरी बात यह है कि ६ प्रतिशत का सूद बहुत ज्यादा है। प्रतिकर पाने वालों के लिये मेरा तो सुझाव यह है कि दो या ढाई परसेंट काफी होगा। इसलिये मैं इस नयी धारा का इन दो कारणों से विरोध करता हूं और जो पहली व्यवस्था थी वही कायम रखी जाय और आपस में मनमुटाव और हार्डशिप पैदा करने की जरूरत न पड़े, तो अच्छा है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—श्रीमन्, मैं मूल अधिनियम की धारा २९ में जो २९ (क) १ और २ रखी गयी है उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्री अध्यक्ष—आप इस पूरी धारा का विरोध करना चाहें तो करें।

श्री रामसुन्दर पांडेय—जी हां, मैं कर रहा हूं। श्रीमन्, मूल अधिनियम में और इसमें बहुत ज्यादा फर्क है। जो उपधारा २ में यह लिख दिया है कि ६ प्रतिशत की दर से ब्याज लिया जायगा, मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि सेविंग्स बैंक में सरकार ढाई परसेंट सूद देती है और कोआपरेटिव सोसाइटीज बैंक में अधिक से अधिक ५ रुपया देती है, तो मैं समझने में असमर्थ हूं कि जब कि किसान के गल्ले की कीमत और किसान की आमदनी दिन प्रति दिन घटती चली जा रही है ऐसी अवस्था में उनसे ६ रुपया ब्याज लिया जाय, यह कोई अच्छी चीज नहीं है। अच्छा यह होता कि यह व्यवस्था खत्म ही कर दी जाती और कोई अवधि निश्चित कर दी जाती कि उतने समय में रुपया देना पड़ेगा और न देने पर ढाई परसेंट व्याज लिया जायगा। इन शब्दों के साथ मैं इस धारा का विरोध करता हूं।

***माल मंत्री (श्री चरण सिंह)**—अध्यक्ष महोदय, माननीय रामनारायण जी त्रिपाठी ने यह फरमाया है कि अगर मुआविजे का मालगुजारी की तरह वसूल किये जाने का नियम रहा तो लोगों को तकलीफ होगी, क्योंकि कुर्की होगी, इसलिये जो पहले से इसके सिलसिले में कानून बना हुआ है वही रहना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, जिस आदमी को मुआविजा देना है उसको हम केवल इसी रेमेडी पर छोड़ दें कि वह एक रेगुलर सूट फाइल करे, उसकी अपील होती रहे तो परेशानी उसको हो जायगी। जिसको प्रतिकर पाना है, जिसकी फसल भी चली गयी और अब नालिश करता है, उसको एक्जीक्यूटिव कराता है, धक्के खाता फिरता है, बर्षों उसको लग जायंगे। यह एक दूसरी साइड है। यह जिसको कम्पेंसेशन पाना है, उसकी साइड है और रामनारायण जी कह रहे हैं कि जिसको देना है उससे बतौर मालगुजारी वसूल न किया जाय,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

क्योंकि उसको दिक्कत हो जायगी। अध्यक्ष महोदय, जिसको देना है उसे देना चाहिये क्योंकि वह फसल पा चुका है। उसे मौका दिया जाता है कि कितने दिनों के अन्दर दे दो। रूल्स के मुताबिक समय मुकर्रर किया जायगा ६ महीने, ८ महीने, सालभर और इसके अन्दर भी नहीं देता है उसको जिसकी फसल उसने ले ली तो हमको सोचना है कि जिसकी फसल चली गयी। उसको क्यों उसके ही रिसोर्सेज पर छोड़ दें कि वह डिग्री जारी करवाता रहे। क्या वह गरीब आदमी नहीं है और इसमें गरीब-अमीर का सवाल क्या है, किसान और गैरकिसान का सवाल नहीं है, वे सब एकसां हैं, सभी किसान हैं। तो दोनों ही रामसुन्दर जी और रामनारायण त्रिपाठी जी के तर्क मेरी समझ में नहीं आये और मैं असहमत हूं।

दूसरी बात यह कि जिस तरह से कल तकरीरें हुयीं और माननीय रामनारायण जी त्रिपाठी पढ़कर आज आयें होंगे ऐसा मैं उम्मीद कर रहा था लेकिन मुझे अफसोस है कि मुझे आज फिर वही बात दुहरानी पड़ रही है। माननीय त्रिपाठी जी फरमाते हैं कि इस सिलसिले में जो कायदे कानून बने हैं वही रहने चाहिये और बतौर मालगुजारी वसूल करने का संशोधन न किया जाय। मैं उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पहले भी यही था। अब केवल यही हुआ—है कि धारा २९ की उपधारा २ पहले थी—अब इसको हमने धारा २९ की उपधारा दो और तीन निकालकर और उपधारा तीन के शब्दों को बदलकर नई धारा २९ (क) कर दी। लेकिन बिलकुल यही लफ्ज थे कि अगर समय के अन्दर जो नियत किये जायं वह प्रतिकर न दें तो बतौर मालगुजारी के वसूल कर लिया जाय। तो अगर माननीय त्रिपाठी जी पढ़ने की तकलीफ गवारा फरमाते पहले ऐक्ट को, तो उन्हें जो सब काला ही काला दीखता है इस गवर्नमेंट का किया हुआ वह न दीखता।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, सूद वाली बात का जवाब नहीं दिया आपने। ६ परसेंट वाली वह बात है।

श्री चरण सिंह—आठ आने के करीब पड़ा। उसकी फसल निकल गयी। क्यों आपको उस गरीब से हमदर्दी नहीं है ?

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १५ इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १६

१६—मूल अधिनियम की धारा ३३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:— उ० प्र० अधिनियम सं० ५, १९५४ की धारा ३३ का संशोधन।

"३३—(१) सहायक चकबंदी अधिकारी नियत रीत से चकबंदी का व्यय (cost) अवधारित करेगा और उसे उन व्यक्तियों में बांट दिया देगा (distribute) जिन पर चकबंदी-आज्ञा का प्रभाव पड़ता हो,

(२) यदि राज्य सरकार निर्णय करे तो वह आज्ञा दे सकती है कि चकबंदी व्यय की प्रथम किस्त के रूप में कोई निर्दिष्ट धनराशि, नियत रीति से, अग्रिम वसूली की जाय।

(३) इस धारा के अधीन व्यय-रूप में देय धनराशि मालगुजारी के बकाया की भांति वसूल की जायगी।"

श्री रामसुन्दर पांडेय—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रस्तावित धारा ३३ (१) के अन्त में निम्न प्रतिबन्धात्मक शब्द बढ़ा दिये जायं:—

"परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि अवधारित रकम दो रुपये प्रति एकड़ से अधिक न होगी।"

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

श्रीमन्, मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से और सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि कोई काम करते वक्त एक सीमा और कोई एक सिद्धांत अवश्य निर्धारित करना चाहिये। सरकार जो भी काम करना चाहती है खेती-बारी के सम्बन्ध में उस काम के बदले में कुछ लेना चाहती है। जब जमींदारी के खात्मे का सवाल आया तो राजस्व मंत्री जी ने दसगुना का नारा लगाया और सोचा कि दसगुना जमा करके सरकार का काम चलायेंगे और भूतपूर्व जमींदारों के लिये भी सम्पत्ति जमा कर सकेंगे। वह इरादा सरकार का टूटा और पूरा नहीं हुआ। उसी प्रकार सरकार के सामने सीरदारी का सवाल आया तो १५ गुना जमा करने का सवाल उठाया। अब चकबंदी का सवाल है तो उसमें यह कहा जा रहा है कि रुपया दो और रुपये के बदले चकबंदी होगी। यह बात उचित नहीं है सरकार को कुछ काम तो ऐसे करने चाहिये कि किसानों को कुछ न देना पड़े और सरकार जो करोड़ों रुपया लेती है उससे दे। जब जमींदारी थी तब आप का काम ८ करोड़ से चलता था लेकिन पिछले साल राजस्व मंत्री जी ने ही एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि २३ करोड़ ९० लाख की आमदनी प्रदेश की है। सीरदारी के बाद कितना फायदा हुआ, मैं नहीं कह सकता। तो जब इतना मुनाफा खेतिहर किसानों से होता है तो उसमें कुछ हिस्सा तो उनको अब दे दिया जाय चकबंदी के सिलसिले में। सरकार जो पैसा किसानों से लेती है उस पैसे का दूसरों पर खर्च किया जाना ठीक हिसाब नहीं है। यह कोई ठीक इंसाफ नहीं है। मैं निवेदन करूंगा आपसे कि जरा सा आप उन किसानों की ओर ख्याल कीजिये। बहुत कम किसान ऐसे हैं जो ज्यादा खेती जोतते हैं। अधिकतर किसान ऐसे हैं जिनके पास अलाभकर जोतें हैं। अलाभकर जोतों के लिये कांग्रेस ने कई मर्तबा प्रस्ताव पास किया कि अलाभकर जोत वालों से मालगुजारी भी नहीं लेंगे लेकिन आप उनसे चकबंदी के लिये भी पैसा मांग रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि माननीय गेंदा सिंह जी का जो संशोधन है वह जो अवस्था आज किसानों की है, उसको देखते हुये है। खेतों के सम्बन्ध में मैं कहूंगा कि उनकी अलग-अलग मिट्टी होती है, अलग-अलग पैदावार होती है। गांव के सारे खेत एक तरह के नहीं होते हैं। सब खेतों से एक तरह पैसा लिया जाय चकबंदी के लिये यह ठीक नहीं है। दो रुपये प्रति एकड़ का जो संशोधन हमने रखा है उसको माननीय मंत्री जी किसानों की गल्ले की पैदावार का ख्याल करते हुये स्वीकार करें।

*श्री चरण सिंह—अध्यक्ष महोदय, माननीय गेंदा सिंह जी का संशोधन तो यह था कि दो रुपये प्रति एकड़ लिया जाय। तकरीर जो हुयी वह यह हुयी कि बिलकुल न लिया जाय। अच्छा हुआ कि उन्होंने यह नहीं कहा कि दो रुपये प्रति एकड़ और दे दिया जाय। अध्यक्ष महोदय, मैं एक ही बात इस सिलसिले में कहना चाहता हूं, दूसरी नहीं कहूंगा कि इस प्रदेश में टैक्स कहां से आयेगा। मासेज से आयेगा। खर्चा जो भी गवर्नमेंट का होगा, चाहे कंसालिडेशन का खर्चा हो, चाहे ट्यूबवेल्स का खर्चा हो, चाहे किसी भी काम पर खर्चा हो, वह जनता से आना है और हमारे यहां की जनता के माने हैं किसान। लिहाजा ये तकरीरें और यह तर्क कि वह गरीब किसान, वह कहां से देगा बिल्कुल बेमानी हो जाती है। सारा सवाल तो यह है कि यह गरीब किसान नहीं देगा तो और कौन देगा। इसमें, अध्यक्ष महोदय, गलफहमी है हमारे बहुत से लोगों को पढ़े-लिखे लोगों को ज्यादा, जिन्होंने अंग्रेजी ज्यादा पढ़ी है, क्योंकि अंग्रेजी की किताबें हमने पढ़ी जिनको लिखने वाले थे अमरीका और इंगलैन्ड के लोग। उन्होंने अपनी परिस्थितियों के अनुसार सारी एकोनामिक्स की किताबें लिख डालीं। उनके यहां किसान मासेज नहीं है, क्लास है। वे किसान को, मोटर चलाने वाले को, बुलियन मर्चेन्ट को, साइकिस डीलर्स को या जो और लोग हैं इस तरह के उनको रेलीफ पहुंचा सकते हैं मासेज पर टैक्सेशन करके। अमरीका में १०० में १४ आदमी खेती करते हैं, इंगलैन्ड में ६ आदमी खेती करते हैं। तो उनके यहां ८६ फीसदी और ९४ फीसदी जो नान-ऐग्रीकल्चरिस्ट्स हैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वे मासेज हैं। तो वहां किसान क्लास है। वहां किसान को जो रिलीफ दी जा सकती है वह यहां नहीं दी जा सकती है, क्योंकि यहां किसान मासेज है। सारा टैक्स उसी से आयेगा, अगर भला करना चाहते हैं देश का। खर्चा अगर इसमें होना है ५, ६, ८ या ३ रुपये और यह कहा जाय कि वह खर्चा गवर्नमेंट अपने पास से ले आये तो हम ले आयेंगे। स्कूल बन्द कर देंगे अबकी बार जो हमको बनवाने हैं और अस्पताल नहीं खुलवायेंगे। लेकिन जो रुपया हम उधर लगा देंगे स्कूल और अस्पताल बन्द करके या और कहीं से निकाल कर अपने बजट में से, तो वह चाहे कहीं से हम लायें आयेगा वह किसान की जेब से ही। यह तो हो सकता है कि जो और जगह रुपया हम खर्च करना चाहते थे वह इधर डाइवर्ट कर दें लेकिन रुपया दोनों केसेज में किसानों से ही आयेगा। इस मामूली और सीधी सी चीज को यदि रामसुन्दर जी पांडेय याद कर लें तो वे गलत तकरीर करना छोड़ देंगे।

श्री टीकाराम (जिला बदायूं)--अध्यक्ष महोदय, यह बात माननीय माल मंत्री जी ने किसानों के लिये कही और अमरीका की मिसाल दी। वह अंग्रेजी जानते हैं और मैं तो देहात का रहने वाला हूं और गंवार हूं और श्रीमन्, जहां के रहने वाले हैं वहीं का मैं रहने वाला हूं। एक खेत में चार तरह की जमीन होती है दूमट, मटियार वगैरा और उसी के मुताबिक पैदावार में फर्क होना है और उसी के मुताबिक हर चीज का फर्क होता है। यह कहना है कि वह टैक्स किसानों से ही लेंगे और किसान ही लेंगे और कौन देगा। जब आपकी दृष्टि इस तरह की है कि सिवाय किसानों के और कौन देने वाला है तो यह भी देखना है कि उसका हिसाब लेने वाला कौन है। अगर काश्तकारों की तादाद देखें तो छोटे काश्तकारों की तादाद लाखों में है और ५--१० एकड़ के काश्तकारों की तादाद उससे कम है और २५ एकड़ के काश्तकारों की तादाद बहुत ही कम है। जो काश्तकार १, २, ३ और ५ एकड़ के हैं वह तो मजदूर ही हैं।

अध्यक्ष महोदय, अगर उनकी पैदावार का मुकाबिला किया जाय तो मालूम होगा कि किस हिसाब से औसत पड़ता है? किसान अपने हाथ से खेती कर रहे हैं तो उनको मजदूरी तक बचाना मुश्किल हो रहा है। मैं सामान्य काश्तकार हूं। ५० बीघे जमीन रखता हूं। एक हल चलाता हूं, दो बैल रखता हूं और एक भैंस रखता हूं। अगर किसान के यहां पानी का इंतजाम नहीं है, नहर नहीं है, उसकी पैदावार का मुकाबिला करें और देखें कि एक हल चलाने वाला किसान २५ बीघे में खेती करेगा और खरीफ करेगा तो भैंस के लिये चारा भी बोयेगा और ४ बीघे में मक्का ज्वार वगैरा बोयेगा और चार बीघे में चारा बोयेगा। इस तरह से ८ बीघा जमीन निकल गयी और किसान के पास केवल १७ बीघा ही जमीन रह गयी। अब इसमें वह बाजरा, ज्वार वगैरा बोयेगा। अब हिसाब लगा लीजिये कि खरीफ की उसकी उपज क्या होगी। अच्छी से अच्छी पैदावार हो तो मन बीघे से ज्यादा बाजरा नहीं होता है। अब उसके काम देने वाले भी हैं जैसे नाई, बढ़ई, लोहार, धोबी, कुम्हार वगैरा सबको वह नाज ही देता है और इसके अलावा और कोई चीज उसके पास देने को नहीं है। इस तरह से उसकी खरीफ की पैदावार २५--३० मन से ज्यादा नहीं होती है। अब रबी की लीजिये।

श्री चरण सिंह---अध्यक्ष महोदय, मैं प्वाइन्ट आफ आर्डर पेश करता हूं कि यह सब हिसाब बतला रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---थोड़ी देर आप सोशेलिज्म पर जरा व्याख्यान सुन लें। मेरे ख्याल में कम से कम खेती का हिसाब सुन लें।

(इस समय १२ बजकर १२ मिनट पर श्री अध्यक्ष के चले जाने पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुये।)

श्री टीकाराम---अध्यक्ष महोदय, अब रबी की पैदावार लीजिये। ४ बीघे में वह जो बोयेगा और दो बीघे में वह चारा वगैरा बोयेगा अब इस तरह से १९ बीघे रह गये जिसमें

[श्री टीका राम]

वह गेहूं, जौ, चना मटर वगैरा बोयेगा, अब कोई भी चीज बो ले उसकी उपज का औसत दो मन बीघा से ज्यादा नहीं पड़ता है। अब औसत रबी की पैदावार ६० मन से ज्यादा नहीं हो सकती है। इस तरह से खरीफ की पैदावार को मिलाकर ८५/९० मन से ज्यादा नहीं होती है। अगर एक कुटुम्ब में खाने वाले केवल ५ आदमी ही लीजिये तो .....

श्री चरणसिंह---उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय ने मुझे मश्विरा दिया था कि मैं सोशलिज्म का व्याख्यान सुन लूं। वह व्याख्यान मैंने काफी सुन लिया और अब मैं आप से अपील करता हूं कि अमेंडमेंट का उनकी तकरीर से वास्ता उतना ही है जितना कि एक भैंस का बैल से होता है यानी कहने का मतलब यह है कि कोई वास्ता नहीं है। आप सबका हिसाब बतला रहे हैं और गेंदा सिंह जी का संशोधन जिसे श्री पांडेय ने पेश किया यह है कि प्रति एकड़ दो रुपये से ज्यादा नहीं होगा। यदि छः एकड़ है तो १२ रुपये लिये जायंगे।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य अपने संशोधन पर ही बोलें तो अच्छा है।

श्री टीकाराम---मैं इसलिये हिसाब लगा रहा हूं कि किसान देगा कैसे। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि वह मेरा हिसाब भी सुन लें।

उपाध्यक्ष महोदय, उसके घर में अगर ५ आदमी हैं उनको १२ छटांक आटा तो देना ही पड़ेगा क्योंकि जेल के हिसाब से तो उनको देना ही चाहिये। तो ५ आदमियों के लिये ४ सेर आटा रोजाना चाहिये और महीने का ३ मन हुआ और साल भर का ३६ मन आटा हुआ जो एक साल के लिये उसको देना जरूरी है। इसके अलावा एक जोड़ी बैल और एक भैंस, तो इनको डेढ़ सेर तो दाना देना जरूरी ही है।

श्री उपाध्यक्ष---मैं माननीय सदस्य को बतलाना चाहता हूं कि इस हिसाब से इसका कोई संबंध नहीं है।

श्री टीकाराम---तो इसका भार जमीन पर ही तो पड़ेगा। जब उसके पास बचेगा नहीं तो फिर वह कहां से देगा। उपाध्यक्ष महोदय, जरा मेरी बात को सुन लिया जाय। जब यह हालत हो गयी तो ३६ मन अनाज निकल गया। ४ मन बीज के लिये उसको चाहिये। तो कुल मिलाकर ४० मन अनाज उसको चाहिये अब। तेल की उसको जरूरत है साल भर के लिये। ३ मन सरसों चाहिये। कपड़ा उसके पास है नहीं तो अब माल मंत्री जी हमको बतलायें कि जब उसके पास रहता नहीं है तो वह किसान लायेगा कहां से आप सब उससे लेना चाहते हैं। रोटी भी तो उसको जिन्दा रखने के लिये आप दीजिये। मजदूर से अगर कोई किसान काम कराता है तो उसको भी तो वह मजदूरी देनी पड़ती है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि मजदूरी करके पेट पालते हैं। तो इस प्रकार के सब हिसाब को लगाकर मैं यह ठीक समझता हूं कि २ रुपये रखने का जो यह प्रस्ताव आया है उसको आप स्वीकार करें।

श्री चरणसिंह---उपाध्यक्ष महोदय .....

श्री रामनारायण त्रिपाठी---माननीय मंत्री जो अपनी इन्टरविनिंग स्पीच दे चुके हैं। उमाशंकर जी खड़े हुये थे तो उनको मौका मिलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सदस्यों को खड़ा होने का मौका दिया गया। अब मंत्री खड़े हो चुके हैं और मैं उनको बोलने के लिये पुकार चुका हूं।

श्री चरण सिंह---उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई उसूल की बात नहीं है और न किसी व्याख्यान की जरूरत है। हम केवल यह रख रहे हैं यह पहले भी था उसमें

थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। नियम में यह तय कर दिया जाय कि इतना खर्च होगा। इसके लिये नियम बना दिया जाय। गेंदा सिंह जो यह चाहते हैं कि दो रुपये से ज्यादा खर्च न हो। हम यह चाहते हैं कि डेढ़ रुपया हो जाय, १२ आने हो जाय लेकिन उसको पहले तय नहीं किया जा सकता कि इतना हो सकता है। यह हो सकता है कि इससे ज्यादा हो जाय २॥ रुपया हो जाय २ हो जाय या ३ हो जाय। पंजाब में ४ रुपया फी एकड़ वसूल किया जाता है। उन्होंने अपने यहां ४ रुपये का नियम बना रखा है। हम भी अब इसके लिये नियम बना रहे हैं। कम से कम रखने की कोशिश करेंगे लेकिन पहले से यह तय नहीं किया जा सकता है कि दो रुपया हो। इतना तो हमको दिखाई दे रहा है कि २ रुपये से ज्यादा होगा। यदि हम यह संशोधन मान लेते हैं तो खर्चे का बाकी हिस्सा पब्लिक एकसचेकर पर पड़ जायगा और वह बहुत बोझ होगा। इसलिये मैं यह संशोधन मानने के लिये तैयार नहीं हूं। मैं श्री टीकाराम जी की तकरीर के सिलसिले में एक बात याद दिलाना चाहता हूं। एक खर्चा और एक आमदनी वह याद दिलाना भूल गये। भूसे से गोबर बनता है और उससे उपले बनकर बदायूं में बिकते हैं और दूसरे यदि किसान इलेक्शन में खड़ा हो जाय तो वह खर्चा भी भूल गये। तो ये बातें गैरमुताल्लिक हैं। जो किसान १ एकड़ जमीन का है और ३ रुपये खर्चा पड़ता है तो वह ३ रुपये देगा और जो २५ एकड़ का है वह ७५ रुपये देगा। जितनी जिसकी जमीन है उसके तनासुब से वह खर्चा देगा। हां, मैं माननीय टीकाराम जी की हिम्मत की तारीफ करूंगा कि उन्होंने यह समझकर कि वह किसी गांव में चौपाल पर व्याख्यान दे रहे हैं अपना व्याख्यान दिया, इसकी मैं जरूर तारीफ करूंगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्री जी की दलील ऐसी नहीं हुई जिससे हम अपना संशोधन वापस ले लें। मूल अधिनियम में और दूसरे संशोधन विधेयक में यह था कि परताल का काम सहायक चकबन्दी अफसर करेगा परन्तु अब वह लेखपालों को दे दिया गया है, अर्थात् ऊंची तनख्वाह वालों से लेकर काम नीची तनख्वाह वालों को दे दिया गया है। तो सरकार का खर्चा कम होना चाहिये। जब आप तहसीलदारों से लेकर काम लेखपालों को देते हैं तो खर्चा अवश्य कम होना चाहिये। उधर आप समय की भी कमी कर रहे हैं कि १५ दिन में हों। तो और भी कम खर्चा होना चाहिये। फिर इतना खर्च क्यों लिया जाता है, इसका जवाब मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से चाहूंगा। क्यों खर्चा ज्यों का त्यों रखा जाता है?

माननीय टीका राम जी का व्याख्यान माननीय मंत्री जी से बरदाश्त नहीं हुआ। लेकिन उन्हें इसका खयाल करना चाहिये कि आप किस अनुपात से किसान से लेना चाहते हैं उससे ले कितना रहे हैं। मालगुजारी में आप कितना लेते थे और अब कितना ले रहे हैं, यह भी सोचना चाहिये। अलग अलग खेतों की पैदावार अलग अलग है, किसी की पैदावार १०० रुपये एकड़ है और किसी की २० रुपये एकड़ है। हमारे यहां बहुत से ऐसे गांव हैं जिनका सर्किल रेट २ रुपये एकड़ है और उसी के पास वाले गांव में १८ रुपये हैं। तो क्या कारण है कि चकबन्दी के लिये दोनों एक ही रेट से दें? यह संशोधन इसलिये रखा गया है कि चूंकि अब सरकार का खर्चा कम हो गया है इसलिये इसका खर्चा २ रुपये से ज्यादा न लिया जाय। सरकार को हर काम में दूकानदारी नहीं करनी चाहिये। कुछ काम किसान के लिये ऐसा भी करना चाहिए जिससे उसे यह महसूस हो कि सही मानों में सरकार उसके लिए कुछ कर रही है। सूद दर सूद किसान से वसूल नहीं करना चाहिये। मैं आपके जरिये माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप दोनों तरफ का ख्याल करें, अपने खर्चे का और साथ साथ किसानों का भी। २ रुपये से ज्यादा किसी तरह से भी चकबन्दी का खर्चा नहीं लेना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारे संशोधन को मान लें।

श्री चरण सिंह—मुझे स्वीकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि प्रस्तावित धारा ३३ (१) के अन्त में निम्न प्रतिबन्धात्मक शब्द बढ़ा दिये जायं :—

"परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि अवधारित रकम दो रुपये प्रति एकड़ से अधिक न होगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ—

पक्ष में—८

विपक्ष में —७४।)

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के इन शब्दों को सुनकर मुझे यह विश्वास हुआ है कि वे किसानों को बहुत धनिक समझते हैं और उन्होंने यह भी तय कर रक्खा है कि उनसे पैसा वसूल किया जायगा। उनके ये शब्द हैं कि हमारे प्रदेश की जनता के माने ही किसान हैं। और यह कहना कि जो टैक्स भी लगते हैं वे सब किसानों के ऊपर ही जायेंगे यह कह कर उनके ऊपर टैक्स की भरमार करते जाना ठीक नहीं है। इसलिये मैं अपना यह कर्त्तव्य समझता हूं कि माननीय मंत्री जी से किसानों की ओर से कुछ सिफारिश करूं। माननीय मंत्री जी की नीयत पर मैं विश्वास करता हूं। उन्होंने बहुत देशों के साहित्य को पढ़ा होगा, किताबों को छाना होगा तब वे धारा १६ को लाये होंगे लेकिन उन्होंने अपनी तैयार कराई हुई जमींदारी उन्मूलन कमेटी की रिपोर्ट नहीं पढ़ी। उसको भी उन्हें पढ़ना चाहिये था, उसमें लिखा हुआ है कि हमारे प्रदेश के १०० में ७३ किसान ऐसे हैं जो सालभर के लिये अपना खाना भी पैदा नहीं कर सकते हैं। उनके पास साधन नहीं है। अपने सालभर के खाने के लिये बच्चों को खानों और मिलों में मजदूरी करने को भेजते हैं, फाकाकशी करते हैं, एक वक्त खाते हैं, और अपना गुजारा करते हैं, उन्हीं किसानों के ऊपर माननीय मंत्री जी ने चकबन्दी का नया टैक्स शुरू कर दिया है। माननीय मंत्री जी को यह भी पता नहीं है कि चकबन्दी का टैक्स कितना होगा। इसलिये उन्होंने अग्रिम टैक्स लगाने की व्यवस्था कर दी है। इससे और परेशानी मालूम होती है। इस धारा के अनुसार जो नियमावली बनी है उसमें चकबन्दी अधिकारी, सहायक चकबन्दी अधिकारी, चकबन्दी कर्ता, पैमाइश करने वाला, मिट्टी के वर्ग बनाने वाले, चपरासी और लेखपाल आदि तमाम लोग होंगे जिनकी तनख्वाहें किसानों के ऊपर पड़ेंगी। मैं कतई इस हक में नहीं होता कि तीन खाते बनाये जायं यदि यह सरकार समूची व्यवस्था कर सकती, शांति कायम कर सकती। मैं तो यह कहता कि एक एक चक सबको दे दिया जाय और सब लोग अपने अपने चक में घर बनवा कर रहें लेकिन मुझे इस सरकार पर दया आती है। आज हालत ऐसी है कि अगर कोई आदमी अपने आदमियों और पशुओं के साथ अपने चक पर जाकर रहे तो दिन में ही उसको लूट लिया जाय। लिहाजा यह नामुमकिन है कि एक एक चक बनते क्योंकि इस सरकार की सही व्यवस्था नहीं है, यह सरकार तो एक नाममात्र की सरकार है। इसके राज्य में लोगों को निर्भयता नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में एक तरफ तो सत्य का प्रचार महात्मा गांधी करते थे और दूसरी तरफ आज जब उनके लोग सरकार में बैठे हैं तो असत्य और अनैतिकता का बोलबाला है और खुले आम न्याय की कुर्सी पर बैठकर माल विभाग के कर्मचारी अन्याय कर रहे हैं। चकबन्दी एक अस्थायी व्यवस्था है जो कर्मचारी माल विभाग के चकबन्दी में लगे हैं उनकी नौकरी भी अस्थायी है और वह चाहते हैं कि जितनी देर तक इस काम को चलाया जा सके अच्छा है। नियमावली में यह भी लिखा है कि दफा ४ में जब एलान होगा कि चकबन्दी में यह क्षेत्र हैं उस वक्त से आखिर तक यह कर्मचारी गांव के किसानों के ऊपर लदे रहेंगे और एक एक दिन का एक एक पैसे का खर्च रोशनाई और कलम का खर्च सब किसान से लिया जायगा, दौरे आदि का सब खर्च वसूल किया जायगा। इस तरह से तो कोई लिमिट खर्च की नहीं रहेगी और वह दस रुपये प्रति एकड़ भी हो सकती है। नमूने के

तौर पर मैं आपको बता दूं कि हमारे जिले की बगल में सदर तहसील में चकबन्दी हो रही है, वहां एक किसान को बताया गया कि तुम्हारा अमुक चक बन गया तो वह किसान घबरा कर कुयें में कूद गया कि ऐसा खराब चक मुझे मिल रहा है। मैं तो यह हालत देखकर परेशान हो गया। वहां रिश्वत की इतनी भरमार है कि जितना यह सब खर्च या टैक्स होगा उससे पांच गुनी घूस वहां लोगों को देनी पड़ रही है और जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि इसमें खर्च बढ़ेगा और दूसरी तरफ जब घूसखोरी भी बढ़ेगी तो वही हिसाब होगा कि चौबे जी बनने चले छब्बे बन गये दूबे। काश्तकार तो दोनों तरफ से लूटा जायगा बजाय इसके कि उस को चकबन्दी का लाभ पहुंचे और भी संकट में फंस जायगा। जिस तरह से बटवारे में कहा जाता है कि जिस गांव का बटवारा होता है वह बिक जाता है। इसी तरह से मैं समझता हूं कि किसानों को अपने खेत बेचकर ऐसी चकबन्दी में चक खरीदने पड़ेंगे।

माननीय मंत्री जी ने अमरीका और रूस के चक पढ़े होंगे और वहीं की तरह उन्होंने शायद वहां के समाज को भी सुव्यवस्थित समझ लिया है और वहीं की तरह वह यहां भी कानून लागू करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि उस तरह की चीज यहां नहीं चल सकती। इसलिये मंत्री जी को फिर से पढ़कर एक नई धारा लानी चाहिये कि जिससे किसानों पर कम बोझ पड़े और एक बार फिर मैं उनके हृदय को अपील करता हूं कि वह जिस सरकार में हैं अच्छा हो कि वह जरा जमींदारी उन्मूलन कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ें जो उन्हीं लोगों की स्वयं बनाई हुयी है जिसमें साफ लिखा हुआ है कि हमारे यहां १०० में से ७३ किसान साल भर के लिये खाना नहीं पैदा करते और वह मुश्किल से गुजर बसर करते हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि इन किसानों से चकबन्दी के लिये कोई अग्रिम या कोई कर न लिया जाय। इस तरह की व्यवस्था की जाय कि चकबन्दी उनके लिये मुफ्त की जाय, वह मालगुजारी तो देते ही हैं आप टैक्स लेते हैं किस काम के लिये वह तो इसी व्यवस्था के लिये आप लेते हैं। इसलिये आप उसके मुफ्त चक बनाइये और न बना सकें तो यह अग्रिम वसूल करना आप अवश्य रोकें।

श्री रामसुन्दर पांडेय---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं खंड १६ का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। खंड १६ में ३३ (१) और (२) उपधारायें जोड़ी गईं। इनमें दो तरह की व्यवस्था है कि चकबन्दी में जो व्यय पड़ेगा चकबन्दी आफिसर उसको बांटेगा। दूसरी में यह कहा गया है कि राज्य सरकार यदि निर्णय करे तो चकबन्दी व्यय की प्रथम किस्त अग्रिम वसूल कर ली जाय। मैं इन दोनों व्यवस्थाओं का सख्त विरोध करता हूं। श्रीमन्, मैं माननीय माल मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरा यह विश्वास है कि वे इसको जानते भी हैं कि किसान को वे प्रत्यक्ष कर देने के लिये जो मजदूर कर रहे हैं, इसके अलावा उसको अप्रत्यक्ष कर भी देना पड़ता है। उसको अच्छा खेत और जितना खेत है, उतना खेत प्राप्त करने के लिये कई जगह देवी देवताओं की पूजा करनी पड़ती है। इसकी जानकारी मेरा ख्याल है कि राजस्व मंत्री को है। लेकिन राजस्व मंत्री प्रत्यक्ष कर की ओर ध्यान देते हैं, अप्रत्यक्ष कर की ओर ध्यान नहीं देते। मैं समझता हूं कि जिस नियत से आप चकबन्दी करने जा रहे हैं, उस चकबन्दी का फायदा उठाने के पहले उसे पहले अपना खेत देना पड़ेगा और खेत देने के बाद चकबन्दी का फायदा मिलेगा। श्रीमन्, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि किसी तरह से भूमिधरी में बहुत से किसानों ने दस गुना जमा किया और अपने खेतों को बन्धक रख दिया उसी प्रकार से टैक्स उसको देना होगा और टैक्स देने के पहले उसको बन्धक रखना पड़ेगा। यह तो प्रत्यक्ष कर देना ही होगा, और देवी देवताओं की पूजा भी करनी ही होगी। उसके लिये भी श्रीमन्, वह मजबूर होता है और राजस्व मंत्री जी अगर चाहें तो हजार, दो हजार सबूत दूं। लेकिन यह सरकार उसके पक्ष में निर्णय नहीं करती है, बल्कि उन्हीं अधिकारियों के पक्ष में निर्णय करती है जो कि किसान को लूट रहे हैं और इस चकबन्दी योजना को कलंकित कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि पहले वसूल करने की योजना उपधारा में बढ़ाई गई है यह बहुत ही खराब है। कोई आदमी ऐसा नहीं करता है,

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

न्याय भी नहीं है कि पहले ही कीमत दे दी जाय किसी सामान की, घर में चीज आये या न आये। यह राजस्व मंत्री जी की योजना है कि उस गांव या उस किसान की चकबन्दी हो या न हो लेकिन रुपया पहले वसूल कर लिया जाय। किस लिये वसूल किया जाय, क्यों वसूल किया जाय, इसका कोई तरीका होना चाहिये। यह कोई दूकानदारी नहीं होगी। अगर पहले पैसा जमा करता है तो उसको लाभ होना चाहिये। उसको यह लाभ होना चाहिये कि जो सरकार मालगुजारी वसूल कर रही है, प्रत्येक्ष कर ले रही है उसमें कमी होनी चाहिये। लेकिन सरकार बिलकुल हठवादिता पर तैयार है, वह टैक्स में कमी करने के लिये तैयार नहीं है।

मैं राजस्व मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि वे शिकमी किसान के पक्ष में बहुत हैं लेकिन शिकमी किसानों के पक्ष में रहते हुये, शिकमी किसानों से सरकिल रेट से दूनी मालगुजारी वसूल करवा रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि जो किसान सरकिल रेट की दूनी मालगुजारी दे और टैक्स भी अदा करे, और उसी किसान पर सरकिल रेट का ख्याल न करते हुये इस तरह से अप्रत्यक्ष कर लिया जाय इसको सरकार को सोचना चाहिये। यदि नियोजन मंत्री माननीय चन्द्रभानु गुप्त जी इस बात को कहते तो कुछ आश्चर्य न होता क्योंकि उनको किसानों के बारे में जानकारी नहीं है, किसान किस तरह से मेहनत करते हैं, कैसे गल्ला पैदा करते हैं, किस भाव से गल्ला बेचते हैं, क्या क्या दिक्कतें होती हैं। उसकी माननीय नियोजन मंत्री को पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन माननीय राजस्व मंत्री चौधरी चरणसिंह जी, मैं समझता हूं कि किसानों से ज्यादा संबंध रखते हैं, वह वहां पर इस तरह का विधेयक पेश करते हैं और जब उसका विरोध होता है तो विरोध में इस तरह से जमे रहते हैं, तो तकलीफ होती है हमारे ऐसे आदमियों को। सरकार शिकमी किसानों के साथ इतना हमदर्दी दिखलाती है और उनको राहत देने के लिये कानून बनाती है लेकिन उनसे पहले ही टैक्स वसूल करना चाहती है। इससे उनकी क्या हालत होने वाली है? मैं निवेदन करूंगा कि सरकार को इस धारा के संबंध में बहुत संजीदगी के साथ सोचना चाहिये और श्रीमन्, अगर सरकार चाहती है कि चकबन्दी योजना सफल हो तो इस धारा को निकाल देना चाहिये। टैक्स का वसूल करना बिलकुल अन्याय है और अन्याय की बातें लोकतंत्रात्मक सरकार के आदर्श के विरुद्ध होती हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि खंड १६ को माननीय राजस्व मंत्री जी इस विधेयक से निकालने की कृपा करें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—उपाध्यक्ष महोदय, वास्तविकता तो यह है कि कांग्रेस सरकार की भूमि सम्बन्धी नीति बिलकुल निराधार है। माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि अगर छोटा किसान है तो उसको चार रुपये के हिसाब से छोटी रकम देनी पड़ेगी और जो बड़ा किसान है उसको बड़े रकबे के हिसाब से बड़ी रकम देनी पड़ेगी। छोटे बड़े का सवाल ही नहीं है। अभी हाल ही में विधान परिषद में विरोधी दल के नेता ने यह प्रश्न उठाया था कि ऐग्रीकल्चरल इनकम टैक्स कायम कर दिया जाय, लगान न लिया जाय। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण था। उस समय सरकार की तरफ से माननीय हाफिज मुहम्मद इब्राहीम साहब ने जवाब दे दिया कि वह तो कर जो लगता है वह ऐग्रीकल्चरल इनकम टैक्स और आमदनी का प्रश्न यहां नहीं छेड़ा जाना चाहिए क्योंकि जमीन के इस्तेमाल के बदले में वह कुछ रुपया दे दिया करते हैं। यह लफ्ज उनके थे। अब यह प्रश्न उठता है कि जमीन किसकी है। इसके मानी यह है कि जमींदारी टूटने के बाद, उन्होंने यह मंजूर कर लिया कि जमीन सरकार की है, सरकार खुद जमींदार है और किसानों को कोई हक नहीं है जमीन पर। तो सरकार किस हिसाब से टैक्स लेती है। आमदनी का टैक्स तो हो सकता है। लेकिन जब सरकार खुद जमींदार है, जमीन का मालिक किसान नहीं है तो फिर उनसे एक ऐडिशनल वर्डेन के रूप में क्यों रुपया वसूल करने जा रही है? माननीय राजस्व मंत्री इसको भी स्पष्ट कर देंगे कि सरकार जमींदार है या किसान मालिक है और किस हिसाब से ऐग्रीकल्चरल इनकम टैक्स का विरोध किया जाता है और उससे लगान लिया जाता है। ऐसी सूरत में जब कि

सरकार मालिक है तो मालिक सरकार हो और चकबन्दी का खर्चा किसान से वसूल किया जाय यह बिलकुल नामुनासिब बात है ।

दूसरी बात यह है जैसा कि माननीय टीकाराम जी ने बताया, ८ करोड़ ५६ लाख रुपया सिर्फ दो रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से हो जाता है तो क्या सरकार का इरादा है कि पूरा बजट इसी से पूरा कर लें एक साल का क्या केवल चकबन्दी से ही वह सारा रुपया पूरा कर लेना चाहती है ? सरकार को इस सम्बन्ध में सफाई करनी चाहिए । यह प्रश्न किया जाता है कि देने वाला कौन है, किसान की चकबन्दी हो रही है तो देने वाला कौन है और हम बताते बताते थक गये कि देने वाला कौन है । अगर मान लिया जाय कि सरकार की योजना के मुताबिक दस करोड़ रुपया का सवाल है, चार रुपये के हिसाब से किसान से दस ग्यारह करोड़ रुपये के वसूल करने का सवाल है । इस सदन में बार-बार कहा जा चुका है कि केवल ६६ मिल मालिक ऐसे है हमारे सूबे में, जिनको कि सालाना २० करोड़ रुपये का फायदा हुआ करता है, तो ६६ आदमी एक तरफ और सारे सूबे के किसान, जिसमें माल मंत्री स्वय कहते हैं कि जब हम जमीन के बटवारे का प्रश्न उठाते हैं तो कहते कि ७३ फीसदी किसान ऐसे हैं जिनके पास ५ बीघे से कम जमीन है । तो उन लोगों से क्यों नहीं लिया जाता ? और इस प्रकार गरीब जनता से आंख मूंद कर के टैक्स लगना हर प्रकार से बहाने बाजी करना, इस तरह का सरकार का रवैया निन्दनीय है और मैं समझता हूं कि यह ज्यादा नहीं चल सकती ।

पुरानी बात को क्या याद दिलायें, राजस्व मंत्री जी तो है नहीं, माननीय शर्मा जी हैं, वह भी कांग्रेस ऐग्रेरियन कमेटी के मेम्बर थे और उन्होंने इस बात की घोषणा की थी अनइकोनोमिक जोतों पर लगान नहीं लगेगा, जो अनार्थिक खेत है उन पर लगान नहीं लगेगा, वह भी आपने माफ नहीं किया और अब चकबन्दी पर भी टैक्स लगाना और सरकार का मालिक बनना कहां तक बर्दाश्त किया जा सकता है, कहां तक उनकी कमर तोड़ी जा सकती है । तो ऐसी हालत में यह धारा निकाल दी जाय और सरकार ने स्वयं घोषणा की कि चकबन्दी का सारा खर्चा सरकारी खजाने से होगा क्योंकि राजस्व मंत्री जी ने कहा कि सरकार जनता की है, खास कर गरीब किसानों की, तो फिर १७ करोड़ का खर्चा लगाना कहां तक न्याय-संगत है ? अगर दूसरे से लेना होता तो बात दूसरी थी लेकिन जब किसान सारे बजट का भार बर्दाश्त करता है तो फिर यह टैक्स लगाना मुनासिब नहीं है । आपका बहुमत है, कनसौल-डेटेड फंड से जितना रुपया चाहें निकाल लीजिये उसके लिये परमानेंट कायदा आपने बना रखा है । तो आपको ऐसी कौन सी कमी पड़ गई कि पहले से टैक्स लेना शुरू करें ? पहले ले लीजिये और उसके बाद कहिये कि कम खर्च हुआ तो फिर जनता को रुपया वापस लेने में भी तरह तरह की परेशानी बर्दाश्त करनी पड़ती है । सरकार से रुपया लेने में माननीय सदन को मालूम है कि कितनी परेशानी होती है । इस तरह से एक ऐसी व्यवस्था रख देना जिससे अनर्थ ही अनर्थ हो, मैं नहीं समझता कि इसका क्या तुक है । इसलिये मैं चाहूंगा कि माननीय माल मंत्री जी इस १६ वीं धारा को वापस ले लें ।

*श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)--श्रीमन्, यह जो धारा १६ है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं । जैसा कि बहुत से माननीय सदस्यों ने बताया कि इसमें जो यह धारा है कि पेशगी ले ली जायगी यह तो धारा बड़ी गलत है । माननीय त्रिपाठी जी ने बताया कि गवर्नमेंट को रुपये की कमी तो हो नहीं सकती । या तो मंत्री जी कहें कि उनके खजाने का दिवाला हो गया है, तब तो ठीक है । लेकिन मैं नहीं समझ पाता कि सरकारी खजाने का दिवाला हो गया । तो इस तरह से पहले रुपया ले लेना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री जगन्नाथ मल्ल]

किसानों से और अगर्चे वह रुपया मान लीजिये श्रीमन्, दो ही रुपया खर्च हुआ और मंत्री जी ने ४ रुपया पहले ले लिये तो वह २ रुपया वापस करने में जो दिक्कत होगी वह किसी से छिपी नहीं है। इसी तरह से सरकार ने एक दफा हुक्म दिया कि गन्ने पर दो आने मन के हिसाब से पैसा कटे और इस लिये कटे कि जब किसान को जरूरत पड़ेगी तो वह दिया जायगा। आज ४,५ साल हो गये लेकिन आज भी किसान रोज दौड़ कर आते हैं खजाने पर और उसको वह रुपया वापस नहीं होता। बहुत से किसानों को एक कौड़ी नहीं मिली है। कभी कह दिया जाता है कि रुपया ही नहीं है। इस तरह से बहुत परेशानी पैदा कर दी जाती है। तो मैं नहीं समझता कि यह जो इसमें धारा है कि अगोड़ लिया जायगा, यह कहां तक मुनासिब है? माननीय मंत्री जी को इस किस्म की धारा इसमें नहीं रखनी चाहिये थी।

दूसरी चीज यह कि कुछ ठीक नहीं कि कितना रुपया आ जाय और फिर कितना खर्च हो, यह कहा नहीं जा सकता। और मैं समझता हूं कि इस धारा के रखने से खर्चा बढ़ेगा ही। और इसी लिए बढ़ेगा कि जो लोग कि चकबन्दी में काम करते हैं वह ज्यादा तर टैम्पोरेरी स्टाफ है, सब टेम्पोरेरी स्टाफ है। तो टेम्पोरेरी स्टाफ तो चाहेगा कि जितने दिन हमारा काम लगा रहे उतना ही अच्छा है। वह हमेशा ही चाहेगा ऐसा। अगरचे परमानेंसी उनकी नौकरी में होती तो वह सोचते कि चलो जल्दी काम को खत्म करो। लेकिन जब टेम्पोरेरी स्टाफ है तो वह हमेशा इस बात की कोशिश करेगा कि जितने दिन हम इसको ले चलें उतने दिन हमारी सर्विस रहेगी। इस तरह से जितनें ही दिन ज्यादा वह इसको बढ़ाने का प्रयत्न करेगा उतना ही ज्यादा खर्चा बैठेगा और वह सब किसानों के मत्थे जायगा। तो इस तरह से मैं समझता हूं कि सरकार को इन धाराओं को हटाना चाहिए और चकबन्दी तो ठीक है। चकबन्दी का तो कोई विरोध करता नहीं है। लेकिन इस तरह की धारायें रख कर किसानों को तकलीफ पहुंचाना यह उचित नहीं है। इसलिए मैं माननीय मन्त्री जी से कहूंगा कि इस धारा को वह इस में से अलग कर दें।

श्री चरण सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चकबन्दी का विरोध नहीं करना है, यह तो सबको मान्य है। चकबन्दी में खर्चा होगा। इसमें दो रायें हो नहीं सकतीं। यह खर्चा कहां से आये? जनता से आयेगा तो जिस जनता का विशेष फायदा उससे ही उसी से आना न्यायोचित हैं। इस न्यायोचित बात को मानने के लिए विरोधी दल के माननीय सदस्य तैयार नहीं है। उन्हें 'बकरी की तीन टांग' कहनी ही है जब कि चार होती हैं। अब इसका क्या जवाब दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १७

उ० प्र० अधिनियम सं० ५, १९५४ की धारा ४२ का संशोधन।

१७—मूल अधिनियम की धारा ४२ में शब्द "सहायक संचालक (चकबन्दी)" तथा "सहायक चकबन्दी संचालक" के स्थान पर "उपसंचालक चकबन्दी" रख दिये जायं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १८

१८--मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ४८ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :--

उ० प्र० अधिनियम सं० ५, १९५४ की धारा ४८ का संशोधन।

"४८--चकबंदी संचालक किसी मामले या कार्यवाही का अभिलेख मंगा सकता है, यदि उसे ऐसा प्रतीत हो कि मध्यस्थ (Arbitrator) से भिन्न उस अधिकारी ने जिसने उस मामले का निर्णय किया है या उस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है, किसी ऐसे क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) का प्रयोग किया है, जो उसे विधितः प्राप्त नहीं था या विधितः प्राप्त किसी अधिकार-क्षेत्र का प्रयोग नहीं किया है या अधिकार-क्षेत्र का प्रयोग करने में अवैध रूप से या सारवान (substantial) अनियमितता पूर्वक आचरण किया है, तो वह उस मामले या कार्यवाही में ऐसी आज्ञा दे सकता है जिसे वह उपर्युक्त समझे।"

अभिलेख मांगने तथा आदेशों का पुनर्वीक्षण करने का चकबंदी संचालक का अधिकार।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--उपाध्यक्ष महोदय, खंड १८ इस प्रकार है--मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ४८ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायः--

"४८--चकबन्दी संचालक किसी मामले या कार्यवाही का अभिलेख मंगा सकता है, यदि उसे ऐसा प्रतीत हो कि मध्यस्थ (अर्बीस्ट्रेटर) से भिन्न उस अधिकारी ने जिसने उस मामले का निर्णय किया है या उस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है, किसी ऐसे क्षेत्राधिकार (जूरिस्डिक्शन) का प्रयोग किया है, जो उसे विधितः प्राप्त नहीं था या विधितः प्राप्त किसी अधिकार-क्षेत्र का प्रयोग नहीं किया है या अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में अवैध रूप से या सारवान (सबस्टांशयल) अनियमितता पूर्वक आचरण किया है, तो वह उस मामले या कार्यवाही में ऐसी आज्ञा दे सकता है जिसे वह उपयुक्त समझे।"

उपाध्यक्ष महोदय, एक तो संचालक चकबन्दी हमारे प्रदेश में है। और इसमें भी कई जिलों में चकबन्दी हो रही है और आगे के लिए भी सरकार की व्यवस्था है। तो यह धारा जो पहले ही थी और अब सुधरे हुए रूप में इसको फिर रखा जा रहा है इसमें पहली बात तो यह है कि मैं माननीय राजस्व मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि कितने मामलों में इस अधिकार का प्रयोग किया गया था नहीं किया गया और अगर मामले उन्होंने मंगाये और आर्डर्स दिए तो किस किस प्रकार के दिए। दूसरे किसी एक अधिकारी को ए० सी० ओ० और सी० ओ० और उसके अलावा आर्बीट्रेशन की व्यवस्था है, तीन अधिकारियों के अलावा इनको एकाधिकार देना इस बात का कि चाहे जिस कार्यवाही को मंगा सकता है या उसकी पूरी फाइल को मंगा सकता है, क्योंकि ऐसे अधिकार को देने की जरूरत पड़ी ? मैं यह भी यहां कहना चाहता हूं कि सरकार बेबुनियाद के अख्तियार लेकर और बेजरूरत के अख्तियार लेकर हमारे अधिकारियों को भी परेशान करती है और ख्वामख्वाह उनके ऊपर बोझा डालती है और फिर कांग्रेस पार्टी का रवैया यह है कि वह सरकार और पार्टी में कोई फर्क ही नही समझती। तो इस किस्म के रवैये को बदलने की जरूरत है और बेजा मदाखलत किसी किस्म की नहीं होनी चाहिये। इसीलिए उस बेचारे संचालक चकबन्दी को यह अधिकार देकर और फिर प्रेशर डाल कर उसको मुसीबत में डालने की क्या जरूरत थी ? इसीलिए मैं यह चाहता हूं कि उनको यह अधिकार न दिया जाय। यह एक उसूल की बात है कि क्यों उनको ऐसा अधिकार दिया जाय और मुसीबत डाली जाय। तो इन बाजूहात से मैं जो धारा १८ के द्वारा उनको एक्सट्रा एक्जिक्यूटिव पावर्स दी गयी हैं किसी केस की फाइल मंगाने की उसका विरोध करता हूं, और माननीय माल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इसे निकाल दें ताकि इसका दुरुपयोग न हो सके।

*श्री चरण सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय त्रिपाठी जी ने, जब जनरल डिस्कशन का प्रस्ताव आया कि इस संशोधन विधेयक पर विचार किया जाय, उस पर अपना ऐसा ही खयाल जाहिर किया जो कि उन्होंने अब जाहिर किया है और मैं उस समय जवाब दे चुका था। अगर उसके बाद भी उन्होंने तकरीर करना जरूरी समझा तो मेरी बदकिस्मती है और मैं क्या कहूं? जो जवाब मैंने पहले दिया था उसी को देता हूं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—कितनी फाइल्स उन्होंने मंगाई?

श्री चरण सिंह—जवाब यह है कि यह कोई एक्सट्राआर्डिनरी काम नहीं हुआ। एक्सट्रा आर्डिनरी पावर्स नहीं दी जा रही हैं डायरेक्टर चकबन्दी को। जो सिविल प्रोसेजर कोड में है कि हाईकोर्ट को रिवीजन की पावर हासिल है कि अगर नीचे की अदालत में जूरिस्डिक्शन को ठीक तरह से एक्सरसाइज नहीं किया गया और गलत एक्सरसाइज कर लिया, अपने जूरिस्डिक्शन से बाहर वह चले गये या सब्सटैंशल कोई बदउनवानी कर ली, इर्रेगुलरिटी हो गयी, तो हाईकोर्ट को यह अधिकार होगा कि चाहे डिस्ट्रक्ट जज हो, मुंसिफ हो, मैजिस्ट्रेट हो, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो, उनकी फाइल को मंगाकर जैसा उचित समझें स्वयं आर्डर दे दें। यह सिविल प्रोसीजर कोड में एक सेक्शन है। उसी प्रकार का अधिकार डायरेक्टर आफ कंसालिडेशन को देने जा रहे हैं। देने नहीं जा रहे बल्कि पहले से था कि किसी मामले की पत्रावली को मंगा सकते हैं और अब हम कहते हैं कि प्रोसीडिंग को मंगा सकते हैं। तो "प्रोसीडिंग" शब्द को बढ़ा रहे हैं, कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। यह धारा तो पहले से पास हो चुकी है, मंजूर हो चुकी है, अधिनियम की चीज है, केवल केस के अलावा प्रोसीडिंग और कर रहे हैं। तो कौन सी नयी बात हो गयी? हाईकोर्ट तक को यह हक है, डायरेक्टर को पहले से था, उसमें प्रोसीडिंग नहीं थी। कुछ कानूनी कार्यवाही ऐसी होती है जो केस की डेफिनीशन में नहीं आती, प्रोसीडिंग में आती है। हां, एक उलाहना माननीय राम नारायण त्रिपाठी को देना चाहिये, उन्होंने कहा नहीं। उनको यह नुक्ताचीनी करनी चाहिये थी कि यह गवर्नमेंट बड़ी निकम्मी है, इसको इसे पहले से रखना चाहिये था। वह न करके, जो स्वयं मंजूर कर चुके हैं, उसी को काटना शुरू कर दिया।

अब रहा कि एक आदमी को इतना अधिकार क्यों दिया जाय और कितनी पत्रावली और फाइल्स मंगाई है कैसेज की, तो मैंने इसको जानने* की जरूरत नहीं समझी। मुमकिन है ५-७ बमुश्किल तमाम केसेज हुए हों, क्योंकि यह तो आखिर में जब कि नीचे की अदालतों में बावजूद अपील वगैरह के खास लोगों को फैक्ट्स वगैरा की गलती हो जाय तो यह कार्यवाही होगी। अगर फैक्ट्स को मंगाने वाली बात पास की गयी होती तो सेकेंड अपील हो जाती, यह तो जुरिस्डिक्शन का सवाल है। ए० सी० ओ० या सी० ओ० ने वह जुरिस्डिक्सशन एक्सरसाइज कर लिया जो उसमें नहीं था या उसको एक्सरसाइज नहीं किया जो उसमें था तो ऐसे केसेज रेअर होते हैं। कोशिश तो यह है किसानों के साथ न्याय हो उसी के लिये कानून बनाया गया है और डायरेक्टर कंसालिडेशन की ईमानदारी और निष्पक्षता में मुझे विश्वास है और जो कोई डायरेक्टर रखा जायगा उस पर विश्वास रहेगा, जब तक उस पर विश्वास है तब तक वह रहेगा लिहाजा मैं पूछता नहीं हूं उससे कि कितने केसेज उसने मंगाये कितने नहीं मंगाये और क्यों नहीं मंगाये, मैं यह कभी नहीं पूछता। होना यह चाहिये कि केसेज के बाद शब्द कार्यवाही या प्रोसीडिंग रख दिया जाता लेकिन हमने पुराना सेक्शन निकाल कर उसके एवज में यह रख दिया था। माननीय त्रिपाठी जी को वह लम्बा लगने लगा और एतराज हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि यह जो खंड है सदन उस को स्वीकार करेगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १८ इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड १९

१९—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ५२ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

		उ० प्र० अधिनियम सं०
चकबंदी क्रियाओं की समाप्ति ।	"५२—धारा २७ के अधीन नये नक्शे और अभिलेख तैयार होने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य सरकार सरकारी गजट में इस आशय की एक विज्ञप्ति प्रचारित करेगी कि गांव में चकबन्दी क्रियायें समाप्त कर दी गयी हैं और तदुपरान्त उक्त गांव चकबन्दी क्रियाओं के अधीन न रहेगा।"	धारा ५२ का संशोधन ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १९ इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नया खण्ड २०

श्री श्री पतिसहाय (जिला हमीरपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १९ के पश्चात् निम्नलिखित खंड २० के रूप में बढ़ा दिया जाय :—

"२०—धारा ५४ की उपधारा (२) में खंड (ण) के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड (णण) के रूप में बढ़ा दिया जाय :—

(णण) परिस्थितियां तथा विषय जिन पर चकबन्दी व्यय को बांटने में विचार किया जायगा और जिनमें वह अनुपात भी समाविष्ट है जिसके अनुसार उक्त व्यय बांटा जायगा।"

श्री चरण सिंह—मुझे स्वीकार है। इसमें केवल इतना है...

श्री उपाध्यक्ष—ठहरिये, इसमें एक संशोधन पर संशोधन है।

श्री उमाशंकर—इसमें एक अमेंडमेंट में अमेंडमेंट पेश करना चाहता हूं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न रखना चाहता हूं। माननीय श्रीपति सहाय जी ने खंड १९ के बाद नया खंड २० रखना चाहा है। मूल अधिनियम के अन्दर खंड २० है। उसकी जगह रखा जाता तो बात थी यह अनियमित है और माननीय मंत्री जी इसको मंजूर भी करने जा रहे हैं तो ऐसी सूरत में यह समझ में नहीं आता कि यह कैसे होगा ?

श्री चरण सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, यह तो इस विधेयक के सम्बन्ध में है, जो धारा ५४ रूल मेकिंग सेक्शन है उसमें अमेंडमेंट है। १९ तक इसमें है। उसके बाद २० का नया खंड होगा। अब क्या १९, २० भी बताना पड़ेगा ?

श्री जगन्नाथ मल्ल—श्रीमन् सदन में कोरम नहीं है।

श्री उपाध्याय—अभी कोरम की भी कमी बतलाई जाती है ।

(घंटी बजायी गयी और कोरम पूरा होने पर कार्य पुनः आरम्भ हुआ।)

श्री उमाशंकर—श्रीमन्, मैं पहले उस संशोधन का कितना हिस्सा मानता हूं और उसके आगे जो जोड़ना चाहता हूं वह कहता हूं :

"परिस्थितियां तथा विषय जिन पर चकबन्दी व्यय को बांटने में विचार किया जायगा और" उसके बाद वाला मैं निकाल देना चाहता हूं और उसके स्थान पर यह रखना चाहता हूं "अलाभकर जोतों पर कोई व्यय नहीं लगाया जायगा।"

श्रीमन्, मैं कई बार कह चुका हूं, जैसा कि इस सदन में जितने माननीय सदस्य बैठे हैं सबको मालूम है कि राज्य में ऐसे किसान जो दिन रात मेहनत करते हैं और काम करते हैं उन्हीं के पास अलाभकर जोतें हैं।

श्री चरण सिंह—मैं एक प्वाइंट आफ आर्डर पेश करना चाहता हूं। जो संशोधन माननीय श्रीपति सहाय जी ने दिया है वह तो धारा ५४ में जो नियम बनाने का अधिकार गवर्नमेंट को देती है उसमें है। तो उसमें अब यह बढ़वा रहे हैं कि वे हालात कि जिनमें खर्चा लगाया जाय और आपस में जो टैन्योर होल्डर्स पर तकसीम किया जाय उसका अनुपात इस नियम से तय हो सकता है। तो यह संशोधन जो है वह यहां बैठता कहां है। रूल मेकिंग पावर वाला जो सेक्शन है उसमें आप कहीं यह कर सकते हैं कि अलाभकर जोतों से न लिया जाय या कितना लिया जाय। यह यहां आउट आफ आर्डर है यह मैं अर्ज कर रहा था।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य इसके समर्थन में कुछ कह सकते हैं कि यह संशोधन यहां क्यों आना चाहिये ?

श्री उमाशंकर—इस संशोधन में यह है कि परिस्थितियां तथा विषय जिन पर चकबन्दी व्यय को बांटने में विचार किया जायगा, और मैं यह कहता हूं कि इसके आगे यह और बढ़ा दिया जाय कि "अलाभकर जोतों पर कोई व्यय नहीं लगाया जायगा।"

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि जो संशोधन इस वक्त पेश है उसके साथ यह असंगत सा होता है।

अब प्रश्न यह है कि खंड १९ के पश्चात् निम्नलिखित खंड २० के रूप में बढ़ा दिया जाय :—

"२०—धारा ५४ की उपधारा (२) में खंड (ण) के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड (णण) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

(णण) परिस्थितियां तथा विषय जिन पर चकबन्दी व्यय को बांटने में विचार किया जायगा और जिनमें वह अनुपात भी समाविष्ट है जिसके अनुसार उक्त व्यय बांटा जायगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि नया खंड २० इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खण्ड १

कुछ प्रयोजनों के लिये उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ को संशोधित करने का

विधेयक

यह आवश्यक है कि आगे प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के लिये उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ को संशोधित किया जाय;

अतएव, भारतीय गणतन्त्र के छठे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ। १—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) अधिनियम, १९५६ कहलायेगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक का अंग माने जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चरण सिंह—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९५५, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९५५, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर १५ मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) अध्यादेश, १९५६ के अननुमोदनार्थ संकल्प

***श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से विधान सभा प्रक्रिया नियमावली के नियम ४४ के अनुसार निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं :

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश बिक्री कर संशोधन अध्यादेश, १९५६ जिसके द्वारा जीवन की अत्यन्त आवश्यक वस्तुओं जैसे अन्न, नमक, कपड़ा आदि पर भी कर लगाया व बढ़ाया जा रहा है, अत्यन्त अयुक्तियुक्त तथा अवांछनीय है। अतएव यह सदन उक्त अध्यादेश का घोर विरोध करते हुये उसका अनुमोदन नहीं करता है।"

श्रीमन्, पहली अप्रैल एक ऐसा दिन है जब कि लोग आपस में ब्रिटिश परम्परा के अनुसार कुछ मजाक भी करते हैं। हम सब लोग जब कि होली की छुट्टी में घर गये हमको यह पता नहीं था कि सरकार उसी पहली अप्रैल के दिन हम सभी लोगों के पीछे और सामने एक इस प्रकार की भद्दी मजाक करेगी कि जब विधान सभा का सेशन चल रहा हो और केवल हम होली की छुट्टी के लिये अपने घर गये हों, एक इतने महत्वपूर्ण अध्यादेश की शक्ल में बोझ को बिना किसी पूर्व जानकारी के हमारे ऊपर लाद देगी। यह हमारे वैधानिक अधिकारों के प्रति एक गम्भीर मजाक समझी जा सकती है। यह बात सही है कि अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री महोदय ने यह हमको बताया कि ९॥ करोड़ रुपये का घाटा होने वाला है और वह सेल्स टैक्स और दूसरे टैक्सों से उस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

घाटे को पूरा करने वाले हैं। कहीं पर भी हमको यह स्पष्ट नहीं बताया कि यह सेल्स टैक्स किन मदों पर वह बढ़ाने वाले हैं। इसका कोई पता उस समय विधान सभा को नहीं हुआ। जब हमने इस सदन में पूछा बजट प्रस्तुत होने के समय कि कौन से टैक्स बढ़ने वाले हैं और सेल्स टैक्स किन मदों पर बढ़ने वाला है तो वित्त मंत्री ने हमसे जो कहा उन गूंजते हुये उनके शब्दों को असेम्बली की कार्यवाही में छपे हुये देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि बिना सदन की इत्तिला दिये हम कोई सेल्स टैक्स बढ़ाने की कार्यवाही करने वाले नहीं हैं। आखिर सदन को इत्तिला देने का क्या यही तरीका है कि हमको पता न हो और एक वैधानिक मर्यादा के विपरीत हो या न हो लेकिन यह कांस्टीटचूशन की स्प्रिट के विरुद्ध है कि इस प्रकार से आर्डिनेंस लाया जाय। उस आर्डिनेंस को लाने के लिये कौंसिल को प्रोरोग किया गया। मैं साफ कहना चाहता हूं कि उस आर्डिनेंस को लाने के लिये कौंसिल को प्रोरोग किया गया जिसमें इस प्रकार के टैक्सेज का प्रस्ताव किया जाने वाला था। हमने उस समय सन्देह प्रकट किया था कि कोई न कोई आर्डिनेंस लाने वाले हैं। हमको पता नहीं था कि सरकार इस हद तक जा सकती है। यह तो पार्टी के मेम्बरों के प्रति भी एक प्रकार से अविश्वास है क्योंकि हमको सन्देह है कि अगर यह बिल की शक्ल में आया होता तो शायद पार्टी के अन्दर यह बिल पहले ही ठुकरा दिया गया होता। जब पहले सन् १९४८ में यह यू० पी० सेल्स टैक्स ऐक्ट यहां पर पेश हुआ था तो उस समय फुड ग्रेन्स पर, तेल पर और किरोसिन आयल पर भी टैक्स लगने वाला था लेकिन जब वह सेलेक्ट कमेटी में गया तो सेलेक्ट कमेटी ने एक मत से खाद्यान्न, तेल वगैरा पर जो टैक्स लगने वाला था उसको ठुकरा दिया। उस समय पन्त जी भी यहां पर मौजूद थे। उसको समाप्त कर दिया इसी सदन की सेलेक्ट कमेटी ने तब इस प्रकार की चीज बिल के रूप में आयी और ठुकरा दी गयी। सरकार को वह दिन याद होगा और सरकार को यह ख्याल होगा अगर हम बिल लायेंगे तो सदन उसको ठकुरा देगा, सेलेक्ट कमेटी उसको ठुकरा देगी। अब बजाय उसके गवर्नर महोदय ने प्रेसीडेंट महोदय के इंसट्रक्शन्स से एक आर्डीनेन्स जारी किया। हमको नहीं मालूम कि वे इंसट्रक्शन्स क्या हैं। बम्बई की गवर्नमेंट ने भी एसेन्शियल कोमोडिटीज ऐक्ट के मातहत प्रेसीडेंट महोदय से टैक्स बढ़ाने की आज्ञा चाही थी तो उनको जो प्रेसीडेंट महोदय के इंसट्रक्शन्स आये वह यह थे कि आप जो टैक्स बढ़ाना चाहते हैं उसमें मल्टी पाइन्ट टैक्स लगाने से जो रुपया आपको प्राप्त होगा उतना रुपया उससे अधिक नहीं होगा जितना सिंगिल पाइन्ट से हुआ है। इस प्रकार के आदेश बम्बई की सरकार को दिये गये थे। लेकिन इस आर्डिनेंस में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि इस आर्डिनेंस के सम्बन्ध में प्रेसीडेंट ने गवर्नर महोदय को क्या आदेश दिये हैं। वे इंस्ट्रक्शन्स क्या थे और क्यों थे, उसमें नहीं बताया गया है।

सरकार ने एक सेल्स टैक्स कमेटी बनायी थी जिसमें माननीय परिपूर्णानन्द जी, माननीय बालेन्दु शाह तथा विरोधी दलों के और लोग भी उनके प्रतिनिधि रूप में थे। यह कमेटी जनवरी सन् ५५ में बनायी गयी थी। उसके टर्म्स आफ रिफरेंस में वे सभी चीजें मौजूद थीं कि किन मदों पर सेल्स टैक्स बढ़ाया जाय, किन पर घटाया जाय, सेल्स टैक्स ऐक्ट में कौन सी तब्दीलियां की जांच और कौन सी न की जायं। इस प्रकार से ११ बातें उसके टर्म्स आफ रिफरेंस में थीं। अब इस सेल्स टैक्स कमेटी के दो हिस्से हुए। "ए" सब कमेटी और "बी" सब कमेटी। "ए" सब कमेटी जिसके कुंवर गुरु नारायण जी अध्यक्ष थे, उसने प्रान्त के मुख्य मुख्य केन्द्रों का दौरा किया जैसे लखनऊ, कानपुर, आगरा, आदि और वहां के व्यापारियों के प्रतिनिधियों से, जनता के प्रतिनिधियों से मिले और लोगों की गवाहियां लीं, यह जानने के लिये कि उसके बारे में लोगों की राय क्या है। बाद में उस कमेटी ने मुख्य कमेटी को अपनी रिपोर्ट दी।

मुख्य कमेटी ने उसकी एक रिपोर्ट पर तो विचार कर लिया है लेकिन अभी कमेटी की रिपोर्ट फाइनेलाइज नहीं हुई, जो कि फाइनेलाइज होकर शीघ्र ही सरकार के सामने आने वाली है। लेकिन सरकार ने बिना उसका इन्तजार किये इस प्रकार का यह आर्डिनेंस लाना उचित समझा। मैं तो माननीय मुख्य मंत्री महोदय से यह मांग करूंगा कि सेल्स टैक्स आर्डिनेंस निकालने से पहले कमेटी की रिपोर्ट का इन्तजार तो कर लिया जाता। सब कमेटी ने जो रिपोर्ट इतनी छानबीन करके तैयार की है उसको ही प्रकाशित कर दिया जाय ताकि प्रदेश की जनता को यह मालूम हो जाय कि किस तरह से जनता की भावनाओं के विरुद्ध अथवा उनके अनुसार यह आर्डिनेंस लाया गया है। मुझे तो इससे बुनियादी ऐतराज यह है कि यह आर्डिनेंस नैतिक दृष्टिकोण से, विधान की मर्यादा के दृष्टिकोण से, सदन की परम्परा के दृष्टिकोण से अनैतिक, अमर्यादित और सदन की परम्पराओं के लिये अशोभनीय है। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं और मुझे आशा है कि इस आदरणीय सदन के सदस्य एकमत होकर, जो हमारे वैधानिक अधिकारों पर कुठाराघात हुआ है, हमारे पीछे जो इतना महान् अध्यादेश लागू कर दिया गया है, उसका खुले दिल से विरोध करेंगे।

अब उस अध्यादेश को देखिये और उस अधिनियम को देखिये। इस अध्यादेश के द्वारा उसमें जो परिवर्तन किये गये हैं वे इतने महत्वपूर्ण हैं कि वे प्रदेश की जनता और उसकी वित्तीय स्थिति पर आधार रूप से कुठाराघात करते हैं। प्रदेश के जो कामन मैन हैं उनकी जेब पर बिना किसी सिद्धान्त के, बिना किसी उसूल के, एक प्रकार से डकैती डाली गयी है। मैं यह जानना चाहूंगा कि टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन की किस सिफारिश के आधार पर आज यह आर्डिनेंस लाया गया है? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि इस सूबे की किस फाइनेन्शियल कमेटी की सिफारिश से यह लाया गया है? क्या अर्थ मंत्री जी के पास इसका कोई उत्तर है? किस प्रकार से जीवन की कितनी आवश्यक वस्तुओं पर एकबारगी यह टैक्स दुगुना किया गया है। २ पैसे से बढ़ा कर एक आना किया गया है जैसे बीडी पर, कपड़े पर, होजियरी गुड्स पर जूट गुड्स पर, किरोसीन आयल पर, चमड़े पर दियासलाई पर, वनस्पति पर बुलैन गुड्स और न मालूम कितनी और जरूरी चीजें इसमें रख दी गई हैं। इसके अलावा नया बिक्री कर कागज, फूड ग्रेन्स जैसी चीजों तक पर लाद दिया गया है। इस प्रकार आप देखेंगे कि जो पहले से एगजेम्पशन की लिस्ट थी उसमें ५७ आइटम्स थे जो सेल्स टैक्स से बरी थे लेकिन अब वह केवल ३३ रह गए हैं। अब तो गुड़ पर, किताबों पर कागज पर, बुलेन गुड्स पर, नमक पर, ईंट पर, सीमेंट पर सभी चीजों पर लगा दिया गया है। देखना है कि जो आर्टिकिल्स अब तक एगजेम्पटेड थे उन पर एकबारगी ३ पैसे के रेट से सेल्स टैक्स लगाया जाय यह कहां तक उचित है। टैक्सेबिल टर्नओवर को भी १५,००० से घटा कर १०,००० कर दया गया है और जो बाहर के इम्पोर्टेड गुड्स का टर्नओवर है उसकी भी लिमिट समाप्त कर दी गई है। इनके साथ साथ जो सिंगिल प्वाइंट सेल्स टैक्स था और जिसका जिक्र धारा ३ में है और केवल मोटर पार्ट्स, रिफ्रिजरेटर्स, सिनेमेटोग्राफ गुड्स आदि पर १ आने के हिसाब से लगाया जाता था लेकिन अब तमाम वस्तुओं पर १ आना लगा दिया गया है। इसी प्रकार का संशोधन धारा ३ (ए) में है। संक्षेप में, इस प्रकार के परिवर्तन करना अत्यन्त आश्चर्यजनक है और वह भी अकस्मात् और यकबारगी कर डालना तो और भी खेदजनक है। यहां हवाला मद्रास और बिहार का दिया जाता है कि वहां भी फूड ग्रेन्स पर सेल्स टैक्स है लेकिन देखना यह है कि वहां पर यह सेल्स टैक्स किस वक्त लगाया गया था। मद्रास में पहली बार सन् ३९ में वह लगाया गया था जब कि वहां हमारी हुकूमत नहीं थी, देश का विधान नहीं बना था और कोई एसेन्शियल कमोडिटीज ऐक्ट नहीं था, तो वहीं वह आजाद होने के बाद नहीं पहले से ही लगा था और इसी तरह से बिहार में भी अक्तूबर सन् ४४ में यह टैक्स लगाया गया था और आजादी होने और विधान बनने के बाद वहां कोई टैक्स किसी फाइनेन्शियल ईयर में नहीं आया।

नियोजन मंत्री के सभांसचिव (श्री बनारसी दास)—अब वह वहां पर है या हट गया ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—हटाता कौन है ? अगर हटा लें तो इससे अच्छी क्या बात होगी ? मद्रास भी हटा लें इससे अच्छी और क्या बात वहां के लिए हो सकती है ? तो मदरास और बिहार में आजादी के बाद, विधान के बाद नहीं लगाया गया, वह उसके पहले ही लगाया गया था लेकिन एसेन्शियल गुड्स ऐक्ट पास होने के बाद यह, सूबा पहला अभागा प्रदेश है जहां पर फूड ग्रेन्स पर कैरोसिन आयल पर, नमक पर, दियासलाई पर, कागज पर, घी पर और तमाम जरूरी चीजों पर कर लगाया जा रहा है और एकबारगी लगाया जा रहा है। अगर आप मदरास की आमदनी शराब या एक्साइज की देखें तो वहां उससे ४२ लाख रुपया मिलता है अगर वह बम्बई में केवल ९७ लाख रुपया है जब कि इस प्रदेश की आबकारी की आय ५ करोड़ ४४ लाख है। आप के यहां प्रोहिबिशन उस माने में नहीं है जैसा कि बम्बई या मदरास में है। मद्रास में फूड ग्रेन्स पर आजादी से पहले से ही लगा है और बम्बई में फूड ग्रेन्स पर आज तक नहीं लगाया गया है। उनमें २ प्वाईन्ट सेल्स टैक्स लगा हुआ है लेकिन फूड ग्रेन और कैरोसिन आयल पर मल्टपिल टैक्स लगा है और बम्बई के उस व्यापारिक नगर में अहमदाबाद मौजूद है। बिहार, बम्बई, मद्रास से इस राज्य की तुलना नहीं की जा सकती है इसलिये कि आप देखें कि हमारे यहां लैन्ड रेवेन्यु से कितनी ज्यादा आमदनी है जब कि यू० पी० में ५३-५४ में १८ करोड़ ९२ लाख आमदनी थी, वहां बिहार में ३ करोड़ १९ लाख, बम्बई में ७ करोड़ १२ लाख और मद्रास में ७ करोड़ ३६ लाख आमदनी थी। तो उन राज्यों में जहां पर लैन्ड रेवेन्यू से इतना कम रुपया मिलता हो उनकी तुलना उत्तर प्रदेश से नहीं किया जा सकता जहां कि लैन्ड रेवेन्यु से बहुत अधिक रूपया मिलता हो। उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है। हमारी राज्य सरकार इसीलिये कहती आयी है कि इंडस्ट्रीज की यहां बहुत अधिक आवश्यकता है। इसीलिये यहां पर कैपिटा टैक्स का इंसिडेंस वह नहीं हो सकता जो कि बम्बई, मद्रास या बंगाल में है। इस दृष्टिकोण से इस सेल्स टैक्स को बढ़ाये जाने की प्रणाली उचित नहीं है। टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन ने फूडग्रेन्स के बारे में सिफारिश की थी कि अगर कोई राज्य अपनी हालत को देखकर अपनी वास्तविकता को देख कर अगर फूड ग्रेन्स में या इसी प्रकार की चीजों में मल्टपिल प्वाईन्ट सेल्स टैक्स लगा भी दे तो वह हाफ परसेंट के रेट पर होना चाहिये। आप परसेंटेज लगायें जो रेट हमारी सरकार ने अनाजों पर लगाया है यह कितना अधिक है। मद्रास में केवल तीन पाई फी रुपया है और हमारी सरकार ६ पाई से शुरू कर रही है माननीय मंत्री बतलायें इसका क्या कारण है ? टैक्सेशन एंक्वायरी कमीशन कहता है कि १०० में ८ आने और आप चाहते हैं रुपये में ६ पाई। यह किस सिद्धान्त या किस सिफारिश के आधार पर है इसका कोई पता नहीं। किसी भी राज्य ने आज तक यह गुस्ताखी या हिम्मत नहीं की है कि कैरोसिन आयल या नमक पर टैक्स लगाये। मैं इस सेल्स टैक्स के बारे में, साल्ट के बारे में टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन के दो एक जो उद्धरण है उनको अवश्य पढ़ना चाहता हूं, वाल्यूम एक, पेज १६६ पर लिखा हुआ है—

> " A tax on salt is regressive also for the reason that its consumption, considered as an article of human food, is for the most part inelastic and hence its incidence falls heavily on the lower income groups. Moreover, since persons engaged in manual labour physisiologially stand in need of a larger quantity of salt in their diet than others, the burden of the tax would be greater for such persons not merely in relation to income but absolutely."

इसका अनुवाद है कि नमक पर जो टैक्स है वह प्रातिक्रियवादी इस मानी में है कि जो उसके उपभोक्ता है वे कम आमदनी वाले ग्रुप में आते हैं, उन्हीं पर भार पड़ता है और वे शरीरिक मेहनत करने वाले व्यक्ति है उनको नमक की ज्यादा आवश्यकता होती

हैं अपने श्रम के दृष्टिकोण भी। इसलिये इस टैक्स का बर्डेन उन पर ज्यादा पड़ता है। आगे चल कर इंक्वायरी कमीशन कहता है—

"The political aspect of the question is not irrelevent to a discussion of the salt tax as fiscal measure. Taxes are levied in order that revenue may be raised and the collection of revenue as an administrative problem presupposes a reasonable degree of responsiveness on the part of those who are required to pay it. A tax which may provoke widespread resentment and evoke popular resistance, whatever its merits, must to that extent be regarded as an undesirable tax. From all that we have heard in the course of our enquiry, this is a consideration which applies particularly to the salt tax and we think that it would be a serious mistake of judgement to ignore it."

कमीशन कहता है कि जो राजनैतिक दृष्टिकोण है साल्ट टैक्स का, उसको भी हमको ध्यान में रखना है। एक ऐसा टैक्स जिसका आम तौर पर विरोध हो और जो जनता की ओर से विरोध की भावना पैदा करे उसके सम्बन्ध में मेरिट्स पर चाहे कितनी ही सही बात हो, उसको फिर भी एक प्रकार से अवांछनीय टैक्स माना जाना चाहिये। इसलिये जो कुछ हमने अपनी गवाहियों में सुना है नमक पर खासतौर से टैक्स लगाना और अनाजों को छोड़कर इन सब भावनाओं का ख्याल न करना एक गम्भीर भूल होगी। नमक टैक्स के बारे में टैक्सेशन एंनक्वारी कमीशन की यह राय है। श्रीमन्, अध्यक्ष की कुर्सी के ठीक पीछे एक महामानव की मूर्ति, हम विराजमान देखते हैं, मैं अपने सरकारी मित्रों से जो ठीक मेरे सामने बैठे हुए हैं जरा यह अपील करना चाहूंगा कि जरा घूम कर उनके चेहरे की तरफ देखें और याद करें कि उन दिनों जब हमने और आपने सबने धर्सना मार्च और डांडी मार्च किया और तमाम शहरों और देहातों में, सारे देश में, नमक सत्याग्रह किया और नमक बनाया और नमक के टैक्सेशन के विरोध में आवाज लगायी। जरा एक क्षण के लिए अपने दिलों में गम्भीरतापूर्वक सोचें। किस प्रकार प्रेसीडेंट महोदय ने इस पर दस्तखत कर दिये? मैं समझता हूं कि प्रेसीडेंट राजेन्द्रप्रसाद जी के पास यह आर्डिनेंस गया ही नहीं होगा। शायद उनके सेक्रेटरी ने इस पर दस्तखत कर दिये होंगे। मुझे विश्वास नहीं होता कि प्रेसीडेंट महोदय ने दस्तखत किये होंगे। मैं नहीं समझता कि किस प्रकार उस कैबिनेट की मोहर इस पर लगी है जिसके आज मुख्य मंत्री माननीय सम्पूर्णानन्द विराजमान हैं, उनके दस्तखतों से यह आर्डिनेंस निकला है। लेकिन जो चीज अविश्वासनीय है, जो विश्वास करने योग्य नहीं है उसे आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। श्रीमन्, मैं उनकी याद ताजा करने के लिये गांधी जी का उद्धरण देता हूं। तेंदुलकर साहब ने गांधी जी की जो जीवनी लिखी है उसमें गांधी जी ने वायसराय को जो चिट्ठी लिखी थी उसके दो तीन वाक्य उद्धरित करना चाहता हूं:—

"But the British system seems to be designed to crush the very life out of him. Even the salt he must use to live is so taxed as to make the burden fall heaviest on him, if only, became of the heartless impartiality of its incidence. The tax shows itself more burden - some on the poor man, when it is remembered that salt is the one thing he must eat more than the rich both individually and collectively."

इसका अनुवाद मैं नहीं करता। मैं पट्टाभि सीतारमैय्या ने जो कांग्रेस का इतिहास लिखा है उससे उद्धरित करना चाहता हूं—

"नमक तो उसके जीवन के लिए भी आवश्यक है। परन्तु उस पर भी कर इस तरह लगाया गया है कि यों दीखने में तो वह सब पर बराबर पड़ता है, परन्तु इस हृदयहीन निस्पक्षता का भार सबसे अधिक गरीबों पर पड़ता है। याद रहे कि नमक

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

ही ऐसा पदार्थ है जो अलग-अलग भी और मिलाकर भी अमीरों से गरीब लोग अधिक मात्रा में खाते हैं। इस कारण नमक कर का बोझा गरीबों पर और भी ज्यादा पड़ता है।"

यह अनुवाद पट्टाभि सीतारमैय्या जी का है। श्रीमन्, एक ही लाइन और उद्धरित करना चाहता हूं उस पत्र में से जो कि डांडी मार्च के समय गांधी जी ने वायसराय को लिखा था।

"I regard this tax to be most inequitious of all from the poor man's standpoint."

गरीब साधारण व्यक्ति के दृष्टिकोण से मैं इस टैक्स को सब से अधिक इनक्विटस समझता हूं।

"It was open to Viceroy to disarm me by freeing poor man's salt, tax on which costs him five annas per year or nearly three days income."

वायसराय महोदय मेरी बात मान सकते थे, गरीब व्यक्ति को टैक्स को समाप्त करने के लिए, यह एक ऐसा टैक्स है जो पांच आने साल में वसूल होता है। इसमें उसकी तीन दिन की आमदनी चली जाती है। उस समय साल भर में पांच आने टैक्स लगता था। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किया। उस समय साल भर में केवल पांच आने टैक्स गरीब देता था और आज देखिये जो सेल्स टैक्स हम नमक पर लगाने जा रहे हैं वह कितना है, एक आना रुपया। उसका १९३१ में हम इंसीडेंस याद करें और आज कितना अधिक यह सेल्स टैक्स उस मात्रा में नमक पर पड़ जाता है और गांधी जी के उन शब्दों को याद करें। श्रीमन्, मेरे पास इतने शब्द नहीं हैं जिनसे मैं अपनी भावनाओं को सही रूप से व्यक्त कर सकूं। मैं तो केवल यही कह सकता हूं कि सेल्स टैक्स इनक्वायरी कमेटी की उस रिपोर्ट को बालायतांक रख कर टैक्सेशन के सिद्धान्तों को बालायतांक रख कर इस प्रदेश की वास्तविक स्थिति न देखते हुए, कि यहां टैक्स का इंसीडेंस कितना है, किस पर टैक्स लगना चाहिए, किस पर नहीं लगना चाहिए, किस पर टैक्स बढ़ना चाहिए, किस पर नहीं बढ़ना चाहिए, इन सिद्धान्तों का बिना विचार किये हुए इस सरकार ने अध्यादेश जारी कर दिया। आने वाला इतिहास बतायेगा कि अगर सरकार ने अपने दृष्टिकोण को संशोधित नहीं किया, जिसकी आशा बहुत कम है, यह आशा अवश्य है कुछ गांधी जी के आदर्शों का कुछ अंश हमारे हृदयों में विद्यमान है, तो शायद कुछ असर आ जाय। लेकिन अगर यह भी न हुआ तो स्थिति बड़ी भयावह मालूम होती है।

मैं अन्त में श्रीमन् सदन के माननीय सदस्यों से यही निवेदन करूंगा कि यह प्रश्न दल का नहीं है, या पार्टी या विरोध का प्रश्न नहीं है। यह प्रश्न है कौन टैक्स लगाया जाय कौन न लगाया जाय। हम दृष्टिकोण से इस अध्यादेश को देखते हैं, अपनी वैधानिक स्थिति के अनुसार देखते हैं तो एकमत से इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि इस अध्यादेश को ठुकरवाना, इसको वापस करवाना यह हम सब के प्रजातान्त्रिक अधिकारों की एकमात्र कसौटी है।

श्री अध्यक्ष—(श्री अवधेश प्रताप सिंह से) आप अपना प्रस्ताव या तो संशोधन के रूप में उपस्थित कर सकते हैं अथवा जो नारायण दत्त तिवारी जी ने उपस्थित किया है उसका समर्थन करके उसको आप पूरा कर सकते है। दोनों के शब्द करीब २ मिलते-जुलते हैं। तो आप क्या उचित समझेंगे?

श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)—श्रीमन्, यह फौर्म तो इसका कोई बदला नहीं हुआ है, फौर्म तो एक ही है जो पहले से एजेन्डे पर....।

श्री अध्यक्ष—जो आपका प्रस्ताव है अगर आप उसको पेश करना चाहते हैं तो मैं उसको उसके लिये सब्स्टीटयूट अमेंडमेंट के फार्म में ले लूंगा कि आपका यह

संशोधन है कि फलां-फलां प्रस्ताव के शब्दों के बजाय यह शब्दावली रखी जाय। या दूसरा तरीका यह है कि मैं आपको भाषण देने की इजाजत दूं और आप समर्थन करें माननीय नारायणदत्त जी के प्रस्ताव का।

श्री अवधेश प्रताप सिंह—श्रीमन्, मैं इसमें अमेंडमेंट मूव कर देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—तो फिर आप अपना प्रस्ताव पेश कर दें। उसको मैं मान लूंगा कि वह संशोधन है।

*श्री अवधेश प्रताप सिंह—मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं कि प्रस्तुत संकल्प को निम्न रूप में रख दिया जाय—

"सदन का यह निश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) अध्यादेश, १९५६ जिसके द्वारा जीवन की आवश्यक वस्तुओं पर अनावश्यक कर लादा जा रहा है, जैसे अन्न तद्धा नमक इत्यादि पर, उस अध्यादेश का सदन घोर विरोध करते हुए अनुमोदन नहीं करता है।"

श्री अध्यक्ष—आपके १५ मिनट हैं।

श्री अवधेश प्रताप सिंह—श्रीमन्, यह तो कम होगा।

श्री अध्यक्ष—यह तो नियम में ही दिया हुआ है।

श्री अवधेश प्रताप सिंह—मान्यवर, जब हम भारतवर्ष, इस प्रदेश में प्रजातन्त्र की दुहाई देते हों, जब उसको राम राज्य बनाने की इच्छा रखते हों वैसी परिस्थिति में ऐसे निन्दनीय कलंकित आर्डिनेंस का प्रादुर्भाव होना सर्वथा अनुचित है और महान् दुखदाई है। मान्यवर, यह निर्विवाद है, निर्विरोध है कि महामान्य राज्यपाल को यह अधिकार है अनुच्छेद २१३ (१) के अधीन कि वह आर्डिनेंस बना सकते हैं। परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब हाउस या हाउसेज सेशन में हों तो उस समय उनको यह अधिकार नहीं होता है। मान्यवर, यह सब को विदित है कि हम २४ मार्च को होली के लिए उठे और दूसरी तारीख को पुनः मिलने वाले थे। ऐसी परिस्थिति में उस आर्डिनेंस का आना सर्वथा अनुचित है और साथ ही साथ भारतीय संविधान की स्प्रिट के विरुद्ध है। मान्यवर, आपके द्वारा सदन का ध्यान अनुच्छेद १३ (१) की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जहां तक महामान्य राज्यपाल को यह अधिकार है साथ ही साथ उनके लिए यह भी देखना परमावश्यक है कि वह इससे संतुष्ट है, इससे वह सेटिसफाइड हैं कि इस प्रदेश में एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई, एक ऐसी एमरजेन्सी है जिसकी वजह से वह आर्डिनेंस लावें।

श्रीमन्, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि माननीय मन्त्रिगण इसको सुन लें जब कभी किसी भी लेजिस्लेशन में लफ्ज "सैटिस्फैक्शन" लफ्ज आता है तो उसके माने हैं रीजनेबुल सेटिस्फैक्शन से। दूसरी बात उसके साथ-साथ हमको यह भी देखनी है कि जो आर्डिनेंस आता है, क्या वह इमर्जेन्सी ऐसी है कि जिसकी कसौटी पर यह देखा जा सके कि जो आर्डिनेंस बनाया जा रहा है वह औचित्यपूर्ण है। मान्यवर, मैं कपोलकल्पित या अपने मन से नहीं बल्कि आइन्दा चल कर इस सदन के सम्मुख रूलिंग रखूंगा और इसका विश्वास दिलाऊंगा कि यह सर्वथा अनुचित हुआ है और अवैधानिक है। मान्यवर, यह आपके द्वारा मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आप यह न भूलें कि जब कि यह हाउस सेशन में था वह तो एक दूसरी वस्तु है लेकिन यह सेटिस्फेक्शन होना चाहिए था कि इमर्जेंसी थी और दूसरी बात जो देखनी चाहिए थी वह यह है कि इमर्जेन्सी इस आर्डिनेंस

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

को जस्टीफाई करती है या नहीं। मान्यवर इसके सम्बन्ध में मैं कुछ रूलिंग्स आपकी आज्ञा से पेश करना चाहता हूं। श्रीमन्, यह रतनलाल वर्सेस स्टेट आफ बिहार केस है और जस्टिस सरजू प्रसाद का स्टेटमेंट है—

" The Ordinance in question has been promulgated by the Governor of the State of Bihar in exercise of the powers conferred on him by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India. Article 213 provides that when the Legislative Assembly of a State is not in session, or where there is a Legislative Council in a State when neither of the Houses of the Legislature are in session the Governor is entitled to promulgate Ordinace but before he does so, there are two conditions necessary: first is that the Governor should be satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action, and second is that he may promulgate such Ordinances as the circumstances appear to him to re- quire."

मान्यवर, इसी के साथ-साथ मैं उसी केस में चीफ जस्टिस स्टेट आफ बिहार जस्टिस मेरेडिथ का स्टेटमेंट भी पढ़ना चाहता हूं—

" For valid Ordinance, two conditions are necessary under Article 213 (1) that the Governor is satisfied that circumstances exist which require immeditate action, and (2) that in his opinion the circumstances require such an Ordinance as he promulgates."

श्रीमन्, इसके आगे वह लिखते हैं—

" This point at first glance may appear highly technical or even trivial. Yet, in my opinion, this is the rock upon which this Ordinance must be founded. A slender pinnacle of rock is sometimes the sharpest and most effective in sinking the ship. We are apt to lose sight of the importance of the point simply because we almost inevitably think of the matter in the light of the existing circumstances and the existing Ordinace, and find it difficult to ingnore the fact that the present Ordinance is quite clearly in appropriate to the circumstances."

श्रीमन्, सरकार के पक्ष में यह कहा जाता है या अभी नहीं तो कुछ देर बाद कहा जायगा कि अपर हाउस प्रोरोग हो चुका था तो गवर्नर महोदय को यह अधिकार था, यह उनके अधिकार क्षेत्र में था कि वह आर्डिनेंस बना सकें। श्रीमन्, जैसा कि मैंने आपके सम्मुख इन रूलिंग्स को रखा है उसके साथ-साथ उसकी यह दो कंडीशन्स भी लाजिमी हैं। देखना है कि हां, सचमुच इमर्जेन्सी है और इसी के साथ-साथ श्रीमन् कांस्टीटचूएंट असेम्बली में डाक्टर अंम्बेदकर ने इसी आर्टिकिल के सम्बन्ध में यह कहा है कि कोई ऐसी इमर्जेन्सी एराइज होनी चाहिये और इसके पीछे सिद्धान्त ही यह है कि गवर्नमेंट को यह पावर दी जाती है कि यदि कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाय जब कि कोई हाउस या हाउसेज सेशन में न हों, तब ऐसी इमर्जेन्सी की बात कही जा सकती है। लेकिन मैं सरकमस्टैंसिज को बताना चाहता हूं कि जब कि हम २४ तारीख को उठे और २ तारीख को पुनः मिल रहे थे, अपर हाउस प्रोरोग किया गया था कि और संभवतः मार्च के महीने में बहुत ही कम उदाहरण ऐसे होंगे जब कि अपर हाउस प्रोरोग हुआ हो। अगर गवर्नर महोदय को ऐसा करना ही था या सरकार की सम्मति पर उनको करना था तो वह इस हाउस को भी प्रोरोग कर सकते थे। लेकिन एक हाउस बैठा हुआ था। इससे इन्कार नहीं कि इस भवन की जो जिम्मेदारियां हैं

उनको हमें पूरी करना है। क्या कारण है, मैं इस पूरे सदन से पूछना चाहता हूं, कि सरकार ने हम से छिपाया? २४ फरवरी को जब बजट भाषण मंत्री महोदय ने यहां दिया था उसके बाद एक पूरा महीना उनके पास था और अगर यह कहा जाय सरकार की तरफ से कि सेंट्रल बजट हमारे सामने न था तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट आया, उसके बाद भी उनके पास काफी समय था जबकि वह सदन को बता सकते थे। और श्रीमन्, यही नहीं जब कि १६ अप्रैल को अपर हाउस फिर बुलाया जा रहा था। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सदन का यही सम्मान है? क्या यह सरकार हमारे अधिकारों की रक्षा इसी भांति करेगी कि जब हम जाग्रत हों, बैठे हों उस समय महामान्य राज्यपाल से आर्डिनेंस पास कराया जाय? यही नहीं, वे कौन से पदार्थ हैं जिनके ऊपर कर लगाया जा रहा है? वह अन्न और नमक है। क्या श्रीमन्, आज महात्मागांधी का नाम याद करके, यह उस पक्ष से नहीं बल्कि हर भारतीय का सर क्या नीचे नहीं होता है? क्या उसमें लज्जा नहीं आती है? क्या उसमें पश्चाताप नहीं होता है? क्या धमनियों में अब रक्त नहीं रहा जो उन बापू को बातों को समझ सकें या याद कर सकें कि उस नमक के लिए हमने ब्रिटिश साम्राज्य से टक्करें लीं और क्या-क्या किया। आज इस सदन में बैठकर मैं यह नहीं कहना चाहता कि आप निकम्मे हैं या सरकार निकम्मी है। हम सभी निकम्मे हैं। वह लांछन हम पर भी है। यह एक ऐसा विषय नहीं जिस पर पार्टी का खयाल किया जाय। मैं माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि इसमें दल के प्रभाव से प्रभावित होकर आप अपना मत और विचार न प्रकट कीजिये। श्रीमन्, यह सच है कि जहां एक प्रजा की जिम्मेदारी है वहां हम एलेक्टर्स की भी जिम्मेदारी है। हम सभी चुनकर आये हैं। हमारा यह मुख्य कर्तव्य है कि आज उनके हकों की रक्षा करें। आज अन्न और नमक पर टैक्स लगा कर यह न समझा जाता हो कि इसका प्रभाव क्या होगा। श्रीमन्, यह मल्टी प्वाइंट टैक्सेशन है। इसका नतीजा यह होगा कि जितने हाथों में यह अन्न जाता है, जितने दूकानदार इसको खरीदते हैं या बेंचते हैं उतना ही टैक्स लगा दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष--क्या आप कुछ समय ज्यादा लेना चाहते हैं?

श्री अवधेश प्रताप सिंह--जी हां।

श्री अध्यक्ष--चूंकि माननीय सदस्य ने एक स्वतंत्र प्रस्ताव दिया है, अगर वह नारायण दत्त जी से पहले लाते तो उनका अधिक वैधानिक था, जो माननीय सदस्य इस वक्त बोल रहे हैं, लेकिन चूंकि, मैंने नारायणदत्त जी को अपने प्रस्ताव में संशोधन करने की इजाजत दी थी इसलिये यह संशोधन के रूप में आ गया है। तो मैं यह उचित और न्यायसंगत समझता हूं कि माननीय सदस्य को जो पूरा समय दिया जाता है, प्रस्तावक को २५ मिनट वह इनको दिया जाय। इसमें किसी को आपत्ति तो नहीं है?

(कोई आपत्ति नहीं की गयी)

तो इसी तरह से अन्य दो माननीय सदस्यों के लिये भी मंत्रियों में से, मैं इजाजत दूंगा कि वह २५-२५ मिनट बोल सकें। इससे बराबरी हो जायगी।

श्री अवधेशप्रताप सिंह, आप जारी रखें।

श्री अवधेशप्रताप सिंह--मान्यवर, यह टैक्स का सर्वसिद्ध सिद्धांत है कि मल्टी प्वाइन्ट टैक्स जो होता है वह सिंगिल प्वाइन्ट टैक्स से कम होता चाहिये।

मान्यवर, अन्न पर मल्टीपिल प्वाइन्ट टैक्स लगाया जा रहा है। इसका असर यह होगा कि जितने दूकानदारों के हाथ से वह जाता है उतना उस पर टैक्स लगता जायगा। यहीं नहीं मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि उन गांवों में छोटा बनिया जो निरक्षर है जो साक्षरता, से मतलब नहीं रखता जो हिसाब-किताब नहीं रख सकते हैं उनके ऊपर इसका क्या असर होगा?

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

और किस तरह से उनसे हिसाब-किताब रखवा सकते हैं। श्रीमन्, इसका परिणाम यह होगा कि देहातों में भाव बढ़ते जायेंगे जो कि आप आज लखनऊ में ही अनुभव कर सकते हैं। आज बहुत से हमारे भाई बगैर शक्कर के चाय पाये होंगे बहुतों को आटा न मिला होगा, बहुतों को चावल न मिला होगा और वह ब्लैक मार्केटिंग जो फैला हुई थी उसका नज्जारा फिर हमको दिखाई दिया। वह छोटे-छोटे दूकानदार जो दूकान खोले थे उन्होंने अपने मनचाहे दाम लिये।

मान्यवर, मैं इसके साथ-साथ सरकार से यह भी जानना चाहूंगा कि इस टैक्स से वह कितना फायदा उठाने की सोचते हैं। साथ ही साथ वे यह भी बताने की कृपा करें कि सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में कितना वृद्धि होने वाली है। यह सच है कि साढ़े नौ करोड़ का डेफिसिट बजट हमारे सामने है और मेरे पास सरकार की तरफ से कोई फैक्ट्स फिगर्स नहीं हैं लेकिन अंदाजा यह है कि शायद साढ़े पांच करोड़ इससे उनको मिलने वाला है। मैं मान्यवर यह कहना चाहता हूं कि जहां पर वे गल्ले पर मल्टीपिल प्वाइन्ट टैक्सेशन करें या नमक पर टैक्स लगाएं वहां अगर सरकारी विभागों में देखा जाय और केवल इस्टाब्लिशमेंट कमेटी के जो इशारे हैं उन पर ही सरकार गम्भीरतापूर्वक कार्य करें तो कम से कम दो करोड़ या इससे अधिक ही बचत हो सकता है। श्रीमन् एक तरफ तो सरकारी कर्मचारी लोग जीप्स पर घूमें, पैट्रोल पानी की तरह फूंके और हर तरह से रुपया नष्टभ्रष्ट किया जाय दूसरी तरफ अन्न के लिये हम टैक्स दें, तन ढांकने के लिये वस्त्र चाहिये तो उसके लिये भी टैक्स मौजूद है, साधारण सी चीज नमक चाहते हैं तो उसके लिये भी टैक्स मौजूद है। मान्यवर, यह दुख की बात है। यह ठीक है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये हमें धन चाहिये परन्तु यह आप न भूलिये कि इस प्रदेश के लोगों की पेइंग कैपेसिटी है उस पर गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिया जाय। कहां तक हम उन टैक्सों को दे सकते हैं और मान्यवर इसका क्या प्रभाव होगा यह भी देखना है।

श्री अध्यक्ष—मैं चाहता हूं कि सदन में शांति रहे। बातें बहुत हो रही हैं, भाषण सुनाई नहीं देता।

श्री अवधेशप्रताप सिंह—बहुतों में जो द्वितीय योजना के प्रति श्रद्धा है जो आज आशा लगाये हुये बैठे हैं उनको भी ठेस पहुंचेगी और श्रीमन् यहां नहीं जो सबसे बड़ा गम्भीर बात है देखने की वह यह है कि आखिर वह कौन-कौन सी चीजें हैं जो इस प्रदेश के टैक्सेशन से एक्जेम्ट होने चाहिये। श्रीमन्, इस प्रदेश में कोई भी दो राय नहीं हो सकती कि जीवन के बहुत से आवश्यक पदार्थ हैं उनपर कोई कर न लगाया जाय और अगर कोई लेने के लिये उतारू है जो सर्वथा अनुचित है। यह मल्टीपिल प्वाइन्ट टैक्स इस तरह से लगना चाहिये जो टैक्सपेयर को खल न सके। श्रीमन्, यह ठीक है एक सिंगिल प्वाइंट से ज्यादा टैक्स लगाया जा सकता है लेकिन मल्टीपिलपवाइन्ट टैक्स अगर खासकर जैसे गल्ला है बड़ा खलने वाला है जैसे एक ही बाजार में एक बड़ा बनिया है उससे छोटा बनिया लेता है और उसी से दस कदम आगे छोटा बनिया लेकर उसे रखता है और बेचता है। हर काश्तकार के पास क्या काफी गल्ला है कि दोनों वक्त खा सके। यह सही है कि आपने १९ प्रतिशत पर कैपिटा इन्कम बढ़ा दी हो और यह भी सही है कि गल्ला आप दूसरे स्थानों में बेच रहे हैं परन्तु यह भी न भूलिये कि ऐसे लोग इस प्रदेश में हैं जिन्हें दोनों वक्त खाना मिलना दुर्लभ है ऐसी परिस्थिति में ऐग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं। बहुत सी जगह तो मिनिमम वेजेज ऐक्ट लागू है लेकिन बहुत सी जगहों पर लागू नहीं है। मजदूर जो कमाता है वही खाता है। ऐसी परिस्थिति में जब कि खाने के लिये उसके पास पैसा नहीं है वह सरकार को टैक्स देगा। यह तो वह उसूल है जैसे रोम में जूलियस सीजर ने कहा था कि हर गरीब आदमी को टैक्स देना पड़ेगा या रूस में पीटर्स ने कहा कि जो आदमी दाढ़ी नहीं रखता वह भी टैक्स दे। यह सरकार प्रजातंत्र की बड़ी दुहाई देती है। लेकिन मैं आपको यह निहायत अदब के साथ बताना चाहता हूं कि दुनिया में बहुत से ऐसे लोग थे जो कि अपने अधिकारों को संकुचित नहीं करना चाहते थे। हिटलर और मुसोलिनी भी ऐसे लोग थे। उनकी दुर्दशा भी

हमने देखी है और उनके अच्छे दिन भी हमने देखें हैं। "नो टैक्सेशन विदाउट रेप्रेजेंटेशन" डेमोक्रेसी का यह एक ऐसा उसूल है जिसके खिलाफ कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इतना रिप्रेजेंटेशन होते हुये २४ तारीख तक हम मौजूद हैं और होली के लिये जाते हैं तो आर्डिनेंस आ जाता है। श्रीमन्, आपने स्वयं देखा कि यूनिवर्सिटीज के दो विधेयकों को ५ बजे के बाद भी बैठकर हमने किया। अगर हमसे यह बताया जाता कि आर्डिनेंस आने वाला है तो १२ बजे रात तक बैठते और आपको नेक सलाह देते और उस मार्ग से जाने से रोकते जो आपके लिये कदापि हितकर नहीं हो सकता है।

यह मैंने माना कि अभी माननीय हाफिज जी "स्वामी नायडू वर्सेज इंस्पेक्टर आफ पुलिस" और "बैद्या चौधरी वरसेज स्टेट आफ बिहार" की रूलिंग को सामने रख देंगे और आर्टिकिल १७४ की शरण लेंगे और यह कहेंगे कि गवर्नर को यह अधिकार था कि चाहे एक हाउस प्रोरोग करें चाहे दोनों करें? लेकिन इन दोनों केसेज में ये सूरतें नहीं हैं और यह इस पर लागू नहीं होता। यह मैंने इसलिये कह दिया कि आपको कोई मौका नहीं कि इस रूलिंग को लेकर इस सदन में ढिंढोरा पीटें। और यह कहना कि आर्टिकल १७४ में महामान्य राज्यपाल को अधिकार था, तो यह अधिकार तो उनको उस समय भी था। हाउस और हाउसेज में सेकली इंटरप्रेट किया जा सकता है कि लोअर हाउस या अपर हाउस अगर विधान के प्रति यही भावना रखी जायगी कि वह कोई साप्ताहिक या मासिक पत्र है जो केवल इन महान व्यक्तियों के दिलों को राहत पहुंचाने के लिये उनकी तबियत में खुशी रखने के लिये नित्य प्रति दिन बदला जा सकता है तो मैं समझता हूं कि उसकी पुनीतता और पवित्रता कायम नहीं रह सकती। यही नहीं, इस संविधान में हमें यह गारंटी दी गयी है कि बहुत सी खाने की सामग्री प्रेसीडेंट महोदय की इजाजत पर है। मैं राज्यपाल और प्रेसीडेंट के खिलाफ तो कुछ नहीं कह सकता लेकिन इस पर प्रेसीडेंट महोदय के हस्ताक्षर होने चाहियें।

मान्यवर, आज जब कि समय बहुत कम है मैं केवल आपके द्वारा माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग इस पर गम्भीरता से सोचें। यह नहीं कि अवधेश प्रताप ने कह दिया है इसलिये कोई गुनाह हो गया। मैं समझता हूं कि जनता का हित मुझ से कम आपके दिल में नहीं है। मुझे यह भी स्वीकार है कि आपने अधिक बलिदान और जनता की अधिक सेवायें की हैं और मैं आपके द्वारा उनसे यह पूछना चाहता हूं कि इस गरीब जनता ने क्या गुनाह कर दिया है? क्या यही कि उसकी वजह से इतने बहुमत में आप आज इस जगह पर विराजमान हैं। यदि यही उसका गुनाह है और भगवान ने यदि कुशल रखी तो कुछ थोड़े से दिनों के बाद हमें फिर से पोल्स पर जाना है और उसकी मिसाल आप इलेक्शन में देखेंगे और जब इस भवन से, इस विशाल भवन से उठकर, जब कि यहां पर बिजली भी है, पंखा भी है और सब तरह का आराम भी है, जब देहातों में चलेंगे, जहां की जनता ने आपको यहां भेजा है, उनका सामना करेंगे और उनकी तकलीफों को देखेंगे तो वहां तकलीफें आपको भी दिखाई पड़ेंगी। लेकिन यहां तो लखनऊ का वातावरण है जिसमें सुख और शांति के कारण आप अपने कर्तव्य को भूल चुके हैं। केवल थोड़े से शब्दों में मैं आपको याद दिहानी कराना चाहता हूं। यदि उचित हो तो मानिये वरना मत मानियेगा।

(डाक्टर सम्पूर्णानन्द के खड़े होने पर श्री रामनारायण त्रिपाठी ने नारा लगाया "मुख्य मंत्री इस्तीफा दें, मुख्य मंत्री इस्तीफा दें")

श्री अध्यक्ष—सदन में नारे लगाना उचित नहीं है।

*मुख्य मंत्री (डक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, इस अध्यादेश के संबंध में कई तरह की बातें कही जा सकती हैं और कही भी गई हैं। एक कच्चा तर्क यह भी सुनने में आया कि इस अध्यादेश का निकाल अनकांस्टीट्यूशनल था। मैं इस बात के ऊपर बहस करके सदन का समय नष्ट करना नहीं चहता हूं। जिन लोगों ने हमारे कांस्टीट्यूशन का थोड़ा सा भी अध्ययन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

किया होगा। वह जानते हैं बगैर किसी लम्बी किताबों को देखे हुये, बगैर किसी हाई कोर्ट की रूलिंग को पढ़े हुये, कि किन परिस्थितियों में आर्डिनेंस निकाला जा सकता है और वह यह भी जानते हैं कि उन्हीं परिस्थितियों में यह निकाला गया है ; हां एक बात हो सकती है, उसके संबंध में दो रायें हो सकती हैं। शायद किसी का कहना यह है कि यह अध्यादेश लेटर आफ कांस्टीटयूशन के अनुसार निकाला गया है लेकिन स्प्रिट आफ कांस्टीट्यूशन के विरुद्ध है। यह बिल्कुल कायदे की बात है, ठीक है लेकिन जो मतलब था कांस्टीट्यूशन बनाने वालों का.....

श्री अध्यक्ष---आपके पैर में दर्द होने से यदि आप बैठना उचित समझते हों तो बैठ जायं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इसके लिये मैं आपका आदर करता हूं, लेकिन यह आदत हो गई है। यदि नहीं होगा तो मैं पैर उठाकर रख लूंगा।

श्री अध्यक्ष---लेकिन बीच में आप यदि बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--- स्प्रिट आफ कांस्टीट्यूशन यह एक बड़ी वेग चीज है, दार्शनिक है और इस पर बड़ा विचार हो सकता है लेकिन इसके लिये यहां फारम नहीं है। जहां कानून की बड़ी-बड़ी किताबों हों वहां पर विचार हो सकता है कि यह स्प्रिट आफ कांस्टीट्यूशन के विरुद्ध है या नहीं। इसलिये मैं समय का लिहाज रखते हुये इस बहस में पड़ना नहीं चहता हूं। नैतिकता और अनैतिकता ऐसे शब्दों का भी यहां पर प्रयोग हुआ है। यह भी बड़ा गम्भीर प्रश्न है। मैं भी दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी हूं और घंटों इस पर बोल सकता हूं कि यह नैतिक है या अनैतिक है। इस पर काफी गम्भीरता के साथ बोल सकता हूं कि पोलिटीकल साइंस के अनुसार पोलिटिक्स में किस को नैतिक कहते हैं और किस को अनैतिक कहते हैं; परन्तु वह भी यहां पर अप्रासंगिक है। हमको इसी बात को देखना होता है कि कांस्टीट्यूशन के मुताबिक कोई चीज है या नहीं और वह ला के मुताबिक है या नहीं। अगर इसके आगे हम जाने लगेंगे तो बहुत लम्बे चौड़े झमेले में पड़ जायेंगे। मैं उसमें इस सदन का समय नष्ट करना नहीं चाहता।

एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि यह बात कही गयी और यह बातें कही जाना संभव था कि जिन चीजों का इस अध्यादेश में जिक्र है उनमें कौन चीज ऐसी हैं जिन पर टैक्स लगना नहीं चाहिये या उन चीजों पर कितना टैक्स लगना चाहिये या जिन पर टैक्स लगने की बात सोची गयी है उन पर थोड़ा टैक्स लगना चाहिये या जितने टैक्स लगने की बात सोची गयी है उतना टैक्स नहीं लगना चाहिये। मैं मानता हूं कि इस प्रकार से विचार करना सर्वथा उपयुक्त है और सर्वथा वैध है लेकिन यह जरूर मेरा ख्याल है कि अभी इस सदन को उस बिल पर विचार करना होगा। अकेले अध्यादेश से टैक्स नहीं लगने वाला है। बिल को यहां पर आना होगा और इसकी एक-एक क्लाज पर, एक-एक अंश पर, एक-एक अंग पर इस सदन को विचार करना है। सदन को पूरा अख्तयार है कि जो टैक्स उचित समझे उसको लगाये और जिसको वह उचित नहीं समझे उसको न रखें। जिस चीज की रेट को बढ़ाने की बात कही गयी है उसको कम कर दें ; मैं इस बात के लिये आग्रह नहीं करता कि जिन शब्दों में यह अध्यादेश रखा गया है उसमें परिवर्तन नहीं होगा। हम बराबर आपकी बात को सुनने के लिये तैयार हैं। माननीय सदस्य अगर कोई सजेशन करना चाहें या कोई सलाह देना चाहें या मुझको सलाह देना चाहें या वित्त मंत्री जी को सलाह देना चाहें तो हम हमेशा मानने के लिये तैयार हैं। जहां तक व्यापारियों की बात है, आज कानपुर से बुलियन के व्यापारी आये थे और वे माननीय वित्त मंत्री से मिले हैं और कुछ कपड़े के व्यापारी आने वाले हैं और दूसरे लोग भी आने वाले हैं, उन सब की बराबर हम बातें मानने के लिये तैयार हैं। जो भी आवश्यक होगा जहां तक संभव होगा हम उसमें देखेंगे कि अध्यादेश का जो रूप है उसमें आगे चलकर जो बिल का रूप होना चाहिए उसमें हम क्या तरमीम कर सकते हैं।

उसमें अगर बड़े-बड़े विशेषण की जरूरत होगी तो शांतिपूर्वक बड़ी आसानी से उस पर विचार हो सकता है और विचार होगा लेकिन उसका समय आज नहीं है। बिल आयेगा उस समय उस पर विचार होगा। इस बीच में हम बराबर विचार कर रहे हैं और जो भी रिप्रजन्टेटिव आता है, उनके सुझाव आते हैं, आये हैं और आने वाले हों उन सब पर हम विचार करने के लिये तैयार हैं। उसके उद्देश्य में ऐसी चीज होनी चाहिये जो कि इस प्रदेश के लिये हर तरह से बेहतरी की हो।

यह बात जरूर मैं कह दूं कि किसी की धमकी का असर हमारे ऊपर होने वाला नहीं है। कुछ लोगों के तार भी आये हैं कि हम अनशन करना चाहते हैं या और किसी प्रकार से मरने की बात करते हैं। तो अगर कोई शख्स इस प्रकार से समझ सकता है कि उसकी जान फिजूल है, अगर कोई यह समझता है कि उसकी जिन्दगी का कोई और उपयोग नहीं है तो उसको पूरा अख्तयार है लेकिन जहां पर करोड़ों मनुष्यों की जान का सवाल है, करोड़ों मनुष्यों की भलाई और बुराई का सवाल है तो वहां पर किसी का अनशन करना सरकार के कामों को जो जनता के हित में किये जाने वाले हों सरकार नहीं बदला करती। आज हड़ताल हो रही है। हड़ताल ऐसी चीज नहीं है जिसके लिये हम तैयार न हों। हम जानते हैं जब कोई टैक्स लगाया जाता है तो वह बहुत अच्छा किसी को नहीं लगता। बहुत से ऐसे टैक्स होते हैं कि उनके विरोध में कुछ प्रोटेस्ट करना मुश्किल होता है। मसलन तार का रेट बढ़ गया। भारत सरकार ने तार के रेट को बढ़ा दिया, रजिस्ट्री के रेट को बढ़ा दिया लेकिन यह जरा मुश्किल है कि हम तार न देंगे, हम रजिस्ट्री नहीं करेंगे। तो जहां प्रोटेस्ट नहीं हो सकता। इस तरह के बहुत से टैक्स होते हैं जिनको जबरन बरदाश्त करना पड़ता है, लेकिन हम जानते हैं कि बहुत टैक्स ऐसे होते हैं जिनके खिलाफ प्रोटेस्ट करना संभव है। हर शख्स को पूरा अधिकार है कि वह प्रोटेस्ट करें, अपनी नाराजी जाहिर करें और उनमें एक तरीका हड़ताल करने का भी है। लेकिन एक चीज मैं कह देना चाहता हूं कि हर चीज की सीमा होती है। कहीं-कहीं ३,४ दिन की हड़ताल की बात कही जाती है कहीं ७ दिन की हड़ताल की बात कहीं जाती है और जो लोग हड़ताल की बात कहते हैं वह यह भी जाहिर करते हैं कि उनको जनता के साथ बहुत बड़ी हमदर्दी है और बड़ा प्रेम है। प्रेम का अन्दाजा हमको भी है, हम भी जानते हैं कि जिस समय गरीब किसान से अन्न खरीदा जाता है, किस भाव पर खरीदा जाता है, गुड़ किस भाव पर खरीदा जाता है और बाजार में रोक कर किस भावों पर लोगों को बेचा जाता है। उस वक्त प्रेम कहां चला जाता है? हम भी खूब जानते हैं प्रेम को। अब ऐसे मौके पर लम्बी चौड़ी हड़तालों की बात कही जा रही है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पहली तारीख को तनख्वाह मिलती है। सर्विस वाले लोगों के पास आम तौर से महीने का गल्ला नहीं रहता है। तो जिसके साथ प्रेम की बात कही जाती है उसे भूखों मारने का इन्तजाम किया जाता है, क्या यही प्रेम समझा गया है? हम थोड़ा सा मौका देते हैं देखने का लेकिन हम इन प्रेम करने वालों को इस बात का मौका नहीं देंगे कि लोगों को भूखों मार दें। इस तरह की धमकियों में हम आनेवाले नहीं हैं। शांति के साथ, ठंडे दिल से, हर समय हम विचार करने के लिये तैयार हैं। जो भी रेट की बात है, सिंगिल प्वाइन्ट या मल्टीपिल प्वाइन्ट की बात है हम उस पर विचार करने के लिये तैयार हैं। लेकिन यदि कोई धमकियों से हमारे निश्चयों को बदलवाने की आशा करें तो उसे एक दम निराश होना पड़ेगा।

एक या दो बातें कही जाती हैं उन्हें हमें ठीक से समझ लेना है। अभी कुछ माननीय सदस्य ने जिक्र किया कि हमको पंचवर्षीय योजना चलाना बहुत जरूरी है लेकिन इकानामी से काम चल सकता है। मैं सौ बार मानने के लिये तैयार हूं कि इकनामी की गुंजाइश होगी। इकानामी की कमेटियां हैं, न हों तो और बैठ सकती हैं। लेकिन हमको बात व्यवहार की दृष्टि से करनी चाहिये। सब लोगों को अपने घर गृहस्थी का तजुर्बा है और बड़ी गृहस्थी का काम भी है जो यहां हो रही है और माननीय सदस्य गवर्नमेंट की कमेटियों के सदस्य भी हैं

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

वह भी जानते होंगे कि जहां करोड़ों रुपये का काम होता है वहां पर जरूर कुछ गुंजाइश इकानामी की होगी? लेकिन जितने रुपये की जरूरत पंचवर्षीय योजना के लिये है उतनी गुंजाइश कहीं से नहीं निकाल सकती है।

कुछ जिक्र वोट का, आगरे का या किसी और जगह का हुआ। हम जानते हैं कि वोट के क्या मानी होते हैं। हमारे सामने यह भी बात आई कि आगे चलकर जनरल इलैक्शन हैं और उसके पहले इस चीज को नहीं करना चाहिये था। जहां तक उन लोगों की बात है जो इस तरफ बैठे हैं मैं इतना स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि हमारे यहां होने का खास कारण है। आज से कुछ वर्ष पहले हम दूसरी जगह थे। हम गांव-गांव और जंगलों में मारे-मारे फिरते थे और जेलों में देख पड़ते थे। यह इसलिये नहीं था कि हमको जेलों में रहना अच्छा लगता था या घर पर आराम से नहीं खा सकते थे। लेकिन इसलिये था कि हमको और उस संस्था को जिसके हम सदस्य हैं यह बात मान्य थी कि देश की सेवा करने का वही तरीका था। आज अगर हम यहां हैं तो हमारे यहां रहने का एक मात्र उद्देश्य यही है कि हमको उस संस्था को जिसके हम अंग हैं यह विश्वास है कि देश की सेवा करने का यही एक तरीका है। हम किसी कुर्सी पर चिपकना नहीं चाहते हैं। हमने देश की सेवा का आयोजन बनाया है। न केवल हमने ही बल्कि देश के सभी लोगों ने मिलकर एक आयोजन बनाया है। अगर पब्लिक यह समझती है कि इस तरह से देश की सेवा हो सकती है तो वह हमें यहां भेजेगी वरना किसी और को भेजेगी जो बगैर रुपये पैसे के, जादू मंतर से, देश की भलाई के कार्य कर सकते हों। वोट के लिये हम किसी अच्छे काम को नहीं छोड़ सकते हैं जिससे देश का कल्याण होने वाला है। हम देश की सेवा उसी तरीके पर करेंगे जो हमारी बुद्धि से ठीक है। जो हमने इतनी बड़ी योजना बनाई है यह कैसे चलेगी? इस सदन ने उसका एक हिस्सा पास किया। सारी पब्लिक को अधिकार है कि वह हमसे पूछे कि आपने ५ वर्षों में जो इतना बड़ा खर्च करने की योजना बनाई है, इतना खर्चा करने का तय किया है, उसमें इतनी तो हमारी आमदनी है, और बाकी गैप कैसे भरा जायगा। ईमानदारी से इसका कोई जवाब तो होना चाहिये।

गवर्नमेंट आफ इंडिया जरूर हमको कुछ रुपया देती है लेकिन उसका कुछ आधार होता है। यह नहीं हो सकता कि वह सारा का सारा रुपया हमको खैरात की तरह से दे दें। हमें उत्तर प्रदेश का रुपया भी लगाना ही होगा। जो लम्बी चौड़ी बातें हम करते हैं कि हमको स्कूल भी चाहिये, अस्पताल भी चाहिये, सड़कें और नहरें भी चाहिये, बेरोजगारी भी दूर होनी चाहिए तो ये सब पैसे के बिना नहीं हो सकता है। सरकार के पास पैसा टैक्सेशन से ही आता है यद्यपि यह दूसरी बात है कि कहीं से १ पैसा घटाकर दूसरी जगह बढ़ा दिया जाय। किसी भी पार्टी का कोई सदस्य हो, हरएक को यह सोचना है कि, हर माननीय सदस्य को यह सोचना है कि अपने यहां से बीमारी, अविद्या बेरोजगारी इत्यादि को दूर करना है या नहीं। यह सब बगैर रुपये के नहीं हो सकता है। रुपया आने का सिवाय टैक्सेशन के दूसरा तरीका नहीं है। अगर देश की जनता के सामने चीज को साफ-साफ रखा जाय तो वह इस बात को मानेगी और इस बात का अन्दाजा कर सकती है कि रुपया लगाया जाय और परिश्रम किया जाय तो क्या-क्या काम हो सकते हैं। मैं उन मित्रों से जो सामने बैठे हैं एक अपील करना चाहता हूं। यह मेरे लिये मुमकिन है कि मैं एक ऐसी स्पीच दे दूं जिसके जरिये से मैं यह साबित करने की कोशिश करूं कि देश के कल्याण का सारा ठेका मैंने ले रखा है और जो लोग सामने बैठे हैं वे देश की भलाई नहीं चाहते हैं और जो काम करते हैं देश के हित के खिलाफ करते हैं। इसी प्रकार से सामने के मित्र भी एक स्पीच दे सकते हैं कि हम देश का कल्याण न करके हानि करते हैं। हमारी और आपकी स्पीचें अखबारों में छपें, लेकिन यह सोचना है कि हमारी इस अखाड़ेबाजी में उठकापटकी में किसका नुकसान होता है। एक स्पीच कैसी भी जोरदार हो सकती है लेकिन यह देखना है कि उससे देश की हानि होगी या लाभ। एक कामा और फुलस्टाप पर घंटों बहस हो सकती है लेकिन यह देखना है एक भलाई किसमें है। जनता के हम और आप प्रतिनिधि हैं और उसका कल्याण होना चाहिये। अगर इस दृष्टि से देखा जाय तो जैसे प्रस्ताव उपस्थित किये गये

हैं उनके लिये कोई स्थान नहीं है। मैं फिर दोहराता हूं जिस समय ब्योरे की बात आवे हम बातचीत करने के लिये तैयार हैं। टैक्स की बात नहीं सोचनी चाहिये यह न हम और और न आप जनता के सामने कह सकते हैं। जनता को हमें, आपको और इस कड़वे, प्याले के लिये तैयार करना ही होगा। बगैर पैसे के लोग किसी हालत में भी उन चीजों को नहीं पा सकते हैं जो स्वराज्य के बाद उनको हासिल होनी चाहिये। हम चाहते हैं कि हम लोग मिलकर अपने, अपने कर्त्तव्यों को समझें। ब्योरे की बातों का तो माननीय वित्त मंत्री जी उत्तर देंगे। मेरा निवेदन केवल इतना है कि हम लोगों को पार्टी के ऊपर इन बातों में उठना चाहिये। यदि हमने ऐसा किया तो मुझे विश्वास है कि हम अपने देश में उचित टैक्स लगा लेंगे और अपने आयोजन को सफलतापूर्वक पूरा कर सकेंगे।

*श्री राधामोहन सिंह (जिला बलिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी के भाषण के बाद अब ऐसा कोई बात नहीं रह जाती है जिस पर मेरे लिये कहना आवश्यक हो और मैं यह आशा करता हूं कि माननीय नारायण दत्त जी तिवारी अपने प्रस्ताव को वापिस ले लेंगे। जिस तरह से माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसका समर्थन किया है उससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इस अध्यादेश की आवश्यकता थी और वह उचित था। मैं किसी भी प्रकार से तिवारी जी और अवधेशप्रताप सिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकता। इसका यह अर्थ नहीं है कि जो कुछ भी अध्यादेश में लिखा हुआ है उसका पूरी तरह से समर्थन कर रहा हूं। इस बात को तो हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्पष्ट कर ही दिया कि सदन के सामने जब वह बिल आयेगा तो सदन को यह अख्तियार होगा कि जो भी चाहे उसमें संशोधन करे, जितनी चीजों को छोड़ना चाहे छोड़े, जितनी चीजों पर और टैक्स लगाना चाहें लगाये। तिवारी जी ने गांधी जी तथा और लोगों को भी कोट किया। मैं आज उनसे यह कह देना चाहता हूं कि आज जो हम यहां आये हुए हैं वह इसलिये आये हुए हैं कि हमारे प्रान्त की जनता के हित में जो कुछ हो उस पर गम्भीरता-पूर्वक विचार करें और भावावेश में आकर कोई बात न कर बैठें। हमें तथ्यों को लेना है और उनके अनुसार काम करना है। वह तथ्य यह है कि किस प्रकार से हमें अपने राज्य को आगे ले चलना है, किस प्रकार से लोगों की गरीबी को दूर करना है, किस प्रकार से अपने प्रदेश की भुखमरी को दूर करना है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही हम लोगों को विचार करना है।

अभी थोड़े दिन की बात है जब बजट पर विचार हो रहा था उस वक्त चाहे इधर के माननीय सदस्य हों, चाहे उधर के माननीय सदस्य हों, सब ने यह मांग पेश की थी कि हमारे राज्य की उन्नति होनी चाहिये और कोई भी ऐसा अनुदान नहीं आया जिसमें गवर्नमेंट के ऊपर यह आक्षेप न किया गया हो कि वह कम है, उसमें रुपया और बढ़ाया जाना चाहिये। इससे प्रदेश का काम नहीं चल सकता। यह बात तो सही है लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर रुपया कहां से आयेगा, आखिर डाका डाला जायगा? जैसा माननीय नारायणदत्त तिवारी ने कहा कि चन्द मदों में कमी कर दी जाय। लेकिन मैं पूछता हूं कि क्या उससे ६ करोड़ रुपया प्राप्त किया जा सकता है? यह कोरी भावना ही है। सदन को इस बात पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये।

जैसा अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हम यहां सरकार को चलाने के लिये बैठे हुए हैं, जनता की सेवा करने के लिये बैठे हुए हैं केवल मंत्री बने रहने के लिये बैठे हुए नहीं है कि मंत्री बने रहें और तनख्वाह लेते रहें। हम तो यहां केवल उस वक्त तक रहेंगे जब तक हम समझेंगे कि यहां रह कर हम जनता की सेवा कर रहे हैं। ५ वर्ष के बाद जब जनता से वोट मांगने के लिये जायेंगे तो जनता हम से पूछेगी कि आपने ५ वर्ष में क्या-क्या किया। कोरा शासन करना ही हमारा काम नहीं,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राधामोहन सिंह]

हमसे पूछा जायगा कि तुमने क्या-क्या काम किया ? अगर हमारे पास उन्नति के साधन नहीं होंगे तो फिर भला क्या काम कर पायेंगे। मुझे माननीय नेता विरोधीदल का वह भाषण याद है जब उन्होंने कहा था कि जब आप टैक्सेशन का प्रस्ताव लेकर आयेंगे तो हम उसका समर्थन करेंगे, लेकिन अब वे देखते हैं कि चाहे देश का हित हो या न हो उनकी पार्टी के हित में यह चीज है और इसीलिये वे इसका विरोध कर रहे हैं और जनता की भावनाओं को उभार रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बात को साफ कर दिया है कि उसके पीछे क्या भावना छिपी हुई है। मैं यह कहना चहता हूं कि जब व्यापारीगण ने हड़ताल की तो उनके सामने यह प्रश्न था कि सदन में बैठने वाले, तनख्वाह पाने वाले इससे तकलीफ पायेंगे। उनको उस समय जब कि वह हड़ताल कर रहे थे क्या इस बात का ख्याल हुआ कि जो रोज पैसा पाने वाले मजदूर हैं या वेतनभोगी हैं उनके घर के खाने पीने का क्या प्रबन्ध है ? उन्होंने तमाम लोगों के खाने को बन्द किया लेकिन उन्होंने अपने खाने को बन्द नहीं किया।

इस तरह से ऐसे महीने के शुरू में जब कि लोगों के घर में खाने का सामान नहीं है बाजार को बन्द करना कहां तक ठीक है। हम तो समझते हैं कि वह अपने स्वार्थवश ऐसा करते हैं और यह तो उनका एक बहाना है वर्ना वह ऐसे समय हड़ताल की बात न करते। मैं यह जरूर मानता हूं कि प्रजातन्त्र में हर एक व्यक्ति को किसी भी काम के लिए विरोध करने का हक है और वह एक अच्छी चीज हो सकती है लेकिन इसके साथ ही हमको यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हमको वह काम नहीं करना है कि जिसका जनता के जीवन पर खराब असर पड़े। अगर उनको खाने की चीजों पर बिक्री कर का विरोध है तो वह उसका अलग विरोध करके दूसरे तरीके से कर सकते थे लेकिन इस तरह से हड़ताल ऐसे मौके पर करना उचित बात नहीं है। वह इस पर विचार करें। इस पर अभी विचार हो सकता है कि अध्यादेश वैधानिक है या नहीं, या उसकी आवश्यकता है या नहीं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने साफ कर दिया कि अगर हम पहले से इस चीज को सदन में लाते तो लोक आउट होने का डर था और लक्ष्य की पूर्ति में कुछ कठिनाई हो सकती थी और दिक्कत का सामना करना पड़ता और अब जब यह बिल की शक्ल में सदन में आयेगा तो उस समय सदन के सदस्यों को पूरा मौका मिलेगा कि वह इस पर पूरा विचार करें और जो उचित समझें उसमें संशोधन लायें।

*श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, अच्छा होता कि माननीय मुख्य मंत्री जी के बाद माननीय राधामोहन सिंह जी न बोले होते और जो फिजा माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन के सामने रखी थी उसका कुछ असर हम पर भी होता। अध्यक्ष महोदय, इसके पहले कि मैं कुछ कहूं मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारा दल या अपोजीशन पार्टीज में आज जो हालत हमारे सूबे में हो गई है उसको किसी प्रकार से भी एक्सप्लायट करने को तैयार नहीं है। जहां तक बढ़े हुए टैक्सेज की बात है मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि जब हमारी प्लानिंग कमेटी में, स्टैंडिंग कमेटी में इस बात का जिक्र आया कि हमारे सूबे की पंचवर्षीय योजना कैसे चले उस समय हमने और कौन्सिल के विरोधी दल के नेता कुंवर गुरु नारायण जी ने कहा था कि हमारे प्रदेश में बिना टैक्सेज लगाये हुए कोई सेकिन्ड फाइव ईयर प्लान नहीं चल सकती। उस वक्त टैक्स की बात कहते हुए बहुत से हमारे कांग्रेस के भाई भी डरते थे लेकिन हमने उनसे उसी वक्त कहा था कि बिना टैक्सेज लगाए विकास के कार्य नहीं बढ़ सकते। इसलिए हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। मैं यह भी साथ में बताना चाहता हूं कि जहां

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमने कहा कि हम टैक्स लगाने को तैयार हैं वहां पर हमने यह भी कहा था कि जो एक्सट्रावेगेन्ट खर्च हैं उनको भी रोकना होगा और इस चीज के तमाम पहलुओं पर विचार करना होगा। मैं आज प्रदेश की जनता को आगाह करूंगा और समझाऊंगा कि बिना टैक्सेशन के विकास कार्य नहीं हो सकते, इसमें कोई दो राय नहीं है।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहुगा कि जहां उनके पास सत्ता है उनके पास आज ताकत है, इतना बड़ा विशाल बहुमत है जो चाहे कर सकता है वहां हमारे सूबे की जनता यदि यह भी समझती होती कि जहां किसी प्रजातन्त्र के लिए ठीक से चलना है वहां एक मजबूत विरोधी दल की भी आवश्यकता है लेकिन आज बदकिस्मती है कि एडजर्नमेंट मोशन आता है उस वक्त ३६ आदमी भी खड़े नहीं होते और अहम मसलों पर विचार नहीं हो पाता। अगर प्रजातन्त्र सफलतापूर्वक चलाना है तो आवश्यक है कि अपोजीशन पार्टी बहुत स्ट्रान्ग हो।

अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि खिल्ली और हंसी उड़ायेंगे लेकिन अध्यक्ष महोदय, यह भी मैं समझता हूं कि आज जिस तरह से इस सरकार ने इस आर्डिनेंस को लाकर रक्खा है वह हमारे इस विधान सभा के सभी माननीय सदस्यों की एक बेइज्जती हुई है और वह इस तरह से हुई है कि हम २४ तारीख को अपने घर जाते हैं तो, सारा कानून, सारा मामला क्या किसी ने रात भर में बना लिया? क्या वह यह कह सकते हैं कि उन्हें मालूम नहीं था कि वे आर्डिनेंस लाने वाले हैं? क्या सरकार कह सकती है कि उसके विभागों को पता नहीं था कि इस तरह का आर्डिनेंस, इस तरह का टैक्सेशन मेजर आने वाला है। २४ तारीख को कौन्सिल बन्द होती है और प्रोरोग हो जाती है इस नीयत से कि आर्डिनेंस लाना था और प्रदेश की जनता पर यह टैक्स लगाना था। टैक्स तो खैर लगना ही है। टैक्स का उतना विरोध नहीं है जितना कि तरीके का विरोध है। जहां तक कानून की बात है कानून के अन्दर तो सारी बात आ जाती है। अपर हाउस अगर प्रोरोग है, एक लेजिस्लेचर अगर प्रोरोग है तो आर्डिनेन्स लाया जा सकता है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, होता क्या है? एक टैक्सेशन मेजर हमारे प्रदेश के लोगों पर किया जा रहा है। नमक पर टैक्स लगाया जा रहा है, खाने पर टैक्स लगाया जा रहा है और उसके बाद बयान देने के लिए कौन आता है? एक डिपार्टमेंटल हेड आता है। सेल्स टैक्स कमिश्नर ब्यान दे रहे हैं कि सेल्स टैक्स किन-किन चीजों पर लग रहा है। यह है हमारी इज्जत। हमारे चीफ मिनिस्टर आये होते, हमारे अन्न मंत्री आये होते बयान देने के लिये, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस प्रदेश के अन्दर कोई हल्ला न होता। लेकिन हमारे एक कमिश्नर साहब ब्यान दे रहे हैं कि इसका यह असर हो सकता है। क्या यही तरीका है?

फिर अध्यक्ष महोदय, टैक्सेशन मेजर तो इसी लेजिस्लेटिव असेम्बली से आ सकता है। कौन्सिल में तो इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। हर टैक्सेशन मेजर यहां से पास होता है। वहां जाता अवश्य है लेकिन पास यहीं से होता है। राज्यपाल महोदय ने कौंसिल को प्रोरोग किया, इसलिये प्रोरोग किया कि एक आर्डिनेन्स जारी करना था। माननीय वित्त मत्री जी यह कहेंगे कि हमने इसलिये आर्डिनेंस निकाला कि हमारे यहां स्पेकुलेटर्स थे, बहुत सा रुपया वे बना लेते, किसी को पता नहीं करना चाहते थे। अध्यक्ष महोदय, जो हमारा ऐक्ट बनता उस ऐक्ट में भी हम यह कह सकते थे कि जितनी भी चीजों पर सेल्स टैक्स लगता वह पहली तारीख के बाद लगता। आप यह बात जब इस ऐक्ट को इस सदन से पास करते, उसमें लिख सकते थे कि पहली तारीख से इन चीजों पर सेल्स टैक्स लगेगा, तो फिर क्या जरूरत रहती आर्डिनेंस लाने की? हमें यह दिखाना चाहते थे कि हमारा विशाल बहुमत है और जो हम चाहते हैं वह कर डालेंगे। इस वजह से हमें कांफिडेंस में नहीं लिया गया, हमें बताया नहीं गया। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे प्रान्त के अन्दर जितने रुपये की कमी सेकिंड फाइव ईयर प्लान के अन्दर होती

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

हैं--हम कहते हैं कि हमारी नहरें बनें, हमारी सड़कें बनें--- तो हम इस बात के लिये तैयार रहते हैं कि माननीय मुख्य मंत्री कौन से ऐसे मेजर्स हैं जिनसे रुपये इकट्ठे कर सकते हैं। फिर क्या बात है नमक हो रहा, चावल हो रहा जिस पर टैक्स लगाने की बात को? कितना टैक्स आयेगा? हमारे सेल्स टैक्स कमिश्नर था अनुमान है कि एक दो करोड़ रुपया आ जायगा। २० से ३१ मार्च के अन्दर जो सरकारी विभाग मोटरें खरीदते हैं अपने सरप्लस से, बचे हुए रुपये को जो फूंका जाता है वही रुपया अगर इकट्ठा कर लिया जाय तो २ करोड़ रुपये में से काफी रुपये की उसमें बचत हो सकती है। लेकिन डिपार्टमेंट यह समझते हैं कि यह हुकूमत जायगी। अंग्रेजी हुकूमत नमक टैक्स से गई और हमारी ब्यूरोक्रेसी आज यह चाहती है कि जो कांग्रेस गवर्नमेंट बैठी हुई है यह भी इस नमक कर से ही इस प्रदेश से चली जाय। मैं अध्यक्ष महोदय, आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि आज विरोधी दल में इतनी ताकत नहीं है कि वह हुकूमत के अन्दर चला जाय। वैसे कोई हुकूमत बना ले तो वह जैसे तैसे चल ही जायगी लेकिन हम यह चाहते हैं कि आज देश और प्रदेश के अन्दर जो कांग्रेस हुकूमत है वही बरकरार रहे, वह अपनी सीट पर आबाद रहे। यही हुकूमतें सारे प्रदेशों में रहें। हम तो विरोधी पक्ष, जो सरकार की गलतियां और खामियां होंगी उनको दूर करने के लिए बैठे हैं। हम यह नहीं चाहते कि हम जाकर उन कुर्सियों पर बैठें। हमें यह मालूम है कि हमने देश को आजाद कराने में अपनी जिन्दगी बितायी और आज भी हम इस देश की सेवा करना चाहते हैं और हम सेवा करेंगे। हम यह समझते हैं कि हम विरोधी पक्ष में रह कर इस प्रदेश की ज्यादा सेवा कर सकते हैं। हमें यह लालच नहीं है कि हम गवर्नमेंट में जायं या पब्लिक को एजीटेट करें। वही गवर्नमेंट में रहें। हम इस बात के इच्छुक नहीं हैं कि हम जाकर अपनी गवर्नमेंट बनाएं। पर हम यह अवश्य चाहते हैं कि यह हुकूमत जो जा रही है, हमारे मिडिल क्लास के लोग जिनके बारे में हमारे मुख्य मंत्री जी ने कहा, मैं बताना चाहता हूं कि यही लोग सारी फिजा पैदा करते हैं, इन्हीं से सारी हवाएं आती हैं। अगर हम लोगों में समझ होती, अगर माननीय मुख्य मंत्री जी यही स्टेटमेंट पहले दिये होते तो यह समस्या काफी हल हो गयी होती। बहुत से लोग भूख हड़ताल नहीं करते और बड़ी-बड़ी हड़तालें कभी नहीं होतीं, लेकिन आज सारी बातें हो गयी हैं। और उसका कारण यह है कि जिस तरह टैक्स लगाया गया है वह बिल्कुल गलत है, अन-कांस्टीट्यूशनल है। आपका बहुमत है आप जो चाहें उससे करा सकते हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही, आश्वासन दिया इस बात का कि हम बैठेंगे, मिलेंगे, सोचेंगे, समझेंगे और हमें इस बात का विश्वास है कि वह प्रदेश के अन्दर एक ऐसी फिजा पैदा करवा देंगे, जिससे जनता हमारे साथ होकर जिस टैक्स को भी हम लगायेंगे उसको सहर्ष स्वीकार करेगी और अपने देश का विकास करेगी। हम सब मिल कर इस काम को करेंगे। लेकिन ऐसा फिजा पैदा करनी चाहिए, ऐसा वातावरण पैदा करना चाहिए, जिसके अन्दर हम जनता का सहयोग प्राप्त कर सकें। यह नहीं कि उनका विशाल बहुमत है और उसके बल पर जो चाहें कर लेंगे।

एक बात और कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा हम यह भी बता देना चाहते हैं कि भूख हड़ताल से न सरकार पर असर पड़ता है और न हम पर कोई असर पड़ता है। भूख हड़ताल से कुछ नहीं होने वाला है। मैंने भी आज अखबार में पढ़ा कि माननीय हाफिज जी के घर एक साहब भूख हड़ताल करेंगे। किस किस के घर पर भूख हड़ताल की जायगी और कहां से समस्या इससे हल हो सकेगी? अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं भी सारे प्रदेश के लोगों से कह देना चाहता हूं कि भूख हड़ताल का ब्रह्म सामने न रखें। अपनी मांगों के लिए एक सही तरीका इस्तेमाल करें। गलत

तरीके इस्तेमाल न करें। जितने हमारे कांस्टीट्यूशनल तरीके हैं उन सब को इस्तेमाल करें। अगर कोई उनकी सही मांग है, अगर कोई गलत चीज होती है, नमक पर टैक्स लगता है, गेहूं और चावल पर टैक्स लगता है, तो मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश की जनता की इतनी ताकत होनी चाहिए कि वह सरकार को मजबूर कर दे कि वह अपने आर्डिनेंस को वापस ले। यह हमारी ताकत होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हमसे यह कहा जाता है कि हम एक्सप्लायटेशन करते हैं, हमारी यह बिल्कुल भी मंशा नहीं है कि हम गवर्नमेंट में जायं। लेकिन हम एक मिनट के लिए भी यह बरदाश्त नहीं कर सकते कि जिस साल्ट टैक्स के लिए हम मारे गये, हम जेल गये, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मैंने नमक बनाया और पुलिस ने डंडा मारा पीठ पर, आज उसी साल्ट टैक्स को बरदाश्त करने के लिए मैं तैयार नहीं हो सकता। मैं देखता हूं कि हमारे बहुत से साथी इस बात को चाहेंगे और समझता हूं कि इसका असर भी है कि यह एलेक्शन के पहले हुआ। माननीय मुख्य मंत्री जी ने ठीक बात कही कि इसमें एलेक्शन से डरने की क्या बात है, देश की सेवा हमें यदि करनी है। लेकिन हम भी नहीं चाहते कि कोई गलत हुकूमत आ जाय। अगर हमारी किसी ऐसी गलती करने से कोई गलत हुकूमत आ गयी तो हमारी सारी मेहनत बरबाद हो जायगी, हमारा देश की आजादी की लड़ाई लड़ने का उद्देश्य खत्म हो जायगा। इसे हम कैसे बरदाश्त करने के लिये तैयार हो सकते हैं? इसलिए मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है, मैं समझता हूं कि उसके बाद कोई माननीय सदस्य उधर से न बोलें तो अच्छा है, क्योंकि जब कोई कुछ कह देता है तो उसका उत्तर देना भी शुरू हो जाता है। उन्होंने एक आथारिटेटिव बात कही है। उनकी अश्योरेन्स का हमें विश्वास करना चाहिए और इसको कोई पालिटिकल इश्यु नहीं बनाना चाहिए। अगर हम प्रदेश के अन्दर सारे लोगों को समझा सकें, हम उनको कनविंस करा सकें, तो हमें विश्वास है कि माननीय मुख्य मंत्री जी की इस बात को वह मानेंगे और हमारे प्रान्त के अन्दर जो आज हाहाकार मचा हुआ है, जो हड़तालें हो रही हैं, दो-तीन दिन से लोगों को खाना नहीं मिला, मेरे यहां अगर "रेस्ट्रां" न होता तो मैं तो भूखों मर जाता।

मैं यह अवश्य चाहूंगा इस वजह से नहीं कि हम सरकार की धमकियों से डरते हैं, इस वजह से नहीं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हम दूसरा रास्ता निकालेंगे, यह बात नहीं। लेकिन इस चीज से कि प्रदेश की जनता को आज तकलीफ हो रही है, खाने पीने की काफी परेशानी है, मैं अपने प्रदेश के तमाम व्यापारियों से, अपने प्रदेश के हर शहर के रहने वालों से यह प्रार्थना करूंगा कि वह हड़ताल खत्म कर दें और जो पोसफुल तरीके हैं उनको अपना कर सरकार को मजबूर करें कि वह टैक्सों को हटा दे। और मुझे विश्वास है आटा, चावल, तेल, कीरोसिन आयल जिसका हम पर बड़ा भारी असर पड़ता है, और तो बहुत सी डीटेल्स की बातें हैं जिनको मैं यहां नहीं कहना चाहता, बिल के वक्त कहूंगा, इन पर से टैक्स सरकार को हटाना पड़ेगा। मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि अगर माननीय मुख्य मंत्री जी चाहते हैं कि सचमुच में हमारे प्रदेश में अमन चैन हो तो हम लोग सब मिल करके सारे प्रदेश के रहने वाले एक ऐसा रास्ता निकालेंगे जिससे हमारे प्रदेश की भलाई होगी, विकास होगा, डेवलपमेंट होगा और हम लोग उन्नति की ओर बढ़ेंगे।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बनारस जेल से पहली तारीख को ही आपकी सेवा में अपने भावों को तार द्वारा व्यक्त किया था। सम्भवतः दो तारीख को वह तार आपको मिला होगा और शायद आपने सदन को अवगत भी कराया होगा। । श्रीमन्, मैंने लिखा था कि "सेल्स टैक्स आर्डिनेन्स मोस्ट अनडेमोक्रेटिक ऐन्टी पीपुल रिग्रेसिव अनबेयरएबिल"

[श्री राजनारायण]

है । मैं अनडेमक्रेटिक क्यों कहता हूं ? क्योंकि २३ तारीख को यह सदन स्थगित होता है होली के लिये । काउन्सिल की भी बैठक हो रही थी । यदि सरकार के दिमाग में सेल्स टैक्स में वृद्धि करने या अध्यादेश जारी करने की बात रहती तो उसके लिये कोई बाधा नहीं थी कि सरकार उसे सदन में प्रस्तुत न कर सकती । फिर भी श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जैसा कि मैंने समाचार-पत्रों में पढ़ा था कि इस बात का ऐलान कर दिया था कि दो अप्रैल से यह सदन पुनः बैठेगा । तो जब २ अप्रैल से यह सदन बैठने वाला था तब यह बात समझ सकने में असमर्थ हो रहा हूं और यदि कोई व्यक्ति तनिक भी जनतान्त्रिक परम्परा का अवलोकन करेगा तो इस नतीजे पर पहुंचेगा कि सरकार ने जिस तरीके से अध्यादेश जारी किया यह गैरजनतान्त्रिक था ।

जब मैं यह कहता हूं कि यह ऐन्टी पीपुल, ऐग्रेसिव, अनबेयरएबिल, जनहित विरोधी है, सहनशक्ति के बाहर है, प्रतिक्रियावादी है तो इस सदन में बार-बार चर्चायें हो चुकी हैं बराबर माना जाता है कि सेल्स टैक्स का बोझा जो व्यक्ति सामान खरीदता है उसी पर पड़ता है। अगर इस सेल्स टैक्स का समुचित नामकरण हो तो खरीद टैक्स माना जाना चाहिये । जो खरीदते है उनके ऊपर इसका बोझ पड़ता है । श्रीमन्, एक प्रसिद्ध अर्थ शास्त्र डा० डाल्टन ने सेल्स टैक्स के बारे में बहुत ही अच्छे शब्दों में कहा है—

" A practicable sales tax tends almost inevitably to be regressive....It is a fundamental weakness of a sales tax that it cannot make allowance for domestic circumstances and indeed that it tends to fall more heavily as between taxpayers of equal income, on those who have the largest number of dependents."

यानी जिनके कुटुम्ब में ज्यादा लोग हैं और जितना ही अधिक सामान खरीदेंगे उनके ऊपर उतना ही ज्यादा भार पड़ेगा ।

अब इन बातों को सामने रख कर देखा जाय तो जब पहले का सेल्स टैक्स था उसके हम विरोधी थे । तो जिस तरीके से तानाशाही मनोवृत्ति को अपनाकर यह अध्यादेश जारी किया गया है इसके समर्थन में तो वही जा सकता है जिसने अपने दिमाग को जनता के हित में लगाने से अलग कर दिया है ।

श्रीमन्, जब माननीय मुख्य मंत्री बोल रहे थे तो आप माफ करेंगे उस शब्द के प्रयोग, लिये मैं समझ रहा था कि राम-रावण युद्ध हो रहा है और रावण बोल रहा है ।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं यह उचित नहीं है, इसको आप वापस लें ।

(आवजें—वापस लीजिये)

आप मुख्य मंत्री जी को रावण नहीं कह सकते ।

श्री राजनारायण—तो मैं सरकार को कहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—आपने मुख्य मंत्री को सम्बोधित करते हुए कहा था इसलिये आपको वापस लेना चाहिये ।

श्री राजनारायण—अगर आप कहते हैं कि मैंने व्यक्ति को कहा तो मैं वापस लेता हूं मैं कहता हूं कि जब इस सरकार के द्वारा भावों को व्यक्त करने के लिये यहां पर मंत्रीगण सरकार की नीति की चर्चा करते हैं तो वह सरकार

की नीति होती है । सरकार की नीति जिस तरह से यहां पर व्यक्त की जा रही थी वह रावणशाही थी । और उसी के साथ-साथ मैं एक मनोवृत्ति और भी कहना चाहता हूं कि जब कि मैं विरोधी पार्टी के उप-नेता की बात सुन रहा था तो कुम्भकरणी निद्रा.....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह तरीका उचित नहीं है, इस तरह से सब को राक्षस बना देना ।

श्री राजनारायण—तो श्रीमन्, अब एक व्यवस्था हमारे यहां रही है राम की व्यवस्था । मैं राम की व्यवस्था के लिये आया हुआ हूं । और किसी प्रकार भी एक मिनट के लिये इसको मानने के लिये तैयार नहीं हूं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं होना चाहिये कि मैं इस अध्यादेश की मुखालिफत में हूं और इसके लिये मैं हड़ताल का आवाहन करने वाला हूं प्रदर्शन का आवाहन करने वाला हूं। बनारस में कल जितनी जबरदस्त हड़ताल हुई और आज भी है—माननीय कमलापति त्रिपाठी जी यहां नहीं हैं—एक पान भी बनारस में खाने को नहीं मिल रहा है। इतनी जबरदस्त हड़ताल माननीय मुख्य मंत्री के शहर में, पता लगायेंगे कि कितनी जबरदस्त हड़ताल हुई । यदि कल मैं जुलूस के साथ में न रहा होता तो शायद जनता सिनेमाघरों में घुसकर सिनेमाओं को बन्द करती । लेकिन हमने रोका । श्रीमन्, आप याद रखिये वह सरकार के प्रतिनिधि हैं मुख्य मंत्री। जब वह सरकार की नीति को घोषित करते हैं उस वक्त वह व्यक्ति नहीं रहते । जब सरकार के प्रतिनिधि के रूप में मुख्य मंत्री बोल रहे थे तो मैं यह समझ रहा था कि यह कोई डेमोक्रेटिक व्यवस्था में आस्था रखने वाला सरकार का प्रतिनिधि बोल रहा है या कोई तानाशाही व्यवस्था में आस्था रखने वाला बोल रहा है । मैं ऐसा समझता हूं कि वह एक तानाशाही मनोवृत्ति रखने वाला बोल रहा था । जनता का हित सामने रखने वाला नहीं बोल रहा है। आज कौन जनता का हित सामने रखता है, यह सामने बैठने वाले जनता का हित सामने नहीं रखते । आखिर जनता का हित कौन सामने रखता इसकी क्या कसौटी है ? कल जब यहां पर हजारों की तादाद में विधान भवन के सामने जनता आयी हुई थी तो वह किस मनोवृत्ति का द्योतक थी ? अपना हित अनहित पशु पक्षी भी समझते हैं । गोसाईं तुलसीदास जी ने कहा है कि "हित अनहित पशु पक्षिहुं जाना ।" पशु पक्षी भी अपना हित अनहित समझते हैं । आज हर व्यक्ति समझता है कि किसमें हमारा हित है और किसमें हमारा नुकसान है । हम नहर बनायें, अस्पताल बनायें, नलकूप लगायें और अगर गरीब को और जनता को क्रश करते चले जायं, दबाते चले जायं, टैक्सों के बोझ से उसका खून चूसते चले जायं तो यह रावणशाही की मनोवृत्ति नहीं है तो क्या है ? रावण ने भी खून चूसा था और यह सरकार भी खून चूस रही है। और क्या इंजेक्शन लगाकर खून चूसेगी ? इसी तरह से यह खून टैक्स लेकर चूस रही है । आज यह सरकार खून टैक्स ले रही है । आज जिस जिस स्थान पर खाने के पदार्थ की बिक्री होगी, हर बिक्री पर दो पैसा टैक्स देना पड़ेगा । यह सरकार की कौन सी नीति है ? मैं स्वयं आश्चर्यचकित हो गया हूं और मैं जानना चाहता हूं, जो अपने को विरोधी दल कहलाते हैं उनसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूं, और आज यहां पर बहुत से व्यापारीगण के भी प्रतिनिधि हैं मैं उनके लिए भी दो शब्द कहूंगा और व्यापारी बन्धुओं से निवेदन करूंगा .....

श्री अध्यक्ष---आप सदन से ही निवेदन करिए, उनसे नहीं।

श्री राजनारायण---इसमें भी बहुत से व्यापारी हैं व्यापारी मनोवृत्ति के लोग हैं तो मैं यह कहना चाहता हूं कि वह इस बात को समझ लें वह इसी प्रकार दब-दब करके यह सब सहन करते जायेंगे और इसी तरह के आचरण करते रहेंगे और उसमें सहयोग देने की बात करते जायेंगे। तो यह दोनों बातें नहीं हो सकती हैं। निश्चय रूप से सरकार पूंजीवाद को बढ़ावा देना चाहती है, निश्चय रूप से पूंजीशाही को बढ़ावा दे रही है, निश्चय रूप से यह सरकार जनतांत्रिक व्यवस्था को नहीं बढ़ावा देना चाहती, निश्चय रूप से यह सरकार जनता के हाथ में ताकत नहीं देना चाहती है, निश्चय रूप से यह सरकार जनता की गरीबी को बढ़ावा देना चाहती है और फिर इस तरह से जब बढ़ावा देने की ओर सरकार बढ़ती हो और ऐसी कोई भी बात की जाय उसमें कोई भी व्यक्ति सहयोग देने की बात करता है तो वह सरकार के चरण कमलों का चुम्बन करने वालों में से ही हो सकता है। इसलिये सफाई की बात होनी चाहिये। साफ-साफ बात होनी चाहिये। विरोधी भी किया जाय और सहयोग की भी बात की जाय। दोनों साथ साथ नहीं हो सकते। मैं यह भी कह दूं, श्रीमन्, हम उस विरोधी पार्टी के हैं जिसमें शक्ति है, साहस है, बुद्धि है, क्षमता है जो सरकार चला सकती है और जिस दिन जनता हमको चाहेगी हम चला करके दिखा देंगे। यह सरकार कौन चला रहा है आज ?

एक आवाज---आप।

श्री राजनारायण---हां, हम भी चला रहे हैं। लेकिन जनता ने हमको सही माने में कहा नहीं है सरकार चलाने को और अब वह कहने जा रही है, बहुत जल्दी कहने जा रही है। वरना सरकार में ऐसे व्यक्ति जिनका बौद्धिक दिवाला निकल चुका हो, वह शिक्षा मंत्री बनें···

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं आप इसको वापस लें।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, बीच में बोलते हैं तो यह कौन सा राजनीतिक तरीका हो गया ?

श्री अध्यक्ष---मुझसे ही कहा जाता है।

श्री राजनारायण---तो मैं यह बरदाश्त नहीं कर सकता कि अपने अध्यक्ष के बारे में सुनूं कि वह इस तरह की सरकार चला रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---अगर वह बीच में टोकते हैं तो आप मुझसे अपील करें।

श्री राजनारायण--- (श्री बनारसी दास के खड़े होने पर) आप बैठे रहें।

श्री अध्यक्ष--- (श्री राजनारायण से) आप मुझे ऐड्रेस करें।

श्री राजनारायण---यह सदन अच्छी तरह से समझ ले कि मंत्रियों की तनख्वाह बढ़ती है इसमें कौन सा राष्ट्रीय हित होता है। डिप्टी मिनिस्टर की तनख्वाह बढ़ती है, पार्लियामेंटरी सेक्रेट्री की तनख्वाह बढ़ती है तो कौन सा राष्ट्रीय हित होता है ? मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर, पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष इनके और इनके खान्दान को डाक्टरी की फीस और दवा के दाम से मुक्त कर लिया तो इसमें कौन सा राष्ट्रीय हित होता है। मैं आप से कहना चाहता हूं कि इस सरकार की नीयत ऐसी घृणित हो गयी है और जनता के हित के विरोध में हो गयी है कि अब हर इन्सान को आगे

बढ़ना, चाहिये और हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिये। इसीलिये श्रीमन् मैं शुक्रिया अदा करूंगा अपने उन पत्रकार बन्धुओं का जिन्होंने ९ बजे बनारस खबर भेजी कि लंच के बाद यह संकल्प पेश होगा। आप आइये और मैं इसीलिए आया और भावनाओं को आपके सामने रख रहा हूं। मैं मुख्य मंत्री से ऐलानिया कहना चाहता हूं कि उनकी तानाशाही नहीं चलने वाली है और वह पुलिस और फौज की शक्ति के बल पर तानाशाही मनोवृत्ति का परिचय देते हैं तो हम जन संख्या के बल पर आगे बढ़ेंगे। अगर वर्तमान सरकार रावणीय प्रवृत्ति को लेकर चलेगी तो हमारी राम की प्रवृत्ति सर्व-विदित है। आज श्रीमन्, पोलिटिकल ईक्वालिटी का नाम लिया जाता है लेकिन आज सोशलिस्ट, सोशल और इकानामिक ईक्वलिटी के लिए कटिबद्ध है। इसलिये हमारा यह ध्येय है कि जब तक हमारे अन्दर खून की एक बूंद रहेगी तब तक हम इस सरकार की तानाशाही को काटने के लिये तैयार रहेंगे।

श्री बनारसीदास—अध्यक्ष महोदय जब यह अध्यादेश जारी किया गया, इस से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्रिमंडल के सामने केवल दो ही विषय हो सकते थे। एक तरफ एक अप्रिय क्रूर कर्त्तव्य का पालन और इस प्रदेश की भावी जनता का सुनहला स्वप्न और दूसरी तरफ सत्ता प्राप्त करने के लिये एक सस्ते ढंग से लोगों की चोट हासिल करने के लिये अपनी नजर को रखना, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, मंत्रिमंडल ने अपने क्रूर कर्त्तव्य का पालन करना चाहा। यदि यह सही है तो मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं विरोधी पक्ष के लोगों से। यदि कर्त्तव्य पालन करने की भावना नहीं है तो आपका क्या आरोप मंत्रिमंडल के ऊपर है? आप एक ही बात कह सकते हैं विवेकहीनता है। यह नहीं कह सकते हैं कि हम लोगों को अपने हित का कोई ध्यान नहीं है और न हममें इतनी बुद्धि रह गयी है कि किस तरीके से हम अपने को सत्ता में बनाये रखें और किस तरीके से हम जनता के हित का सम्पादन करें। महात्मा गांधी ने कहा था कोई भी राष्ट्र दुःख और कष्ट सहन की परीक्षा में गुजरे बिना तरक्की नहीं कर सकता। बीज के उगने के पहले शर्त यह है कि बीज जमीन के अन्दर अपनी शक्ति को मिटा दे। यदि यह सत्य है तो क्या भारतवर्ष और हमारा यह प्रदेश इस अग्नि परीक्षा में गुजरे बिना अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है या जिस भविष्य की एक कल्पना हो सकती है उसको हम अपने इस प्रदेश के अन्दर ला सकते हैं जहां तक कर्म का प्रश्न है मुझे बड़ा हर्ष हुआ माननीय उपाध्याय जी का भाषण सुनकर कि उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि यदि हमको इस प्रान्त को बनाना है, यदि बेरोजगारी को दूर करना है तो हमको भारी बोझा अपने कंधों पर लेना पड़ेगा। हड़ताल कराने के लिये जनता का ऐलान कराने के लिये किसी बुद्धि की जरूरत नहीं है किसी साहस की जरूरत नहीं है। यह तो आसान सी चीज है कि हम प्रत्येक व्यक्ति की एक बेसिक मनोवृत्ति को अपील करें। सबसे बड़ा कार्य तो यह होता है कि आदमी के अन्दर जो हीनवृत्ति होती है किस तरह से उसका आवाहन करें। लेकिन कितने व्यक्ति हैं जो सहर्ष कष्ट सहन के लिये और त्याग के लिये तैयार हो सकते हैं। यदि आप यह मानते हैं कि इस प्रदेश के अन्दर हमको आय २५ प्रतिशत बढ़ाना है, आगामी पांच वर्षों के अन्दर लोगों को अधिक से अधिक रोजगार देना है तो उसके लिये हमको सोचना पड़ेगा कि जनता का इसके लिये हम किस तरह से आवाहन करें। नमक और गल्ले पर जो कर की घोषणा की गयी है उससे उत्तेजना हो सकती है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि विचार किया जा सकता है कि हमारे करों के सिद्धान्त क्या हों, लेकिन मैं तो समझता

[श्री बनारसी दास]

हूं कि इन करों की घोषणा करके जनता को अधिक से अधिक कुरबानी करने का आवाहन किया गया है और इस बात के लिये सूचित किया है कि प्रदेश और देश की रक्षा के लिये देश को आगे बढ़ाने के लिये उनको नमक और गल्ले तक की कुरबानी करने के लिये अपने को तैयार करना होगा। तो प्रश्न आज यह है कि अगर हम इस कर के मूल सिद्धांतों को मानते हैं और अगर हम मूल सिद्धान्त को कि इन करों के द्वारा हम जितनी धनराशि चाहते हैं वह हम देना चाहते हैं तो फिर विकल्प पर विचार किया जा सकता है कि वह कौन से साधन हैं जिनके जरिये से इस प्रदेश के कोष को भरा जा सकता है।

राम और रावण की बड़ी दुहाई दी गई है। लेकिन लंका पर विजय करने के लिये वानरों ने भी तो सेतु पर पत्थरों को तैराया था और लंका तब पराजित हुई थी। इसी तरह से गरीबी और बेकारी की लंका को पराजित और ध्वस्त करने के लिये माननीय मुख्य मंत्री और माननीय वित्त मंत्री आज आवाहन करते हैं। देश के प्रत्येक व्यक्ति आज वानरों की भांति उसके सेतु को बांधने के लिये पत्थर तैरायें तो क्या इस कुरबानी से लंका को पार करने के लिये तैयार नहीं हैं? आज प्रत्येक व्यक्ति को इसके अन्दर योग देना पड़ेगा आखिर कौन सा तरीका हो सकता है। अभी नारायणदत्त जी ने कहा कि बम्बई के अन्दर इतनी आमदनी भी नहीं है तब भी टैक्स नहीं है हमारे यहां १८ करोड़ आमदनी है। उनको मालूम होना चाहिये कि जमींदारी अबालिशन से पहले इस प्रदेश की कितनी आमदनी थी। इन १८ करोड़ में से कितने लाख हमें जमींदारी के प्रतिकर के रूप में देना है। आपने एक्साइज ड्यूटी का जिक्र किया, लेकिन मैं पूछता हूं कि इन सब को मिलाकर और टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट को भी देखिये तो भी पर कैपिटा टैक्सेशन इस प्रदेश के अन्दर क्या बम्बई बंगाल और मद्रास और दूसरे बड़े बड़े प्रदेशों के मुकाबले में कम है या अधिक। तो इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि अपना प्रदेश बंगाल मद्रास पंजाब जितने भी प्रदेश हैं इन सब के मुकाबले में हमारे यहां पर कैपिटा कर का भार कम है। हमारी आबादी साढ़े ६ करोड़ के लगभग है, लेकिन आज बम्बई की आबादी हम से कम होते हुये भी टैक्सेशन का इन्सीडेन्स ज्यादा है। बम्बई के लोग ज्यादा बलिदान करने के लिये तैयार हैं तो हमको भी इस प्रदेश के अन्दर यह वातावरण पैदा करना होगा। यह नहीं कि सस्ती अपीलों के जरिये से, हम लोगों के वोट हासिल कर सकें। जब रूस अपनी उन्नति कर रहा था और वहां जनता के ऊपर भार ज्यादा था तो जून, १९३१ में सोवियट कांग्रेस हुई और स्टालिन से कहा कि आज हम पर भार बढ़ गया है हमको ज्यादा अन्न दिया जाय, हमको ज्यादा मक्खन दिया जाय, हमको ज्यादा भोग्य वस्तुएं दी जायं, तो स्टालिन ने यह कहा था कि यदि रूस को दुनियां के अन्दर जिन्दा रहना है तो हमको ५० साल के काम को १० साल के अन्दर पूरा करना है। तो वहां का आदर्श यह हो गया कि आगे बढ़ो, यदि आंसू निकलेंगे तो हम अपना दिल कड़ा करेंगे, यदि पसीना बहेगा तो भी हम आगे बढ़ते चले जायंगे, यदि खून गिरेगा तो हम अपने खून को अपने मुल्क के लिये कुर्बान कर देंगे। स्टालिन ने कहा कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो रूस पर हमला होगा और रूस का नाम दुनियां के अन्दर से मिट जायगा। यदि वे दस साल के अन्दर वैसा बलिदान न करते, यदि इन दस सालों के अन्दर स्टालिन भयभीत हो जाते करों का भार कम कर देते तो आप

अन्दाजा लगा सकते हैं कि रूस का क्या भविष्य होता । शायद आज दुनियां के राजनीतिक मंच के ऊपर रूस का नाम नजर नहीं आ सकता था । हिटलर विजयी होता और फासिस्ट सत्ता वहां पर कायम होती, तो रूस को तो ५० साल के काम को दस साल में पूरा करना था लेकिन हम तो ढाई सौ साल पीछे हैं दुनियां के मुल्कों से । हमको तो दस साल के अन्दर ढाई सौ साल का काम पूरा करना है। हमारी सीमा के चारों तरफ आज सीटो नाटो और बाग-दाद का जाल बिछा हुआ है । हमारी आन्तरिक शान्ति खतरे में पड़ी हुई है। हम नहीं कह सकते कि किस वक्त केन्द्र की तरफ से जो रुपया हमको मिल रहा है वह देना बन्द कर दिया जाय और केन्द्र का एक-एक पैसा इस देश की सुरक्षा के लिये, इस देश की आजादी की रक्षा के लिये खर्च करना पड़े ।

माननीय प्रधान मंत्री जी ने अभी कहा है कि देश की रक्षा के लिये अगर जरूरत पड़ी तो हम अपने डिफेन्स का बजट बढ़ायेंगे, जरूरत पड़ी तो हम अपने डेवलपमेन्ट का खर्चा कम करेंगे, हर तरह से मुल्क की रक्षा करेंगे । यदि यह खतरा हमारे कन्धों पर है तो मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश को अपने रिसोर्सेज के ऊपर खड़ा होना होगा, ज्यादा से ज्यादा बलिदान जनता से मांगना होगा और जनता में इसके विरुद्ध प्रदर्शन के लिये जाना, उसके अन्दर एक रोष पैदा करना बिल्कुल अनुचित है । कौन ऐसा आदमी है जो टैक्स देना चाहता है । मैं अपने माननीय मित्रों से पूछना चाहता हूं कि जब फस्ल के दाम १० रुपये मन भी नहीं थे और जब वही १५, १६ रुपये मन हो गयी तो कहां उन्होंने हड़तालें कीं कि यह भाव बढ़ता चला जा रहा है । अब भी हमने यह देखा कि यह हड़ताल किस तरह से हुई । आज जहां एक तरफ हड़ताल है वहां दूसरी तरफ दो रुपये सेर चीनी, चार आने का एक पान, एक रुपये का एक सेर आटा बिक रहा है । एंटी --सोशल यह आर्डिनेन्स नहीं है । एंटी --सोशल वे लोग हैं जिन्होंने जनता का शोषण किया है, जिन्होंने ब्लैकमार्केटिंग की है, जिन्होंने जनता को भूखा मारने के लिये, जनता को खुद-कशी करने के लिये एंटी--सोशल एलीमेंटस को उत्तेजित किया है । उपाध्याय जी ने उचित ही कहा है कि हड़ताल करना प्रदर्शन करना ही कोई उचित उपाय नहीं है । मैं तो कहता हूं कि राजनारायण जी को और हमारे दूसरे लोगों को तो हमारा कृतज्ञ होना चाहिये कि कम से कम उनको अपना प्रोपेगंडा करने का सरकार के प्रति रोष प्रकट करने का एक मौका तो हमने दे दिया । मैं कहना चाहता हूं कि पालीवाल जी का चुनाव हो या किसी का हो यदि हमारी नजरें चुनाव की तरफ होतीं तो हम यह रास्ता अख्तियार करते कि प्रदेश की प्रगति हो चाहे न हो हम कर नहीं बढ़ायेंगे । पहले भी एक मौका आया था जब कि हमने अनाज पर लेवी लगाई थी तो उस समय भी यही कहा था और हमारे सामने एक प्रलोभन था विदेशों से अनाज लेने का । पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने २० करोड़ रुपये के अनाज के आफर को यह कह कर ठुकरा दिया कि यदि मैं विरोधी दल के लोगों की आवाज से घबराकर इस आफर को मंजूर करता हूं तो मैं अपने देश की आजादी के साथ सौदा करता हूं । लोग इस पर मेरे लिये यही कहेंगे कि जवाहर लाल गद्दार है और इसने गांधी जी की आजादी को कुरबान कर दिया और लोगों के चिल्लाने की परवाह न करके मैं इसको ठुकराता हूं और मैं अपने देश के लोगों से कहूंगा कि आप लोग भूखे रहें । मैं जनता के सामने जाऊंगा तो लोग भले ही मुझे काला झंडा दिखायें और मेरे गले में जूतों की माला डालें लेकिन मैं विरोधी दल के लोगों को खुश करने के लिये २० करोड़ के अनाज के इस आफर को हिन्दुस्तान की, अपने प्यारे भारतवर्ष की आजादी को खोकर मंजूर नहीं कर सकता हूं ।

[श्री बनारसी दास]

इसलिये जैसी कि समस्या उस समय हमारे सामने थी। जरा राजा साहब कृपा करके आराम के साथ सुनें। इसमें कोई संदेह नहीं है कोई शक नहीं है कि राजा साहब को भी जनता के साथ बड़ी हमदर्दी है और राजा साहब ने हमदर्दी का दरिया भी बहाया है। अभी हाल में माननीय जयप्रकाश जी ने कहा था कि एक तरफ तो मजदूर कहता है कि उसको मजदूरी नहीं मिलती है और दूसरी ओर पूंजीपति कहता है कि मैं अपनी सारी सम्पत्ति दे देता हूं। लेकिन गांधीवाद कहता है कि यदि मजदूर साहस करके आठ आने फेंक दे तो इतना नैतिक बल उसको प्राप्त हो जायगा कि उसके कारण करोड़ों रुपये पूंजीपतियों से आ जायेंगे। जैसा कि हमारे जयप्रकाश जी ने कहा कि यदि हमारे मजदूर कुर्बानी करें तो इतना नैतिक बल उनको प्राप्त हो जायगा कि पूंजीपति अपना पैसा राष्ट्र के हित के लिये छिपा नहीं सकता है। आज आपको राष्ट्र का उत्थान करना है और इसके लिये आपको त्याग और बलिदान करना ही होगा और इसके साथ-साथ साधनों पर भी गौर करना होगा कि किन साधनों से हमें धन प्राप्त हो सकता है जिससे हम अपने देश का उत्थान कर सकें।

इसलिये जहां तक इस आर्डीनेन्स का सवाल है यह एक दवा है, एक औषधि है। यदि यह एक अनाड़ी के हाथ में होगी तो नुक्सान हो सकता है और यदि एक होशियार डाक्टर के हाथ में होगी तो इससे जान बचाई जा सकती है। यह अच्छा डाक्टर जानता है कि किस मौके पर पेंसलिन दी जाती है और किस मौके पर सल्फा ड्रग देने की जरूरत है। इसलिये इस आर्डीनेन्स की मैरिट पर विरोध करना एक राजनीतिक जगलरी है, एक राजनीति का वितन्डावाद है इसके मकसद को देखना है। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि सस्ते चुनाव का तरीका विरोधी लोग न अपनावें। यह भी हो सकता है कि चुनाव में हम हार जायं लेकिन जनता हमको पहचानेगी। हम बड़े से बड़े बलिदान करेंगे और भारत के उस सुनहरे स्वप्न को लाना चाहेंगे जिसको हम आज देख रहे हैं। हम अपना खून और पसीना बहाकर नया हिन्दुस्तान बनायेंगे। आज कांग्रेस नया भारत बनाने के लिये जनता को कुरबानी करने के लिये आवाहन करती है।

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)---जनाब स्पीकर साहब, मैं आपके जरिये से इस सदन के मेम्बरान से दरख्वास्त करूंगा कि वह कुछ देर मेरी गुजारिश को जरा ध्यान से सुनें। इसके बाद मैं यह उम्मीद करूंगा कि जो कुछ मैंने यहां अर्ज किया उसका कोई असर सुनने वालों की तबीयत पर हुआ। आज की तारीख में जब कि इस शानदार सदन की उम्र २८ वर्ष की है तो पहली दफा एक रिजोल्यूशन एक आर्डीनेन्स को डिसएप्रूव या नामंजूर कर देने के मुताल्लिक हमारे सामने आया है।

जहां तक उस आर्डिनेन्स का सम्बन्ध है मुझको अफसोस है कि उसके मुताल्लिक मेम्बर साहबान की तबियत में एक गलतफहमी है और वह यह है कि गवर्नमेन्ट ने उनको इस काबिल नहीं समझा कि इस आर्डिनेन्स के निकालने में उनसे मशविरा करती। इसके सिलसिले में मेरे दोस्त प्रस्तावक साहब ने जो प्रस्ताव हमारे सामने रखा है यह भी उन्होंने बतलाया है कि मैंने अपनी गुजिश्ता तकरीर में इस सदन के अन्दर यह अर्ज किया था कि मेम्बरान को जो कानून लाया जायगा उसकी इत्तिला दी जायगी और जो टेक्स लगेगा वह मेम्बर साहबान के मशविरे से लगाया जायगा। मगर अमलन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि यकलख्त एक रोज सुबह को आर्डिनेन्स लोगों के सामने आ गया जिससे लोगों को, मेम्बरान को बहुत ही ताज्जुब और तफलीफ हुई अब उस दिन जो अर्ज किया था वह इस वक्त मेरे सामने है। एक लफ्ज में मेरे दोस्त ने अपनी

तकरीर में उस को बयान कर दिया लेकिन जितनी पूरी बात मैंने अर्ज की थी वह उन्होंने नहीं फरमाई। वह यह थी उस का थोड़ा हिस्सा मैं आप की इजाजत से पढ़ना चाहता हूं। मैं अर्ज करता हूं कि हाउस के बिना इत्तला के टैक्स नहीं लगेगा हम जो कानून लाकर सामने रखेंगे उस कानून के जरिये से सब बातें मेम्बर साहबान को मालूम हो जायेंगी और उस पर पूरा मुबाहसा होगा। मैं जानता नहीं कि उस में यहां तक कोई कमी है वरना जो कुछ मैंने अर्ज किया और अपनी इस गुजारिश को जो मैंने पढ़ा उस के मुताबिक इस पर अमल किया गया। जो आर्डिनेन्स लाया गया इस सदन में भी उस की कार्यवाही की मेम्बर साहबान को इत्तला होने वाली है। वह पहला कदम था।

आर्डिनेन्स क्यों लाया गया उसकी बाबत दो ऐतराज किये गये। एक यह था कि कोई इमरजेंन्सी ऐसी नहीं थी जिसमें आर्डिनेन्स लाया जाता। दूसरी यह कि यह आर्डिनेन्स कानून के खिलाफ और संविधान के खिलाफ लाया गया। जहां तक इमरजेन्सी या जरूरत का तालुक है वरखिलाफ इसके कि जो मेम्बर साहब ने फरमाया मैं समझता हूं कि इस मौजूदा लेजिस्लेचर और इस सदन को इस मौजूदा तारीख में अगर कभी कोई जरूरत पैदा हुई किसी कानून को आर्डिनेन्स के जरिये से प्रोमलगेट करने की तो वह इसी आर्डिनेन्स के जरिय जरूरत हुई। आज इस वक्त जब कि मैं इस ऐवान में खड़ा हूं मेरे इल्म में वह बातें आ रही हैं जिन बातों की बिना पर मैंने इस आर्डिनेन्स को गवर्नमेंट की इजाजत से निकाला। अभी तक हमारे राज्य की जो इस सेल्स टैक्स से आमदनी थी वह ५ करोड़ साल की थी।

ऐसी चीजों पर टैक्स लगाया गया जिन पर पहले नहीं था। सिर्फ गल्ला या नमक की बात नहीं है। अगर यह आर्डिनेन्स की शकल में नहीं किया जाता और मामूली तरीके से बिल की शक्ल में कानून इस ऐवान के सामने लाया जाता जैसा कि आम तौर से होता है, और जब कानून बनाया जाता है, तो उसके पास होने में २ महीने लगते या जो भी अर्सा लगता उस में मुझे इस में कोई शुबहा नहीं है कि गल्ले के बेचने वाले अपने स्टाक को अन्डरग्राउड कर लेते और आपको उस आमदनी से जो टैक्स के जरिये वसूल हो सकते हैं महरूम कर देते। मैं एक फर्जी बात कहता हूं। यहां इस हाउस में गल्ले पर टैक्स लगाने की बहस चल रही है और उस मुबाहिसे के दौरान में जिस में काफी दिन लग सकते हैं कितना गल्ला अन्डर ग्राउंड चला जाता है यह कोई अचम्भे की बात नहीं है कि ऐसा कहीं दुनियां में नहीं हुआ हो। टैक्स के सिलसिले में यह करना ही पड़ता है। हमेशा तो नहीं लेकिन कुछ खास सूरतों में ऐसा करना लाजमी हो जाता है। मैं यह समझता हूं कि जरूरत पड़ने पर ही मुल्क में ऐसी बातें होती रही होंगी।

गवर्नमेंट ने इस गरज से कि ऐसी कार्यवाही न होने पावे, इसे आर्डिनेन्स की शक्ल में जारी किया है। आर्डिनेन्स की जिन्दगी ६ हफ्ते की होती है। उससे ज्यादा कोई टैक्स चल नहीं सकता है तावक्ते कि यह हाउस और काउन्सिल उसे कानून की शक्ल न दे। जब कानून बन जावेगा तो जो प्राविजन्स इसमे हैं उनमें से अगर कोई मन्सूख हो गया, मान लीजिये कि नमक पर टैक्स नहीं होना चहिये या जहां हमने चार पाई रखा है वहां ३ पाई होना चाहिये, तो वह बात मानी जायेगी और वही कानून होगा। कुछ मकसदों को हासिल करने के लिये यह चीज हमारे संविधान में रखी गई है और मैं समझता हूं कि गवर्नमेन्ट के लिये उसे इस्तेमाल करना उचित था। रही कन्स्टीट्यूशन की बात। वह लम्बी है। अगर इस स्टेट का एक हाउस प्रोरोग कर दिया जाय तो आर्डिनेन्स हो सकता है। गवर्नमेंन्ट आफ इन्डिया ने इस बात को सही मान कर इसकी बिना पर आप की आर्टीकिल १७४ को अमेंड किया, इसलिये कि एक हाउस को एर्जन होने के बाद आर्डिनेन्स बनाया जा सकता है। उस में लफ्ज का या स्प्रिट का कोई फर्क नहीं है। मैं समझता हूं कि वह बिलकुल कानून के मुताबिक हुआ है और उसके ऊपर कोई कानूनी ऐतराज नहीं किया जा सकता है। मगर हमारे एक दोस्त ने जो इस संसोधन के प्रस्तावक हैं जो इस रेज्यूलेशन में पेश है एक रूलिंग पेश की।

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

मैंने आपसे उसको मांगा जिसको मैं पढ़ कर सुनाये देता हूं। वह रूलिंग हाईकोर्ट ने आर्डिनेन्स के मामले में दी थी।

श्री राजनारायण—आप उस रूलिंग को छोड़ दीजिये जनता जो रूलिंग दे रही है उसको लीजिये।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मैं तकरीर अपनी अक्ल से करता हूं किसी दूसरे की अक्ल से नहीं। हाईकोर्ट के सामने मसला यह था कि कुछ कारणों से उस आर्डिनेन्स को वाइड कर दिया जाय। उसमें वह साफ-साफ इस नतीजे पर पहुंचे हैं। उसको मैं आपको पढ़ कर सुनाये देता हूं :—

"for these reasons I cannot bring myself to hold that the promulgation of the ordinance is illegal and in my opinion, therefore, the ordinance is not void."

यह नतीजा है उन तमाम बातों का जिसकी अफवाह उधर से की गयी थी और जो कुछ उधर से कहा जा रहा था उसके खिलाफ उन्होंने फैसला दिया है।

अब मैं जरा सी बात और अर्ज कर देना चाहता हूं। वह यह है कि अब मैं यह बहस नहीं करता कि रुपये की जरूरत है, मैं यह बहस नहीं करता कि आपको डेवलपमेन्ट करना है। यह सब समझते हैं कि जो कुछ हमें करना है और जितने रुपये की जरूरत है। इस आर्डिनेन्स से जो स्कीम है मैं उसकी हकीकत को बयान कर देना चाहता हूं कि इस सदन में २३ मार्च को बजट खत्म हुआ, एपोप्रियेशन बिल पास हुआ और बजट पर डिसकशन खत्म हुआ और २४ तारीख को कौंसिल से हुआ। उसके बाद ५-६-८-१० रोज जो हो गये वे हो गये। इसमें कुछ चीजें पहले से हमने सोच रक्खी थीं जिन पर टैक्स बढ़ाना था। यह तो शिकायत नहीं की जा सकती है कि हाउस को इत्तिला नहीं की गयी कि सेल्स टैक्स बढ़ेगा। मैंने यह पहले ही अर्ज कर दिया था कि सेल्स टैक्स बढ़ेगा इतना इशारा दिया जा चुका था। उसको जो सूरत देनी है वह सूरत अभी नहीं दी गयी है। वह सूरत आज देखना हो तो जो टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट निकली है उसके अन्दर मौजद है। जहां तक गवर्नमेन्ट की ख्वाहिश है वह यही है कि हम अपने यहां जो भी टैक्स लगायें वह उसी के मुताबिक लगायें। जिस कमेटी का मेरे दोस्त जो इस रिजोल्यूशन के प्रस्तावक हैं उन्होंने हवाला दिया उस कमेटी के टर्म्स आफ रिफरेंस में यह बात नहीं थी लेकिन उन्होंने भी स्कीम को बदलने की रिपोर्ट की है, रिकमेंडेशन तैयार की है। अभी यह तो कहा नहीं जा सकता है कि गवर्नमेन्ट के पास वह रिपोर्ट आ गयी है लेकिन उन्होंने सिफारिश की है कि सिंगिल पाइन्ट टैक्स लगाया जाय। कमीशन भी कहता है और इंक्वायरी कमेटी भी कहती है कि सिंगल पाइन्ट टैक्स लगाया जाय।

हम उसको लगाना चाहते हैं और उस को लगाने के लिये एक खास तैयारी की जरूरत है और वह तैयारी यह है कि जितने यहां के डीलर हैं उन सब के रजिस्ट्रेशन का इंतजाम किया जाय जिसमें कम से कम ६-७ महीने लगेंगे। यह सब करने के लिये और इसके मुताल्लिक और बातें करने के लिये जिस वक्त की जरूरत है वह वक्त बिताना था। अब यह साल जो चल रहा है और इस साल में जो ज्यादा रुपये की जरूरत है और अगर जैसा कि मेम्बरान को याद होगा कि साढ़े ९ करोड़ रुपये का डैफिसिट है इस को भी मैं मान लूं कि कुछ खर्च को एकोनामी से पूरा किया जाय और दूसरी सूरतों से बचाया जाय लेकिन यह बात देखने के लिये है कि यह शक्ल टैक्स की जो आर्डिनेन्स में है उसको किस

शक्ल में हमें मंजूर करना है, उससे कितना रुपया मिल सकेगा और अगर उस साढ़े ९ करोड़ रुपये में से अगर साढ़े ५ करोड़ रुपया मिलने वाला है तब भी काफी गैप रहता है और उस को कवर करने की कोई कोशिश नहीं की गई है और उस के लिये कोई टैक्स आप के सामने नहीं आया है। मैं इस सूरत में अर्ज कर दूं कि गवर्नमेन्ट चाहती है कि जो योजना हमारी है उस के लिये पैसा आए और गवर्नमेन्ट ने यह एक सूरत सदन के सामने रख दी। अब रहा यह कि किस चीज पर टैक्स हो सिंगिल पाइंट हो या मलटिपिल पाइंट हो और कितना लगे और किसी तरीके से अगर लोगों को रिलीफ मिल सकती हो तो वह जरूर मिले और यह सब आप तय कर देंगे और थोड़े दिन बाद जब सब चीजें मंजूर हो जायंगी तो वह शक्ल आप के सामने आ जायगी ?

अब रही यह बात की किस चीज पर टैक्स लगे या किस चीज पर न लगे या किस चीज पर कम लगे और फलां चीज पर ज्यादा लगे यह ऐसा बात नहीं है कि जिस पर किसी को बेहतमिनानी हो। लेजिस्लेचर में वह तमाम चीज आयेगी और उस को अपनी राय से घटाने-बढ़ाने का अख्तयार होगा। अगर लेजिस्लेचर तय कर देगा कि नमक पर टैक्स न लगाया जाय तो गर्वनमेन्ट को इसमें क्या एतराज होगा ? हम सब को फिर भी एक बात देखनी होती है और हम सब उसकी जिम्मेदारी भी लेते हैं इधर वाले भी और उधर वाले भी कि हमको रुपया पैदा करना है लेकिन मैं एक आम बात कहता हूं और वह मैंने पहले भी कही थी कि हम इससे ज्यादा ताल्लुक नहीं रखते कि सेल्स टैक्स बढ़े या कौन सा टैक्स घटे, लेकिन कोई सूरत इस चीज की जरूर निकले कि स्टेट के काम के लिये जितने पैसे की जरूरत है वह किसी टैक्स से जनता के चन्दे से या मुफ्त लेकर कहीं से मिल जाय। जिस तरह से भी हो उस कदर इन्तेजाम किया जाय हम को इतना चाहिये इस से ज्यादा नहीं। अब रहा सेल्स टैक्स के बारे में कहीं हड़ताल हो या किसी की तबियत में बेचैनी हो तो मैं समझता हूं बेचैनी की कोई वजह नहीं है। एक सेल्स टैक्स कमेटी है जो हमने बैठाई है उसका मैंने जिक्र किया उसने भी सेल्स टैक्स बढ़ाने की सिफारिश करने का इरादा किया है इसके अलावा जब हाउस में आइटम्स आयेंगे तो सदन को अख्तियार होगा कि वह देखे कि किस चीज पर लगाये या न लगाये या कितना लगाये और कितना न लगाये इसमें गवर्नमेन्ट को ज्यादा इसरार न होगा। हमें तो जितने रुपये चाहिये वह कहीं से मिलना चाहिये। मेरे दोस्त ने अपनी तकरीर में मालूम नहीं कहां से बिहार और मद्रास के सेल्स टैक्स का हवाला दिया उन्होंने, तिवारी जी ने फरमाया कि वहां गल्ले पर टैक्स आजादी से पहले सन् ३९ में लगा था।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैंने मद्रास के लिये कहा था, बिहार में सन् ४४ में कहा था।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—यह कानून मेरे पास रखा है। जरा मोटा है सारे राज्यों के कानून मेरे पास मौजूद हैं। बम्बई में सन् ४७ में बना है आजादी के बाद। वह जो सन् ३९ का मद्रास के अन्दर चला आता है उसमे सन् ५५ में अमेंडमेन्ट हुआ है और वह अमेंडमेन्ट इसमें मौजूद हैं। आंध्र जो अब बना है उस में अब लगा है गल्ले के उपर टैक्स मैं नहीं समझता कि वहां किसी ने उसपर मुखालिफत की। मेरे दोस्त ने शरह की बात कही। मैं यह भी बतला देता कि वहां क्या शरह है और यहां क्या शरह है। यह मैं बतला दूंगा कि जिस वक्त बहस होगी और (व्यवधान) मैं एक बात अर्ज करूं कि आप इस सदन को ऊपर से नीचे देखें और मेम्बर से आपके जरिये दरख्वास्त करता हूं कि वे सुने ....

कई सदस्य---सुनाई नहीं देता ।

श्री अध्यक्ष---(श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम से) जब आप उधर मुंह कर बोलने लगते हैं तो इधर वाले सुन नहीं पाते ।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---यह हमारे भाई मिनिस्टर साहब बीस वर्ष से हमारे इस ऐवान के अन्दर बैठने वाले हैं कभी उधर के थे अब बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से इधर के हो गये हैं लेकिन मैंने ऐसी तहजीब और शायस्तगी का सबूत इस ऐवान की तवारीख में कभी नहीं पाया, जैसा कि हमारे दोस्त राजनारायण जी इजहार कर रहे हैं।

श्री राजनारायण---आन ए प्वाइट आफ आर्डर । क्या सदन में उस भाषण को भी होने दिया जाय जो सम्मानित सदस्य सुन न पायें ?

श्री अध्यक्ष---मैं कोशिश यही करता हूं कि माननीय वक्ता का भाषण सुन लें लेकिन मैं हर हरकत के ऊपर यह नहीं कर सकता कि बिजली का बटन दबा दूं और प्रश्न हल हो जाय ।

श्री राजनारायण---यह पार्लियामेंटेरियन व्यवस्था का प्रश्न है । जहां तक मैं समझता हूं बहुत सी बातें आप भी सुन न पाते होंगे ।

श्री अध्यक्ष---यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि जो खुद इनआडिबिल होते हैं । कुछ लोग यह चाहते हैं कि उनके शब्द सुनाई न दें ।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---मुझको हैरत यह है कि जब मैं इस हाउस में यह सवाल ले कर मेम्बरों के सामने आता हूं कि मेम्बर्स जिस जगह पर बैठे हों उस जगह पर वे सुन सकें तो मेरे दोस्त उसकी मुखालिफत करते हैं । आपकी खिदमत में यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो खर्चा इस स्टेट का ३१ मार्च से पहले सन् ५६ तक था उसको छोड़ कर इस प्लान में जो १ अप्रैल, सन् ५६ से शुरू हुआ है ५ वर्ष के अन्दर जो खर्च होने वाला है उसमें से ७० करोड़ रुपया वह है जो राजस्व से है । रेवेन्यू से होगा । उसमें प्लानिंग कमीशन से यह तय हुआ है है कि ४४ करोड़ रुपया खुद यू० पी० बरदाश्त करेगा और बाकी रुपया गवर्नमेन्ट आफ इंडिया से मिलेगा, जिसका साफ मतलब यह है कि ४४ करोड़ रुपये की आमदनी बढ़ाने का इंतजाम होना है । उसको सालों में अगर तकसीम किया जाय तो करीब नौ करोड़ रुपये के हिसाब से ४५ करोड़ रुपया होता है । उस नौ करोड़ का इंतजाम इस साल करना है । अगर हम प्लान को पूरा करना चाहते हैं अगर हम एकोनामी करें और दूसरे जरियों से पैसा हासिल करें तो उसको ज्यादा खर्च करने को काबिल बनायें । अलावा प्लान के हम जानते हैं कि हर साल कुछ ऐसे अनएवायडविल खर्च पैदा होते रहते हैं जिनके ऊपर हमें खर्च करना पड़ता है हर साल पांच-छः करोड़ के सप्लीमेन्टरी एस्टीमेंट्स आते हैं । उसमें से फर्ज कीजिये कि ६ करोड़ में से यह कहा जाय कि चार करोड़ तो ऐसा है जिस को मानना चाहिए और २ करोड़ को नहीं मानना चाहिये । तो वह चार करोड़ भी जो हम पर खर्च बढ़ता है वह भी तो कहीं से आना चाहिये । उन सब रुपयों को बालाय ताक रख कर उन तमाम खर्चों को बालाये ताक रख कर जो हमारे सूबे में से हैं और आइन्दा भी पूरा करना है उन सब को अलग रख कर इतना रुपया हम को ४४ करोड़ रुपया ५ साल के अन्दर ९ करोड़ रुपया सालाना उसका इन्तजाम करने की तो जरूरत है । उसको पूरा करने के लिये यह कदम उठाया गया । अगर इस ऐवान को यह कदम उठाया जाना पसन्द

नहीं है जैसा कि चीफ मिनिस्टर साहब फरमा रहे थे कि मुख्तलिफ किस्म के पैगाम मेरे पास कानपुर से और दूसरी जगहों से लाते हैं, शिकायतें लाते हैं वह सब कुछ मालूम हुआ और सब सुन रहा हूं मैं कहता हूं आज इस ऐवान में अन्दर जहां कि कुछ मेम्बरान की तरफ से यह शिकायत होती है मैं कहता हूं कि गवर्नमेन्ट इस पर इसरार नहीं करती कि यह टैक्स जरूर लगाया जाय । सिर्फ यह अर्ज करता हूं कि हमें अपना काम करने के लिये उस रुपये को पैदा करना है तो जो दूसरे जराये मुनासिब समझते हों उस रुपये को पैदा करके के वह बताए ।

श्री राजनारायण---आप वापस ले लें । हम आपको रास्ता बतलायेंगे ।

श्री शांति प्रपन्न शर्मा (जिला देहरादून)---मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय ।

श्री राजनारायण---श्रीमान्, कुछ समय और बढ़ा दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष---अगर पांच बजे के बाद समय लेना चाहें तो आप बैठक का समय बढ़ाने का एक प्रस्ताव लाएं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस सदन का समय एक घंटा बढ़ा दिया जाय ताकि इस महत्वपूर्ण विषय पर पूरा विचार हो सके ।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा---मेरा प्रस्ताव है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय पहले इस पर राय ले ली जाय ।

श्री अध्यक्ष---समय बढ़ाने का प्रस्ताव प्राथमिकता लेगा क्योंकि समय बढ़ाने का जब सवाल आयेगा तो उसके अनुसार लोग अपनी राय बदल सकते हैं कि विवाद अभी खत्म करना है या नहीं । एक घंटे का समय बढ़ा दिया जाय तो उत्तर देने में एक घंटा तो वह लेंगे नहीं, विवाद खत्म करने का प्रस्ताव स्वीकृत होने पर जवाब देने का उनको एकदम से मौका आ जायगा और उनको घंटा भर मिल नहीं सकता । कायदे से तो दूसरों को भी भाषण देने का समय बढ़ने पर मौका मिलना चाहिए । तो पहले मैं इसके ऊपर राय ले लेता हूं कि समय बढाना है या नहीं । एक चीज तो स्पष्ट है ही कि यह प्रस्ताव कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय अगर स्वीकार भी हो जाता है तो १५ और १५ तीस मिनट लगेंगे । उसका मतलब यह होगा कि १५ मिनट आप बोलेंगे । उसके बाद मैं आज काम खत्म कर दूंगा और कल उसके ऊपर वित्त मंत्री जी आखिर में जवाब देंगे । फिर राय ली जायगी । अगर समय बढ़ा दिया जायगा तो दूसरी हालत होगी ।

प्रश्न यह है कि सदन का समय एक घंटा बढ़ा दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री मदन मोहन उपाध्याय---अध्यक्ष महोदय, मैं एक दूसरा प्रस्ताव करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष---पहले यह तय हो जाय, अब मैं प्रस्ताव पहले लेता हूं । कि प्रश्न उपस्थित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और श्री रामेश्वरलाल द्वारा विभाजन की मांग होने पर घंटी बजाई गई ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी---श्रीमान, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जब सरकार ने इस बात का पूरा मौका दिया और कल घोषणा भी की कि इस पर पूरा विवाद करने का अवसर दिया जायगा तो फिर एक घंटा या आधा घंटा बढ़ाये जाने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिये । और मैं विशेष रूप से अनुरोध करूंगा कि विषय का महत्व देखते हुए स्वयं राजी हो जायं ।

श्री अध्यक्ष---वह तो एक तरह से फैसला हो गया ।

मैं एक सूचना और देना चाहता हूं इस विषय में कि गवर्नमेन्ट की तरफ से यह विधेयक मेरे पास आ चुका है और शायद वे उसे आज ही उपस्थित कराना चाहते थे, लेकिन चूंकि आज थोड़ा सा वादविवाद रखा गया था अध्यादेश को कैन्सिल करने के प्रस्ताव पर इस कारण मैंने उचित नहीं समझा कि विधेयक को कार्यवाही में आज ही शामिल करूं । उस विधेयक पर भी जनरल डिस्कशन होगा जब विधेयक सामने आयेगा और मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री जी कल उसको पेश करना चाहते हैं । मैं समझता हूं कि वह जल्दी ही आने वाला है ।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---यह जनाब बिलकुल सही है । कल के मुताल्लिक स्पेसिफिकली इरशाद फरमाया इसलिये मुझको ताम्मुल सा हुआ कि आयेगा या नहीं, लेकिन बहुत जल्द यकीनन आने वाला है ।

श्री अध्यक्ष---मतलब यह साफ मालूम होता है कि माननीय वित्त मंत्री जी के दफ्तर से मेरे पास जो इत्तिला आयी है उसका उनको ज्ञान नहीं है । लेकिन मेरे पास वह विधेयक आ चुका है । मैंने ही उसे एजेंडे में आज नहीं रखा । तो मेरे पास वह आ तो चुका ही है । अगर गवर्नमेन्ट यह लिखकर नहीं भेजेगी कि उसको कल न रखा जाय तो मैं उसे रख दूंगा । तो इसका मतलब यह है कि वह आने वाला है और इसलिये उस वक्त जनरल डिस्कशन में मौका एक दफा और मिलेगा जिसमें कि एक घंटे या दो घंटे की लिमिट नहीं रहेगी तो जनरल डिस्कशन इस विषय पर फिर भी हो सकता है इसलिये इसमें आज और ज्यादा समय बढ़ाने की कोई आवश्यकता मुझे नहीं मालूम होती ।

(कुछ ठहरकर)

प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्न मतानुसार स्वीकृत हुआ :---

पक्ष में---१८३

विपक्ष में---२१ ।)

श्री अध्यक्ष---(माननीय नारायण दत्त तिवारी से) आप पन्द्रह मिनट बोल सकते हैं । आप भाषण कल भी जारी रखेंगे ।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---मैं यह अर्ज करूं कि आप कल को कर लेंगे पूरी तकरीर ।

श्री अध्यक्ष---आज इसे खत्म करना चाहते हैं ।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---जी हां ।

श्री अध्यक्ष---(श्री नारायणदत्त तिवारी से) आप अगर चाहें तो कल ही पूरी तकरीर कर लें । पन्द्रह मिनट कल ही ले लें । उनके कहने का मतलब यह है कि आधी तकरीर आज हो और आधी कल हो बजाय इसके कल ही आप पूरी तकरीर कर लें । वह कुछ और सूचना देना चाहते हैं ।

राज्य पुनस्संगठन विधेयक पर विवाद का कार्यक्रम

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)---मैं जनाब से और इस हाउस से माफी चाहता हूं कि मुझसे एक गलती हुई कि आज सुबह यहां यह दरियाफत किया गया था कि एस० आर० सी० रिपोर्ट पर जो बिल तैयार हुआ है उस पर यहां बहस होगी कि नहीं होगी तो मैंने उस वक्त यह अर्ज कर दिया था कुछ अपनी मालूमात की बिना पर कि नहीं होगी, मगर मैं यह इत्तिला देता हूं आपके जरिये से हाउस को कि उस पर बहस होगी, और उसकी तारीख मेरे खयाल में बहुत मुनासिब यह है कि ६ तारीख रख ली जाय ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---अध्यक्ष महोदय, उसके लिए तो हम लोग अभी तैयार नहीं हैं क्योंकि हम लोग समझते हैं कि १७ तारीख अगर रखी जाय तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष---वह तो लेट हो जायगा उसके पहले ही यह प्रश्न सदन में आना चाहिये ।

मुख्य मन्त्री (डाक्टर संपूर्णानन्द)---बात ऐसी है कि गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ने हमारे गवर्नमेंट की राय मांगी है १५ तारीख तक । तो १५ तारीख तक गवर्नमेंट को राय भेज ही सकते हैं लेकिन मैं चाहता था कि सदन की राय भी चली जाय क्योंकि उस वक्त उस पर गौर करना शुरू कर दें, इसलिये यह मुनासिब समझा । वैसे तो और कोई भी तारीख हो सकती थी लेकिन ६ तारीख में खास तौर से सदन के सामने रखता हूं । इसकी वजह यह है कि कुछ और सदनों में जो हमारे पास-पड़ोस में हैं वह ६ तारीख के बाद ही गौर करने वाले हैं। तो हमारे यहां कुछ विचार हो जाय तो उनको भी कुछ बल मिल जायगा । इसलिये इन बातों को सोच कर रखा है । इसलिये जो प्रतियां हैं वह आज रात को शायद बट जायंगी ।

श्री मदन मोहन उपाध्याय---अध्यक्ष महोदय, हमारी दिक्कत यह है कि हमारे जो विरोधी दल के नेता हैं वह बाहर गये हुये हैं और यह एक ऐसा इम्पार्टेन्ट मसला हमारे सामने है कि उस पर ६ को ही जो परसों होता है उस दिन बहस हो जायगी तो यह आपकी इच्छा है लेकिन एक-दो दिन और तारीख बढ़ जाय तो हमको जरूर आसानी हो जायगी, क्योंकि ऐसा इम्पार्टेन्ट मसला है कि मैं अपनी जिम्मेदारी से कुछ नहीं कह सकता । इसलिये माननीय मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि अगर कल समय दे दें कि कोई तारीख निश्चित होगी और कुछ दिन बढ़ा दें तो उससे काम चल जायगा ।

श्री अध्यक्ष---राजा बीरेन्द्र शाह, आप कुछ कहना चाहते हैं ?

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)---मुझे तो आपत्ति नहीं है ।

श्री अध्यक्ष---मेरे पास एक सुझाव आया था कि ६ और ९ को दो रोज बहस उस पर रहे। इस सम्बन्ध में कुछ कहना है ?

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर सेटरडे को भी बहस हो जाय तो बहुत अच्छा है। महत्वपूर्ण सवाल है इसलिये ६, ७ तारीख को बहस हो जाय ।

श्री अध्यक्ष---६-७ को बहस हो सकती है। कल इसके ऊपर फाइनल विचार होगा ।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला बलिया)—७ को तो सनीचर है ?

श्री अध्यक्ष—आपने सूचना दे दी कि उस पर बहस होगी। हम कल उस पर विचार कर लें कि कब होगी। मैं समझता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी, कल तक विधेयक की प्रतियां बंट जायंगी।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उम्मीद है कि आज रात को बंट जायंगी।

श्री अध्यक्ष—तो कल आखिर में बात तय होगी उसे कल बता दिया जायगा।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५६ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ ;
४ अप्रैल, १९५६।

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मण्डल,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४–५ के उत्तर पीछे पृष्ठ १७२ पर)

आजमगढ़ जिले की तहसील फूलपुर के उत्तरी भाग में गुड़ योजना के अन्तर्गत सन् १९५४–५५ तक की प्रगति निम्नलिखित थी :—

	१९४९–५०	१९५०–५१	१९५१–५२	१९५४–५५
१—कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत ग्रामों की संख्या	७२	२४	२४	२४
२—केन्द्रों की संख्या	६	२	२	२
३—शिक्षित किये गये व्यक्तियों की संख्या	१३	०	०	०
४—उन्नतिशीश भट्ठियों का निर्माण	३०१	०	०	१०
५—किसानों की संख्या जिनको देवला बीज बांटा गया	७२	०	०	०
६—उन्नतिशील कोल्हुओं की संख्या जो बांटे गये	४	७	५	३२
७—उन्नतिशील कढ़ाव की संख्या जो बांटे गये	०	०	०	०
८—प्रदर्शन—				
(अ) कोल्हू	५	०	२	२
(ब) भट्ठटी पर	५	०	२	२
(स) रस की सफाई के साधनों पर	५	०	२	२
९—गुड़ उत्पादकों द्वारा उत्पादन:—				
(अ) उन्नतिशील भट्टियों पर	६३५ मन	०	०	२५० मन
(ब) उत्तम गुड़	०	०	०	१०० मन
(स) कपास के रंग के गुड़ का उत्पादन	१ मन २० सेर	०	०	०

उपरोक्त क्षेत्र में योजना के अन्तर्गत १९५५–५६ में फरवरी, १९५६ तक जो प्रगति हुयी उसका विवरण निम्नलिखित है:—

१—कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत ग्रामों की संख्या	७२
२—केन्द्रों की संख्या	६
३—शिक्षित किये गये व्यक्तियों की संख्या	१

उत्तर प्रदेश विधान सभा

	१९४९-५०	१९५०-५१	१९५१-५२	१९५४-५५
४—उन्नतिशील भट्ठियों का निर्माण				३७
५—किसानों की संख्या जिनको देवला बीज बांटा गया				३५
६—उन्नतिशील कोल्हुओं की संख्या जो बांटे गये				८
७—उन्नतिशील कढ़ाव की संख्या जो बांटे गये				०
८—प्रदर्शन:—				
(अ) कोल्हू पर				१०
(ब) भट्ठियों पर				१०
(स) रस की सफ़ाई के साधनों पर				१०
९—गुड़ उत्पादकों द्वारा उत्पादन:—				
(अ) उन्नतिशील भट्ठियों पर				३००० मन
(ब) उत्तम गुड़				३६० मन
(स) कपास के रंग के गुड़ का उत्पादन				२मन

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८३ पर)

सन् १९५६ की नमक की जोनल योजना

(एक मीटर गाज वैगन में २९५ मन नमक आता है ।)

राजस्थान साल्ट सोरेसेज डिवीजन सांभर से नमक का एलाटमेन्ट

जिले का नाम	निर्धारित मासिक कोटा (मीटर गाज-वैगन)
१—पीलीभीत	२३
२—गोरखपुर	८३
३—बलिया	४३
४—बस्ती	८७
५—देवरिया	७५
६—नैनीताल ..	२७
७—अलमोड़ा ..	३४
८—गढ़वाल	२६
९—टेहरीगढ़वाल	२१
१०—खीरी	४४
११—गोंडा	७६
१२—बहराइच	४९
१३—आजमगढ़	६६
१४—गाजीपुर	४३
	७१७ मीटर गाज वैगन प्रति माह
	अथवा
	८६०४ मीटर गाज वैगन प्रति वर्ष

सन् १९५६ की नमक की जोनल योजना

(एक ब्राड गाज वैगन में ५८० मन नमक आता है)

खारागोड़ा से एलाटमेन्ट

जिले का नाम	निर्धारित मासिक कोटा (ब्राड़ गाज वैगन)
१—देहरादून	५
२—सहारनपुर	३१
३—बिजनौर	२२
४—मुरादाबाद	३४
५—बांदा	२०
६—हमीरपुर	१७
७—झांसी	२२
८—जालौन	१८
९—इलाहाबाद	४७
१०—रायबरेली ..	२७
११—फतेहपुर	२०
१२—कानपुर	४०—१५ *(बम्बई के नमक के स्थान पर)
१३—लखनऊ	२८

जिले का नाम	निर्धारित मासिक कोटा (ब्राड गाज वेगन ।)
१४—उन्नाव	१९
१५—सीतापुर	२८
१६—रामपुर	१३
१७—बरेली	२८
१८—आगरा	३४
१९—मथुरा	२३
२०—अलीगढ़	३८
२१—बुलन्दशहर ..	३५
२२—मेरठ	४२
२३—मुजफ्फरनगर	२८

६२२+१५=६३७ ब्राड गाज वैगन प्रति माह

अथवा

७६४४ ब्राड गाज वैगन प्रति वर्ष

सन् १९५६ ई० की नमक की जोनल योजना

(एक मीटर गाज वैगन में २९५ मन आता है ।)

धरांगधरा से अलाटमेन्ट

जिले के नाम	निर्धारित मासिक कोटा (मीटर गाज वेगन)
१—शहाजहांपुर ..	४६
२—हरदोई ..	६४
३—फर्रुखाबाद ..	५२+१०* (बम्बई के नमक के स्थान पर)
४—मैनपुरी ..	५२+१०* (बम्बई के नमक के स्थान पर)
५—इटावा ..	५२+१०* (बम्बई के नमक के स्थान पर)
६—बदायूं ..	.. ५०
७—एटा ..	.. ४३

३६२+३०=३९२ मीटर गाज प्रति माह

अथवा

४७०४ मीटर गाज प्रति वर्ष

कान्डला से अलाटमेन्ट

जिले के नाम			निर्धारित मासिक कोटा (मीटर गाज वैगन)
१—मिरजापुर	..	..	४६
२—बनारस	..	..	८०
३—जौनपुर	..	..	६६
४—फैजाबाद	..	..	६४
५—बाराबंकी	..	..	५८
६—प्रतापगढ़	..	..	५२
७—सुल्तानपुर	..	..	५४
			४२० मीटर वैगन प्रति माह अथवा ५०४० मीटर वैगन प्रति वर्ष

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—२० एल० ए०—१९५६—७९६।